शुक्रवार,
४ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, ४ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मुद्राएं

*१०१५. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत स्थित फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशों तथा सिक्किम एवं भूटान में वहां की अपनी अपनी मुद्रायें चलती हैं?

(ख) यदि हां, तो क्या "विदेशी विनिमय नियंत्रण आदेश" उन मुद्राओं पर भी लागू होता है ; और

(ग) क्या भारतीय मुद्रा के मुकाबले में उन विदेशी मुद्राओं में से प्रत्येक मुद्रा की बाजारी विनिमय की दर सरकारी विनिमय दरों से भिन्न हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) सिक्किम को छोड़ कर अन्य सभी उपनिवेश-क्षेत्रों में अपनी अपनी मुद्रायें चलती हैं । यों तो, इन क्षेत्रों में वहीं के स्थानीय सिक्कों के साथ साथ

भारतीय सिक्के का रुपया भी निर्बाध रूप से चलता है ।

(ख) भारत तथा इन क्षेत्रों के बीच विनिमय का कोई भी नियंत्रण नहीं है ।

(ग) इन क्षेत्रों के सिक्कों और भारतीय रुपये के बीच कोई भी सरकारी विनिमय-दरें निर्धारित नहीं की गई हैं । विनिमय की दरों का निश्चय तो मांग और पूर्ति के सिद्धान्त से होता है ।

डा० एम० एम० दास : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मेरे मित्र यह बता चुके हैं कि इन क्षेत्रों में भारतीय मुद्रा निर्बाध रूप से चलती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के साथ भारत के इन भागों की मुद्राओं का भी मूल्य-अवक्षयन हुआ था ?

श्री बी० आर० भगत : मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि क्या उन्होंने सरकारी तौर पर इस का अवक्षयन किया है या नहीं, किन्तु चूंकि भारत तथा इन देशों के बीच साधारणतया कोई भी विनिमय नियंत्रण नहीं है, अतः वे मांग और पूर्ति के सिद्धान्त से चलते हैं । आप को विदित होना चाहिये कि वास्तव में उन्होंने, अपनी मुद्रा का उसी हद तक अवमूल्यन किया है जिस हद तक भारतीय मुद्रा का अवक्षयन हुआ है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय मुद्रा का इन क्षेत्रों की मुद्राओं में और इन क्षेत्रों की मुद्राओं

का भारतीय मुद्रा में विनिमय करने की साधारण पद्धति क्या है ? क्या यह विनिमय इसी ढंग से होता है जिस ढंग से पौण्ड क्षेत्रों की मुद्राओं का विनिमय हुआ करता है, अथवा किसी भिन्न प्रकार से ?

श्री बी० आर० भगत : मैं माननीय सदस्य के इस लम्बे प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ?

डा० एम० एम० दास : इन दो मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय की साधारण पद्धति क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इन भागों में होने वाला सारा घरेलू व्यापार भारतीय रुपयों में ही हुआ करता है, और इन क्षेत्रों के लोग सारभूत उपभोग की वस्तुओं को भारतीय मुद्रा के दर ही खरीदते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह सच है कि व्यावहारिक रूप से इन क्षेत्रों में भारतीय मुद्रा चलती है ?

श्री बी० आर० भगत : हां, श्रीमान् ।

श्री हेडा : मंत्री जी ने बताया है कि भारतीय मुद्रा तथा इन क्षेत्रों की मुद्राओं के बीच विनिमय अनुपात की कोई भी निश्चित दर नहीं है । क्या आप बतायेंगे कि विगत वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम अनुपात क्या था ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, होता यह है कि इन क्षेत्रों के अधिकारी वहां की मुद्रा और भारतीय रुपये के विनिमय अनुपात को समान रखने का प्रयत्न किया करते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या इन सिक्कों का प्रत्यक्ष (धातु) मूल्य भारत में अधिक है या इन क्षेत्रों में ; और क्या वहां भी हमारे देश के समान पत्र-मुद्रा चला करती है ?

श्री बी० आर० भगत : उन के यहां पत्र-मुद्रा चलती है । मैं नहीं जानता कि माननीय महिला-सदस्य का प्रत्यक्ष (धातु) मूल्य से क्या अभिप्राय है । जहां तक वास्तविक विनिमय का प्रश्न है, ये दोनों मुद्रायें मूल्य में एक दूसरे के समान हैं ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भूटान तथा इन क्षेत्रों का विदेशी व्यापार भारत के साथ मिल-जुल कर चलता है अथवा स्वतन्त्र रूप से जिस में भारत का कोई हाथ नहीं रहता है ?

श्री बी० आर० भगत : हमारे इन दो देशों के बीच की भौगोलिक तथा परम्परा सम्बन्धी एकता के परिणामस्वरूप वहां का सारा व्यापार भारत द्वारा ही चला करता है ।

नौ तथा वायु सेना के लिए प्रशिक्षण की सुविधायें

*१०१६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नौ तथा वायु सेना के पदाधिकारी-वर्ग जिसे पहले इंगलैण्ड में प्रशिक्षा दी जाती थी, को अब भारत में प्रशिक्षित किये जाने के हित ट्रेनिंग स्कूल संस्थापित किये जाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ; और

(ख) प्रारम्भिक अवस्था में, विशेषतया पंचवर्षीय योजना की अवधि में, इस प्रकार के कितने स्कूल संस्थापित किये जाने वाले हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) वायु सेना : आइ० ए० एफ़० (भारतीय वायु सेना) के लिये जिन उड्डयन तथा क्षेत्रीय ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, उस क्रम-पद्धति की संस्थाओं को अब भारत में संस्थापित किया जा चुका है । वायु-सेना के पदाधिकारी-

वर्ग में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं—यानी कुल संख्या का लगभग ३ से ५ प्रतिशत—जिन्हें उच्च प्रशिक्षण के कई एक पाठ्यक्रमों की ट्रेनिंग के लिये विदेशों को भेजा जाता है। विभाजन के बाद पांच उड्डयन तथा सात क्षेत्रीय ट्रेनिंग स्कूल संस्थापित किये जा चुके हैं।

नौ सेना: जी हां। विभाजन काल से ऐसे अट्ठारह स्कूल खोले जा चुके हैं जहां भारतीय नौ-सेना के पदाधिकारी-वर्ग को ट्रेनिंग दी जाती है।

(ख) **वायु सेना:** यह सोचा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही भारत में निम्नांकित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की ट्रेनिंग शुरू की जायगी:

(१) चालकों से आक्रमण करवाने का शिक्षक पाठ्यक्रम।

(पायलट अटैक इन्स्ट्रक्टर्स कोर्स)

(२) स्थल वायु युद्ध पाठ्यक्रम।

(३) ऊंचे दर्जे का नौपरिवहन पाठ्यक्रम।

(४) फ़ोटोग्राफ़ी की बारीकियों को समझने का पाठ्यक्रम।

नौसेना:—एक—यह स्कूल कोचीन में स्थित है और यहां निचले दर्जे के पदाधिकारियों को प्रशिक्षा दी जाती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जितने शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिये अभी स्कूलों की व्यवस्था है वह अपनी ज़रूरियात के लिये काफ़ी है, और अगर नहीं तो कब तक हम इस हद तक पहुंच जायेंगे कि हमारी ज़रूरियात पूरी होने लगें ?

सरदार मजीठिया: मैं तो पहले बतला चुका हूं कि जिन व्यक्तियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती है, उन में से ३ से ५ प्रतिशत तक की संख्या में वे प्रशिक्षित पदाधिकारी ऊंचे दर्जे की प्रशिक्षा के लिये विदेश जाते हैं। अतः यह स्वाभाविक सी बात है कि एक या दो पदाधिकारियों से ही ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित नहीं, क्योंकि इस पर के व्यय में सर्वोपरि वृद्धि हुई है और यह बहुत ख़र्चीली बन चुकी है—इसीलिये यह उचित नहीं होगा कि वह धन भारत में ही ख़र्चा जाय।

श्री एम० एल० द्विवेदी: जो अभी तीन अफ़सर हिन्दुस्तान से बाहर भेजे गये हैं, यूनाइटिड किंगडम, शिक्षा के लिये, नौ महीने के लिये, क्या वह इसी योजना के अन्तर्गत हैं या किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत हैं, और अगर किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत हैं तो जो इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में भेजे जायेंगे उनके लिये क्या प्रबन्ध है।

सरदार मजीठिया: मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किन तीन पदाधिकारियों की ओर निर्देश कर रहे हैं। असैनिक उड्डयन ? उस प्रश्न का मेरे साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। संचरण मंत्री उस का उत्तर देंगे।

पंडित सी० एन० मालवीय: पिछली लड़ाई में भोपाल का एअरोड्रोम ऐअरफ़ोर्स के लिये एक ट्रेनिंग सेंटर रहा है। क्या सरकार ने इस एअरोड्रोम को स्कूल के लिये काम में लाने पर ग़ौर किया है और अगर उसको रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी क्या वजह है, और क्या अब यह सरकार के ज़ेरग़ौर है कि भोपाल का एअरोड्रोम जो कि एक अच्छा एअरोड्रोम है और अब ख़राब होता जा रहा है उसको फिर से ठीक करके काम में लाया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल को आपने क्या बना रखा है ? माननीय सदस्यों को खड़ा होने का मौक़ा मिलता है, और वह प्रश्नों की बौछाड़ कर देते हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : मेरा सवाल यह है कि भोपाल के एअरोड्रोम के लिये क्या किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सवाल के एक हिस्से का जवाब देना चाहिये ।

सरदार मजीठिया : मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के साथ अनुपूरक प्रश्न का किसी भी प्रकार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य कुछ उत्सुक हो रहे हैं, अतः मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम बहुत छानबीन और सोच-विचार के बाद ही इन स्कूलों के लिये उपयुक्त जगहें चुना करते हैं । यह भी बिल्कुल सत्य है कि भारत में भोपाल के जैसे कदाचित हजारों हवाई अड्डे हैं, अतः स्वाभाविक है कि हम हर किसी जगह पर ऐसे स्कूलों को स्थापित नहीं कर सकते ।

श्री पुन्नूस: माननीय मंत्री कोचीन स्थित निचले दर्जे के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग के स्कूल की ओर निर्देश कर रहे हैं । श्रीमान्, क्या जान सकता हूं कि इस स्कूल में कुल कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, इस समय कितने व्यक्ति ट्रेनिंग पा रहे हैं, और कितने समय तक उनकी ट्रेनिंग रहेगी तथा क्या इस स्कूल के अध्यापकों में कोई विदेशी भी है ?

सरदार मजीठिया : अपने माननीय मित्र की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि कोचीन में एक नहीं बल्कि ऐसे अनेक स्कूल हैं ।

श्री पुन्नूस : मैं ट्रेनिंग-पाठ्यक्रम का ब्यौरा जानना चाहता हूं ।

सरदार मजीठिया : छः महीने से लेकर डेढ साल तक के ट्रेनिंग-पाठ्यक्रम हैं ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बाहर शिक्षा के लिये सिर्फ तीन से पांच तक आदमी भेजे जाते हैं । तो क्या इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि बाहर सिर्फ ऐसी ही शिक्षा के लिये आदमी भेजे जांय कि जो हिंदुस्तान में नहीं दी जा सकती । और क्या इस बात की कोई शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आई है कि ऐसी शिक्षा के लिये भी लोग बाहर भेजे जाते हैं जो कि भारतवर्ष में दी जा सकती है ।

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात की ओर निर्देश किया है, ऐसा अभी देखने में नहीं आया है । केवल वे व्यक्ति विदेश भेजे जाते हैं जिन्हें यहां पर ट्रेनिंग नहीं मिल सकती । मैं तो उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि अधिक ऊंचे दर्जे के विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग लिये लोगों को विदेश भेजा जाता है क्योंकि यहां अभी इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं । ऐसे पाठ्यक्रमों में कमांड कोर्सेज़ जैसे पाठ्यक्रम लिये जा सकते हैं ।

श्री बासप्पा : यहां के प्रत्येक स्कूल में इस ट्रेनिंग पर कितना व्यय लगता है– और उस व्यय में से राज्य तथा सम्बद्ध प्रशिक्षार्थियों द्वारा कितना कितना खर्चा उठाया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस बात में संदेह है क्योंकि मेरे पास कोई भी आंकड़े नहीं हैं, और इन आंकड़ों का बताया जाना भी लोकहित की बात नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : इस ओर से मेरे मित्र द्वारा पूछे गये इस प्रश्न का कि क्या कोचीन वाले स्कूल में कोई विदेशी पदाधिकारी-वर्ग है, कोई भी उत्तर नहीं दिया गया ।

सरदार मजीठिया : खेद है कि मैं इस प्रश्न को भूल गया । हां, कोचीन में कई ऐसे शिक्षक हैं जो विदेशों से आये हैं ।

मूल शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

*१०१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सातवें सामान्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ द्वारा रखी गई, भारत में मूल शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र की स्थापना के संबंध में प्रस्थापना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसरण में अभी तक इसे खोलने के लिए कोई पग उठाए गए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो कहां ?

(ग) उस में कितने प्रशिक्षणार्थी दाखिल किए जा सकेंगे ?

(घ) इस प्रशिक्षण में कौन दाखिल हो सकता है ?

(ङ) प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) मैसूर ।

(ग) ये प्रशिक्षण की सुविधायें केवल उन्हें दी जायेंगी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ और अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों ने पारिषद्यता दी हो ।

(घ) पारिषद्यता के उम्मीदवार २१ से २९ वर्ष की आयु के ग्रेज्युएट होने चाहियें और यह चाहिये कि उन्होंने मूल शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कुछ व्यवहारिक काम किया हो ।

(ङ) मूल शिक्षा में विशेषज्ञों के लिये शिक्षा प्रदान करने के हेतु यह केन्द्र बनाया गया है ताकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ की विश्व संबंधी परियोजनाओं में नियुक्त किया जा सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैसूर में यह जो केन्द्र खुला है इस में जो शिक्षा दी जाती है, वास्तव में इस शिक्षा द्वारा क्या क्या चीज़ें सिखलाई जाती हैं और उस में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन: यह केन्द्र जो खोला जा रहा है, नवम्बर के महीने में शुरू होगा, उस में विद्यार्थियों की संख्या २० होगी और इस में जनरल एज्यूकेशन दी जायेगी कि जिसकी मंशा यह होगी कि जिन लोगों ने मामूली शिक्षा नहीं पाई है जो साधारण समस्याऐं हैं समाज की, उन के संबंध में क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये, और किस तरह से वह एक अच्छे नागरिक और व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह सब बातें उनको सिखाई जाऐंगी, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वह इस प्रकार की शिक्षा दें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस केन्द्र के खोलने में कितना व्यय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने किया तथा कितना भारत सरकार ने किया है ?

श्री ए० पी० जैन : भारत सरकार ने कोई खर्च नहीं दिया है सब खर्चा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने दिया है, वजट उनके पास है हमें उसके बारे में कोई इत्तिला नहीं है, अलबत्ता दो या चार विद्यार्थी जिनको फैलोशिप नहीं मिली होगी, हमें उनको भेजने का अधिकार होगा और उस पर खर्चा लगभग १२ हज़ार का होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : ऐसे शिक्षार्थियों का सलैक्शन करने का क्या तरीका है और यह सलैक्शन कौन करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक प्रवाह अथवा ज्वालामुखी के समान चल रहे हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने इस प्रणाली की शिक्षा देने के लिये अपने विशेषज्ञ भेज हैं और यदि ऐसा है तो कितने ?

श्री ए० पी० जैन : संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने एक विदेशी विशेषज्ञ भेजना है और दो भारतीय विशेषज्ञ नियुक्त किये जा रहे हैं।

श्रीमती जयश्री : मैं जान सकती हूं कि यह प्रशिक्षण कितनी कालावधि में दिया जाएगा ?

श्री ए० पी० जैन: ९ मास।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह केन्द्र एक वर्ष अथवा दो या दो से अधिक वर्षों के लिए कार्य करेगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह आरम्भ हो चुका है और आशा है कि चलता रहेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार उन्हें विशेष विषयों के लिये शिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है—उद्देश्य क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : जो देश बुनियादी शिक्षा में विशेषज्ञ सहायता प्राप्त कर रहे हैं उन के अतिरिक्त अन्य देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ में नियुक्ति के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इस के अतिरिक्त यदि कोई छात्र विशेष प्रवृत्ति दिखाये तो उसे और बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा सकता है अथवा विशेष मामलों में बुनियादी शिक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कनिष्ट विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

सेठ गोबिन्द दास : इस केन्द्र की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह किस ने निर्णय किया है और इस संबंध में क्या विदेशी और भारतीय दोनों जगह के विशेषज्ञों से कोई सलाह ली गई है ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ का बनाया हुआ केन्द्र है, वही खर्चा दे रहे हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग दुनियां के और हिस्सों में भी किया है और वह इस का तमाम कार्यक्रम बना रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास: मैं यह जानना चाहता था कि इस के पाठ्यक्रम में भारतीय परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें रहें, इस के लिए भारत से भी कुछ सलाह ली गई है ?

श्री ए० पी० जैन : जब यह भारत के लिए बन रहा है तो भारत की सलाह तो इस में होगी ही।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने इन छात्रों को जब वे प्रशिक्षण प्राप्त कर लें नियुक्त करने का वचन दिया है अथवा उन्हें बेकारों की सेना में भर्ती किया जाना है ;

श्री ए० पी० जैन: निश्चयेन कोई भी बेकारों की सेना में भरती होने के लिये प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर रहा है।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार अथवा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ ने इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियुक्त करने का उत्तरदायित्व लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यंग्यात्मक प्रश्न क्यों करते जा रहे हैं ? माननीय सदस्य केवल उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का निराकरण करना चाहिये। स्वभावतः मंत्री ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। माननीय

सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या इन लोगों को लोक सेवा में लगाने का कोई प्रबन्ध है।

श्री ए० पी० जैन : मैंने पहले ही श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बता दिया है।

श्री हेडा : समस्या की विशालता और विस्तार को देखने के बाद क्या यह बीस शिक्षार्थियों की संख्या बहुत अल्प मालूम नहीं होती और इस को बढ़ाने के सम्बंन्ध में गवर्नमेंट कुछ सोचेगी या छोड़ देगी ?

श्री ए० पी० जैन : गवर्नमेंट ने इस के सम्बन्ध में सोचा है और यह तय किया है कि दो से चार तक, भारत सरकार विद्यार्थी भेजने का विचार कर रही है और उन का खर्चा भारत सरकार खुद बर्दाश्त करेगी।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि भारत से कितने प्रशिक्षणार्थी चुने जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : दो। भारत सरकार एक समिति स्थापित करेगी जिस की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ अन्तिम चुनाव करेगा।

श्री अच्युतन : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों अथवा माध्यमिक स्कूलों के साथ लगाया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है।

आयकर से बचने वाले

*१०१८. **डा० एम० एम० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने आयकर से बचने वालों के नाम बताने के प्रश्न का अन्तिम निर्णय कर लिया है जैसा कि आयकर जांच आयोग ने सिफारिश की है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो नाम कब बताए जा रहे हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख)। वर्तमान विधि अधीन यह बताना अनुज्ञेय नहीं है। इस प्रश्न का कि विधि का संशोधन किया जाय अथवा नहीं अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि आयकर जांच आयोग ने १९५१ में सिफारिश की थी इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करने में, कि यदि आवश्यकता है तो विधि का संशोधन किया जाय अथवा नहीं, सरकार ने किन कारणों से इतनी अधिक देर लगाई।

श्री एम० सी० शाह : वर्ष १९५१ में आयकर संशोधन विधेयक में यह उपबन्ध किया गया था। यह असफल रहा। और तत्पश्चात हमें ऐसा संशोधक विधेयक रखना पड़ता था जो विवादस्पद न हो ताकि शीघ्र पारित हो सके। यह अभी नहीं हुआ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि वर्ष १९५२-५३ में कितने मामलों में कर से बचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : जब कभी हम पाते हैं कि कुछ आय छुपाई गयी है और उसका पता चल जाता है तो विधि में उपबन्धित सब जुर्माने लगाए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ऐसे मामलों की संख्या जानना चाहती हैं, जिन में कार्यवाही की गई है।

श्री एम० सी० शाह : संख्या देना बहुत कठिन है क्योंकि आंकड़े एकत्र करने में बहुत श्रम लगेगा।

कुमारी एनी मस्करीन : १९५१ से १९५२ तक क्या संख्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे मामले जो जांच आयोग के समक्ष आये हैं ? अब प्रश्न का सम्बन्ध आयकर जांच आयोग से है । प्रश्न का सम्बन्ध सामान्यतः आयकर से बचने वालों से है । क्या माननीय मंत्री उन मामलों की संख्या नहीं जानते जिन्हें गत वर्ष निपटाया गया था ?

श्री एम० सी० शाह : अब तक निपटाए गए मामलों, निर्णय तथा निपटारे सम्बन्धी मामलों--की संख्या मेरे पास है, वह लगभग ८९३ है । निर्णय सम्बन्धी मामलों में आयोग की सिफारिश अनुसार जुर्माने किए गए थे और जांच के मामलों में भी आयोग की सिफारिश अनुसार जुर्माने लगाए गए थे ।

डा० एम० एम० दास : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि पूर्व के एक आयकर संशोधक विधेयक में जो सभा में प्रस्तुत किया गया था कर से बचने वालों के नाम बताने के सम्बन्ध में उपबन्ध था, परन्तु दूसरे संशोधक विधेयक में जो सभा में पास किया गया, इस उपबन्ध का लोप किया गया । दूसरे संशोधक विधेयक में जो सभा में पास किया गया इस विशेष उपबन्ध को लोप करने के क्या कारण थे ?

श्री एम० सी० शाह : मैं ने पहले ही बताया है कि दूसरे संशोधक को दोनों सदनों में शीघ्र पारित करवाने के लिये वह विवादस्पद नहीं था इसलिये इसे बाद में प्रस्तुत किये जाने वाले व्यापक विधेयक के लिये रखा गया ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या हम आय कर से बचने वालों का राज्य अनुसार विभाजन कर सकते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह संभव नहीं इस में समय लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उपयुक्त सिग्रेटों का मूल्य

*१०१९. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२–५३ में भारत में उपयुक्त सिग्रेटों का कुल मूल्य क्या है ?

(ख) इस कालावधि में भारत में उत्पादित सिग्रेटों का मूल्य क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) उपभोग के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं परन्तु कारखानों से निकाली गई सिग्रेट की संख्या और विदेश से आयात की गई सिग्रेट की संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५२–५३ में उपयुक्त की गई सिग्रेट का कुल मूल्य प्रशुल्क के बिना २८·०५ करोड़ रु० है और ३५·५० करोड़ रुपया प्रशुल्क सहित है ।

(ख) भारत में १९५२–५३ में प्रशुल्क रहित उत्पादित सिग्रेट का मूल्य ३०·२४ रु० था और प्रशुल्क सहित उसका मूल्य ३७·५८ रु० था ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि भारत में कितने विदेशी व्यवसाय सिग्रेट का उत्पादन कर रहे हैं । क्या इन व्यवसायों में भारत सरकार या भारत के लोगों के हिस्से हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : जो समवाय सिग्रेट उत्पादन का कार्य करते हैं उन के नाम मेरे पास हैं । मेरे विचार में इंम्पीरियल तम्बाकू समवाय में अधिकतया अभारतीयों की पूंजी लगी हुई है और उसका प्रबन्ध भी अभारतीय कर्मचारी करते हैं । और समवाय भी हैं । इन समवायों की पूंजी के भाग बताने मेरे लिये संभव नहीं । और समवाय जुबली सिग्रेट कारखाना, वज़ीर सुलतान तम्बाकू समबाय,

नैशनल तम्बाकू समवाय और गाडफ्रे फिलिप्स हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि विदेशी समवायों और भारतीय समवायों में क्या अनुपात है जहां तक सिग्रेटों के उत्पादन का सम्बन्ध है ?

श्री ए० सी० गुहा: जैसा मैं ने पहले बताया मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है। यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से किया जाना चाहिये।

श्री एस० वी० राम स्वामी: सिग्रेटों के उपभोग के बढ़ जाने के कारण क्या सरकार अल्प व्यस्कों के धूम्रपान को रोकने के सम्बन्ध में कोई अधिनियम पारित करने का विचार रखती है ?

श्री ए० सी० गुहा: यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से किया जाना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास: १९५२–५३ में जो सिग्रेट बाहर से इस-देश में आई वह इस से पहले जो दो साल तक आई थी उन से ज्यादा थी या कम थी ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे विचार में १९५०–५१ में आयात की गई सिग्रेट की संख्या ४९० लाख थी, १९५१–५२ में ३४० लाख तथा १९५२–५३ में ३४० लाख सिग्रेट थी।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि विदेशी सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों के कारण क्या यहां के जो सिग्रेट बनाने वाले हैं उन का व्यापार दिन पर दिन गिरता जा रहा है और यदि हां तो इस को रोकने के लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से मैं विचार करता हूं कि मैं कह सकता हूं कि सब से बड़ा विदेशी समवाय इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी है। इस के उत्पादन की प्रतिशतता प्रति वर्ष गिर रही है। १९५०–५१ में इस के उत्पादन की प्रतिशतता ६९ प्रतिशत थी, १९५१–५२ में ६२ प्रतिशत थी और १९५२–५३ में ५५ प्रतिशत इस से यह अनुमान किया गया है कि अन्य समवायों के उत्पादन की प्रतिशतता बढ़ रही है, जो कि अधिकतया भारतीय समवाय हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं यह समझूं कि इस में बीड़ी सम्मिलित नहीं। क्या वह भारत में बीड़ी के उपभोग का अनुमान बता सकते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: बीड़ी सम्मिलित नहीं, मेरे पास बीड़ी के आंकड़े नहीं हैं।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जानना चाहता था कि इन कम्पनियों का बाहर रुपया भेजने का या रैमिटैंस करने का जो अधिकार है, इस पर कोई प्रतिबन्ध है या वे जितना चाहें उतना रुपया अपने प्राफिट में से बाहर भेज सकते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे विचार में उसका विनियमन १९४९ की विदेशी पूंजी नीति के आधीन होता है।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या आंध्र में सिग्रेट का उत्पादन होता है जहां वर्जीनिया तम्बाकू बहुत मात्रा में उत्पन्न किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे पास राज्य अनुसार आंकड़े नहीं हैं।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री तुलनात्मक दृष्टि से बता सकते हैं कि देश में बीड़ी का उपभोग बढ़ रहा है अथवा सिग्रेट का।

श्री ए० सी० गुहा: मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहियें।

कुमारी एनी मस्करीन : देश में सिग्रेट के अत्याधिक उपभोग का ध्यान रखते हुए क्या सरकार के पास बीड़ी के देशीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है ?

श्री ए० सी० गुहा : वह पहले ही बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित की जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय सिग्रेट को कोई प्रोटैक्शन दे रखा है ; यदि नहीं दे रखा तो इस का क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सारे वित्त-मंत्रालय पर विचार नहीं कर रहे ।

श्री ए० सी० गुहा : विदेशी सिग्रेटों पर भारी आयात शुल्क लिया जाता है । मैं समझता हूं कि भारत में विदेशों के बनें हुए सिग्रेट बिल्कुल नगन्य मात्रा में प्रयोग में लाये जाते हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : ३० करोड़ रुपये की राशि नगन्य है ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : शुल्क सहित ।

डा० एम० एम० दास : सिग्रेटों के आयात पर आयात शुल्क किस दर से लिया जाता है । क्या सिग्रेटों और तम्बाकू के शुल्क दर में कुछ अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्य प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची को देख सकते हैं । इस पर सदन का समय व्यर्थ नष्ट करने से क्या काम । अगला प्रश्न ।

विद्यार्थियों के लिए युवक-शिविर तथा शारीरिक सेवा

*१०२०. **श्री दाभी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पंच वर्षीय योजना में विद्यार्थियों के लिये युवक शिविर तथा शारीरिक सेवा के लिये केन्द्रीय सरकार की एक करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कार्यक्रम बनाया गया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में क्या कार्य क्रम बनाया गया है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) सारे सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से एक कार्य क्रम बनाया जा रहा है ।

(ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है और वह सदन पटल पर रखी जायेगी ।

श्री दाभी : कार्य क्रम कब बनाया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : यथा शीघ्र ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्यों कि चालू वर्ष के छः मास समाप्त हो चुके है, और यदि यह इस वर्ष कार्यान्वित होना है तो स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, इस दृष्टि से क्या हम जान सकते हैं कि इस वर्ष क्या व्यय होगा ?

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में हम कुछ केन्द्र खोल चुके हैं । वे कार्य कर रहे हैं । योजना विस्तृत रूप से तैयार की जा रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उन्होंने कितने राज्यों में योजनायें बनाई हैं ?

श्री ए० पी० जैन : एक केन्द्र श्रीनगर में खोला जा चुका है । दूसरा केन्द्र बम्बई

विश्व विद्यालय के सहयोग से बम्बई में खोला जा रहा है। दो प्रशिक्षा योजनायें, एक दिल्ली में और दूसरी बेलगाम में, संगठित की जा रही हैं।

श्री दाभी: क्या मैं बम्बई में केन्द्र का काम जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन: मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त: विश्व-विद्यालय, कालेज और स्कूलों के सिवाय दूसरी प्राईवेट संस्थायें अगर यह काम करें तो क्या उनको मदद मिलेगी या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन: यथाचित उन संस्थाओं को छोड़ा नहीं जायेगा। परन्तु योजना को अन्तिम रूप मिलने तक कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या ये युवक शिविर तथा शारीरिक सेवा योजनाऐं केवल नगर के विद्यार्थियों के लिये है, या योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन: युवक शिविरों में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा कालेज आदि के अध्यापकों को लिया जाता है। शारीरिक सेवा प्रशिक्षा केन्द्रों में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि विद्यार्थी केवल ग्रामीण क्षेत्र के हों अथवा नगर क्षेत्र के हों।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या ये प्रशिक्षा केन्द्र होंगे, अथवा क्या वे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, और क्या उन्हें इस के लिये कुछ दिया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन: ये प्रशिक्षा केन्द्र हैं जहां शारीरिक परिश्रम की प्रशिक्षा दी जायेगी।

श्री नाना दास: इन युवक शिविरों तथा शारीरिक सेवा शिविरों के लिय [illegible] द्यार्थिय का चुनाव करते समय चुनाव परिषद किन किन बातों को महत्व देगी ?

श्री ए० पी० जैन: काम करने तथा प्रशिक्षा प्राप्त करने के लिये व्यक्ति की इच्छा तथा उत्साह।

उपाध्यक्ष महोदय: अग्रेतर प्रश्न।

श्री के० पी० त्रिपाठी: उठे——

उपाध्यक्ष महोदय: हम अगले प्रश्न पर जा चुके हैं।

श्री पुन्नूस: क्या माननीय मंत्री का अभिप्राय है कि : . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री का अभिप्राय वही है जो वह कहते हैं।

श्री पुन्नूस: उन्होंने बताया कि 'योग्यता' प्रशिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होता है। क्या उनका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति चुन लिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: सेवा करने की इच्छा।

श्री पुन्नूस: वह उस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझ सकता हूं माननीय सदस्य स्पष्टीकरण कैसे चाहते हैं ?

राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए भूतपूर्व सैनिक

***१०२१. सरदार ए० एस० सहगल:** (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामूहिक विकास योजनाओं के लिये भूतपूर्व सेनिकों का उपयोग करने का है ?

(ख) अब तक सरकार को कितने भूतपूर्व सेनिकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(ग) ग्राम सेवक के रूप में काम करने के लिये कितने भूतपूर्व सेनिकों की आवश्यकता होगी और उनके कर्तव्य क्या होंगे ?

(घ) प्रशासकीय कार्यों का अनुभव होने की दृष्टि से क्या भूतपूर्व कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जूनियर कमीशनड औफीसर्स) तथा वारंट अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी ?

रक्षा उप-मन्त्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) अब तक लगभग ३,००० प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं ।

(ग) योजना आयोग का अनुमान है कि अगामी तीन वर्षों में लगभग १२,४४० ग्राम सेवकों की आवश्यकता होगी । यह विचार किया जाता है कि ऐसे कार्य के लिये भूतपूर्व सेनिक बहुत ही उपयुक्त होंगे और राज्य सरकारों से जो ग्राम सेवकों की नियुक्ति के लिये उत्तरदायी हैं, भूतपूर्व सेनिकों के अनुभव तथा संगठित करने की क्षमता से लाभ उठाने तथा जहां सम्भव है वहां उनकी नियुक्ति करने की प्रार्थना की गई है । उनके कर्तव्य होंगे :

(१) ग्रामवासियों तथा सामूहिक योजना प्रशासन एवं ग्राम पुर्नर्निर्माण संम्बन्धी विभाग के बीच संबन्ध यत्न के रूप में काम करना ।

(२) ग्राम वासियों की आवश्यकताओं को जानना, आवश्यक सुधारों को जानना टैक्निकल सहायता का प्रबन्ध करना, आवश्यक मजदूरों का प्रबन्ध करना यथा योजना को कार्यान्वित करने के कार्य की देख भाल करना ।

(३) व्यक्तियों में उच्च जीवन स्तर की इच्छा उत्पन्न करना तथा उन्हें स्वयं के लिये विचार करने, योजना बनाने तथा कार्य करनें के लिये तैयार करना ।

(घ) हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं ने अभी विचार किया है । माननीय सदस्य कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे कि इन सब मामलों में क्या व्यक्तियों का चुनाव अटकल पच्चू होता है या कुछ न्यूनतम योग्यता के आधार पर तथा चुनाव करने वाले व्यक्तियों को कुछ निदेश दिये जाते हैं । अतः जब भी इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह 'केवल सेवा कहने की इच्छा' करने के बजाये न्यूनतम योग्यता अनुभव काल आदि सम्बन्धी विधि या नियमों का । यदि ऐसा कुछ हो, उल्लेख करें । सेवा करने की इच्छा बिना कोई भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है । अतः यह कोई योग्यता नहीं होगी । इन परिस्थितियों में, इसका परिणाम अत्यन्त बाद प्रतिबाद होता है । प्रश्न का भाव समझा जा सकता है, चाहे वह जल्दी में कैसी ही भाषा में किया गया हो । वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति उपाध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और फिर यथा सम्भव शीघ्र प्रश्न पूछना चाहता है । अतः मैं सब माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जहां तक सम्भव हो वे अपने प्रश्न छोटे जल्दी तथा स्पष्ट रूप में किया करें । इस के साथ साथ, मंत्रियों को इस की केवल भाषा पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु उसका भाव समझना चाहिए । यदि वे उत्तर दे सकते हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए । अन्यथा उन्हें कहना चाहिए । कि वे उत्तर देने में असमर्थ हैं । अन्यथा, इस से हृदय में जलन उत्पन्न होती है और यह भाव उत्पन्न होता है कि वे टाल मटोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : व्यवसायिक रोग ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन): जब

पिछला प्रश्न किया गया था, मैंने बताया था कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी तथा कालेजों के अध्यापकों को युवक शिविरों में लिया जा सकता है ।. इस के अतिरिक्त चुनाव-कसौटी, केवल सेवा करने की इच्छा ही हो सकती है । न्यूनतम योग्यता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भवत : वह यह नहीं सुन सके । मैंने भी यह नहीं सुना था। अथवा मैं यही कहता कि उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री ए० पी० जैन: यही मेरा विचार है ।

उपाध्यक्ष महोदय: सेवा करने की इच्छा तो पहले ही स्वीकार की जा चुकी है ।

श्री ए० पी० जैन: यह सत्य है परन्तु न्यूनतम योग्यता रखी जाती है । अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि १०० प्रार्थना पत्र हैं और रिक्त स्थान २० हैं तो इन में से कौन से २० व्यक्ति लिये जाने चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। श्री सहगल ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सेना अधिकारियों को ग्राम सेवक संघों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का है ?

सरदार मजीठिया : हां, श्रीमान् प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि जहां कहीं वे उपयुक्त हैं वे, अपनी संगठन करने की उत्तम क्षमता तथा व्यक्तियों से यथोचित ढंग में काम लेने की योग्यता के कारण नियुक्त किये जायेंगे ।

श्रीमती ए० काले: मैं जान सकती हूं कि क्या भूतपूर्व स्त्री सेनिकों को जिनकी दशा सर्वथा दयनीय है, काम देने का कोई कार्यक्रम है ?

सरदार मजीठिया: यदि स्त्रियों में आवश्यक योग्यतायें हैं तो उन्हें इस से अलग नहीं रखा जाता ।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि भूतपूर्व स्त्री सेनिकों को काम देने के लिये उनका कोई विशेष कार्यक्रम है--क्या सरकार का विचार उनके लिये कोई कार्यक्रम बनाने का है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भेद भाव नहीं है । अधिक और कुछ नहीं कह सकता । यदि वे उपयुक्त हैं वे निश्चय ही चुन ली जायेंगी।

श्री एन० एम० लिंगम: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इन भूतपूर्व सेनिकों को, इस के पूर्व की उन्हें राष्ट्रीय विस्तार योजना के अन्तर्गत कार्य पर नियुक्त किया जाय । इस दृष्टि से कोई प्रशिक्षा देने का है कि उन्हें पिछला अनुभव . . . .

उपाध्यक्ष महोदय: वह सब भूमिका तथा सर्व संग्रह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछा जा चुका है । हां, माननीय मंत्री ।

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि वे व्यक्ति, जो पूर्णतया शर्तों की पूर्ति नहीं करते, विशेष प्रशिक्षा पायेंगे , और उस काल में, उन्हें पचास रुपया प्रति मास छात्रवृति और मिलेगी ।

श्री दाभी: क्या मैं भूतपूर्व स्त्री सेनिकों की लगभग संख्या जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया: इस समय मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि 'दुर्व्यवहार करना'(मैनहैंडलिंग) ग्राम सेवक की एक योग्यता है ?

सरदार मजीठिया : 'दुर्व्यवहारकरना' (मैनहैंडलिंग) जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने समझा है , व्यक्ति से काम लेने की योग्यता से सर्वथा भिन्न हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार था कि यह "व्यक्ति के साथ यथोचित व्यवहार करने" के स्थान पर प्रयोग हुआ है ।

श्री सारंगधर दास : मैं आप से सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल "मैनहैंड-लिंग" समझो ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि "मैनहैंडलिंग" से उनका अभिप्राय वास्तव में 'व्यक्ति से काम लेने' से है अथवा "दुर्व्यवहार करना" जैसा कि अन्य व्यक्ति इस से समझते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसका अर्थ समझते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या उन भूतपूर्व सेनिकों को, जिन्हें स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नौकरी से हटाया गया था, ऐसी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जायेगी ?

सरदार मजीठिया : मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि उन्हें क्यों उपयुक्त व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाये ।

श्री मुनिस्वामी : माननीय मंत्री नें अभी बताया था कि उन्हें ३००० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । क्या वह हमें यह बता सकते हैं कि मद्रास से कितने आये थे ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मेरे पास राज्यानुसार आंकड़े नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : अभी तक कितनी औरतें ली गई हैं, और यदि नहीं ली गई हैं तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि सभी औरतें अयोग्य हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं सादर निवेदन करुंगा कि यदि माननीय स्त्री सदस्या ने मेरी बातों को ज़रा और ध्यान से सुना होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि राज्य सरकारें ऐसे आदमियों को भर्ती करने जा रही है । हमने केवल सिफारिश की है ।

श्री रघवय्या : जहां पर भूतपूर्व कर्मचारियों को यह नौकरी दी गई है, क्या उन को भी एक सहायता के तौर पर इस नौकरी के साथ साथ, ज़मीनें दी जायेंगी ?

सरदार मजीठिया : यह कोई शर्त नहीं है । उन्हें १०० रुपयें प्रति मास मिलेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, डा० दास । सदन में बहुत अधिक बात चीत हो रही है । शान्ति, शान्ति । मेरी सदस्यों से बात न करने की अपील के बावजूद भी वे बात करते हैं ।

सोना तथा डालर रक्षित कोष

*१०२२. **डा० एम० एम० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे !

(क) यदि जुलाई १९५२ से मई १९५३ में स्टर्लिंग क्षेत्र के सोना तथा डालर रक्षित कोष की वृद्धि के लिये भारत ने कोई अंशदान किया है, तो वह क्या है ;

(ख) इस वृद्धि से जहां तक दुर्लभ मुद्रा का संबंध है, भारत की विदेश विनिमय की कठिनाइयां कहां तक हल हो गई हैं; और

(ग) उक्त वृद्धि के भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जुलाई १९५२ से मई १९५३ में स्टर्लिंग क्षेत्र के सोना तथा डालर रक्षित कोषों में लगभग ६३६० लाख

डालर की जो वृद्धि हुई है, उस में भारत का कुल अंशदान लगभग ६४० लाख डालर था ।

(ख) और (ग). स्टर्लिंग क्षेत्र के सोना तथा डालर रक्षित कोषों में जो सुधार हुआ है उस से हमें डालर क्षेत्र से आवश्यक आयातों के लियें लाइसेन्स की व्यवस्था में कुछ ढ़ील करने का कुछ अवसर मिला है । अभी भी रक्षित कोष बहुत बड़े नहीं हैं । स्टर्लिंग क्षेत्र के रक्षित कोष में लगातार वृद्धि से बहुपक्षीय व्यापार तथा भुगतानों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी, जिस से आगे चल कर भारत के विदेशी व्यापार पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्टर्लिंग क्षेत्र के सोना तथा डालर रक्षित कोषों की यह वृद्धि गत तीन महीनों में अर्थात जून, जुलाई तथा अगस्त में कायम अथवा जारी रखी गई है ?

श्री बी० आर० भगत: हां । मई में वृद्धि ६० लाख डालर थी, जून और जुलाई के आंकड़े अन्तर्कालीन हैं, और वे क्रमशः १३० लाख डालर तथा १०० लाख डालर हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि हमारी कुल डालर की कमाई का कोई भाग हमारे हिसाब में नहीं लिखा जा रहा है और वह विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा रोक रखा गया है ?

श्री बी० आर० भगत: मुझे उस का ज्ञान नहीं है । मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशिष्ट जानकारी देंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत की ऐसी भी कोई डालर की कमाई है जो व्यय नहीं की गई है, और यदि ऐसा है तो क्या जब हम उनका विनियोग नहीं करते, तब इंग्लैण्ड उनका विनियोग करता है । यदि ऐसा है, तो यह किस संविदा-के आधीन किया जा रहा है ?

श्री बी० आर० भगत: मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य का विशेष अभिप्राय किस चीज़ से है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के ऐसे डालर के बकाया जो खर्च नहीं हुए हैं, हमारे हिसाब में लिखे जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरायेंगे ?

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या मैं जान सकता हूं कि जब हम उन का उपयोग नहीं करते हैं तब क्या बिना खर्च हुए डालर के बकाया, जो सम्मिलित कोष (पूल) के अन्दर हैं, उन का इंगलैण्ड उपयोग करता है और यदि करता है तो किस संविदा के आधीन ?

श्री बी० आर० भगत: इस का दूसरे विषय से संबंध है । हमारे स्टर्लिंग बकाय करार के अनुसार हमारे पास एक विशेष उपबंध है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, क्या ब्रिटेन की ओर से इस स्टर्लिंग को डालरों में परिवर्तनीय बनाने के लिये कोई प्रस्ताव किया गया था, और यदि ऐसा है तो क्या इस मामले के बारे में भारत सरकार से सलाह ली गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का संबंध सोना और डालर रक्षित कोषों से है, परि-वर्तनीयता से नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: स्टर्लिंग क्षेत्र के रक्षित कोषों को डालरों में परिवर्तनीय बना ने के लिये ब्रिटेन ने एक वार्ता आरंभ की थी। मैं

यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार से सलाह ली गई थी, क्योंकि वह भी इस स्टर्लिंग क्षेत्र की एक सदस्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का संबंध केवल उन रक्षित कोषों से है जो हमारे पास हैं ।

श्री के० के० वसु: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयात नियंत्रणों की इस ढ़ील के होते हुए भी, वस्तुत : आयात बढ़ गए हैं ?

श्री बी० आर० भगत: वे बढ़ाये जा रहे हैं । मासिक औसत आंकड़ों से पता चलता है कि वे बहुत थोड़ा बढ़ाये जा रहे हैं हैं । जुलाई १९५२ से दिसम्बर १९५२ के काल में वे अवनति पर थे लेकिन १९५३ के पूर्वार्द्ध में उन में वृद्धि होती रही है ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या हम भारत द्वारा कमाये गये सोने और डालर के रक्षित कोषों की सारी राशि व्यय कर रहे हैं और यदि नहीं तो बकाया का क्या होता है ? क्या वह इस सम्मिलित कोष के किसी अन्य भागीदार देश द्वारा व्यय किया जाता है ?

श्री बी० आर० भगत: जो व्यय नहीं होता वह बकाया में जमा हो जाता है । इसी प्रकार हमारे उधार बकाया में ६४० लाख डालर की वृद्धि हुई है ।

श्री बंसल: क्या यह तथ्य नहीं है कि अमरीका तथा अन्य डालर देशों के साथ हमारा विपरीत व्यापार संतुलन है ? यदि ऐसा है, तो फिर फालतू डालर रक्षित कोषों का उपयोग करने का प्रश्न कैसा उठता है ?

श्री बी० आर० भगत: इस का संबंध हमारे निर्यात से भी है । हमने डालर रक्षित कोष निर्यात बढ़ा कर और आयात कम करके जमा किये हैं ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम लोग इस विषय पर वादविवाद कर रहे हैं ? श्री एस० एन० दास ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ज़्यादा का और कम का बीजक बनवा कर विनिमय नियंत्रण के उल्लंघनों के मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, और यदि ऐसा है, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य विनियम नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन की ओर निर्देश कर रहे हैं । पता नहीं इस प्रश्न से यह बात कैसे पैदा होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है । हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान, एक प्रश्न ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सभी सदस्यों ने सभी अनुपूरक प्रश्न पूछ लिये हैं । माननीय सदस्यगण इस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं । वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जब माननीय वित्त मंत्री यहां होंगे ।

प्रकृष्ट शिक्षा विकास

***१०२३ श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री उन चुने हुए क्षेत्रों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जहां पर प्रकृष्ट शिक्षा विकास की योजना क्रियान्वित की जा रही है ?

(ख) क्या यह प्रयोगात्मक प्रयत्न है अथवा यह उन क्षेत्रों में आज कल चालू सामान्य शिक्षा व्यवस्था का स्थान लेगी ?

(ग) अभी यह योजना किस कक्षा तक बनाई जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २७ (ख) सारी योजना राज्यों में बुनियादी शिक्षा के सामान्य गुण को सुधारने के उद्देश्य से एक अग्रगामी परियोजना के रूप में है ।

(ग) प्रारंभिक (बुनियादी) स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर (प्रशिक्षण) कालेज स्तर तक ।

माननीय सदस्य का ध्यान ५ अगस्त १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन शिक्षार्थियों को चुनने में सिर्फ शिक्षा विषयक योग्यता देखी जाती है या और दूसरी भी ?

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान, एक वैधानिक प्रश्न है । हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये कई प्रश्न पूछे गये हैं । आप को यह भी पता है कि तिथियां काफी पहले निश्चित कर दी गई हैं । यह बहुत बुरी बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं । आम तौर पर हमें उत्तर या तो शिक्षा मंत्री या उन के सहायक अथवा सभा-सचिव, जो भी यहां पर उस समय उपस्थित हों, से प्राप्त होते हैं । यह बड़े दुःख की बात है कि अब पुनर्वास मंत्री से शिक्षा मंत्रालय को भी पुनर्वासित करने के लिये कहा गया है । उन से इन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की आशा नहीं की जा सकती ।

श्री के० के० बसु : वह केवल फाइलें देख रहे हैं और सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन माननीय मंत्रियों को प्रत्येक अवस्था में फाइलें देखने का अधिक अवसर मिलता है जो किसी विशेष मंत्रालय के भार साधक होते हैं । और माननीय सदस्य गण भी यह कठिनाई अनुभव करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो केवल वर्तमान प्रयोजन के लिये ही सिखाया पढ़ाया गया हो वह परिस्थिति से निपट नहीं सकता । फिर भी श्री जैन अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह निबाहते रहे हैं । लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिये सारी चीज़ को जानना और समझना कठिन बात है । वह केवल उतना ही जान सकता है जितना कि उस को दिये गये कागजों में मिल पाये और फिर भी सारी बातों को जानने के लिये केवल एक दिन की पूर्व सूचना बहुत कम होगी । मैं इस में कठनाई का अनुभव करता हूं । इन परिस्थितियों में मैं आम तौर पर यह आशा करूंगा कि भारसाधिक मंत्री यहां उपस्थित रहें, ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जो टाली न जा सकती हों । लेकिन उन का यह कर्तव्य हैं कि वे सदन को अथवा कम से कम मुझे इस बात की सूचना दे दें कि अमुक व्यक्ति अमुक प्रश्न का उत्तर देगा । इस मामले में सूचना दी गई है लेकिन अन्यथा मुझे आश्चर्य है । अब से आपवादिक कारणों को छोड़ कर माननीय मंत्रीगण निश्चय ही यहां उपस्थित रहेंगे, ताकि वे अनुपूरक प्रश्न को निपटा सकें और उन्हें फाइलों में देखने तथा समय मांगने की आवश्यकता न पड़े । मुझे विश्वास है कि वे इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता था कि इन अभ्यार्थियों के चुनाव में शिक्षा संबंधी अर्हताओं के अतिरिक्त क्या अन्य चीजों का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री हेडा : इस शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम या कैरिकुलम बनाया जाता है क्या उस को बनाते समय प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है और जो वहां के उद्योग धंधे होते हैं, उन का भी लिहाज़ रखा जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: इस के लिये तो अलाहदा अलाहदा इन्स्ट्यूशन्स हैं जिन के अनुकूल एरियाज छांट ली जाती हैं और वहां पर इन्टेन्सिव ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जाता है । जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध है वह तो बेसिक एजुकेशन का वही होता है जो दूसरी जगह बेसिक एज्यूकेशन में होता है और ट्रेनिंग भी वही होती है, इस में मंशा यह है कि केन्द्र छांटे जाते हैं और वहां इसे इन्टेन्सिव तरीके से किया जाता है ।

श्री गौडिलिंगन गौड़: क्या मैं मद्रास म चुना गया क्षेत्र जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन: पश्चिम गोदावरी।

श्री के० के० बसु: क्या मैं सारे भारत में प्रकृष्ट शिक्षा केन्द्रों की संख्या और राज्यानुसार आंकड़ जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन: मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । त्रिपुरा को छोड़ कर प्रत्यक राज्य में एक केन्द्र है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: ऐसी कितनी योजनायें स्वीकृत हुई हैं ?

श्री ए० पी० जैन: त्रिपुरा को छोड़ कर वह सभी राज्यों में है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: कितनी स्वीकृत हुई हैं ?

श्री ए० पी० जैन: ये स्वीकृत और क्रियान्वित हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह बात इस योजना के अनुसार है कि दिल्ली के निकटतम पड़ोस में स्कूल बन्द किये जा रहे हैं ? मेरा अभिप्राय विशेष रूप से अलीगढ़ के लड़कियों के स्कूल के बंद होने से है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कटोक्ति पूर्ण प्रश्न है और इस के उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

पदाधिकारियों के वेतन

*१०२४. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास सरकार का अपने राज्य में केन्द्रीय सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के आधीनस्थ पदाधिकारियों के वतनों में दस प्रतिशत की एक कटौती करने का कोई प्रस्ताव था ?

(ख) क्या भारत सरकार ने मद्रास सरकार को ऐसा करने की अनुमति देना अस्वीकार कर दिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मद्रास सरकार का भारतीय असैनिक सेवा, भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे पदाधिकारियों के वेतनों में दस प्रतिशत कटौती करने का विचार था जो राज्य सरकार के आधीन काम कर रहे हैं ।

(ख) हां ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार ने सम्बद्ध पदाधिकारियों की कटौती पूरी कर दी है ?

श्री दातार : श्रीमान् जी, जहां तक इन अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का सम्बन्ध है उस के विषय में कोई कटौती नहीं की गई थी और हमें ज्ञात हुआ है कि मद्रास सरकार ने अपनी सेवाओं में कटौती पूरी कर दी है ।

श्री गिडवानी : कटौती को पूरा करने के क्या कारण हैं ? भारत सरकार ने उन्हें कटौती लागू करने की अनुमति देने से क्यों इन्कार कर दिया ?

श्री दातार : भारत सरकार मद्रास सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकी क्यों कि एक समान वेतन स्तर रखना वांछनीय समझा गया और किसी विशेष राज्य में कोई भेद-भाव नहीं करना चाहिए ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने सारे भारत में एक समान कटौती करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): अभी तक तो नहीं ।

श्री दामोदर मेनन: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस पर विचार न करने का क्या कारण है ?

डा० काटजू: माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सभी सेवाओं के, विशेषतया अखिल भारतीय सेवाओं के, वेतनों के प्रश्न की हाल में—मेरे विचार में लगभग दो वर्ष पूर्व—वेतन आयोग द्वारा परीक्षा की गई थी और भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सेवाओं के वेतन निश्चित किये गये थे । इस प्रश्न की अखिल भारतीय रूप से पुनः परीक्षा करने का अभी तक कोई अवसर नहीं आया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय मंत्री की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार वेतन आयोग के निश्चयों का पालन करने के लिये तैयार है, अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में उन के निश्चयों को लागू करने के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० काटजू : कठिनाई यह है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन इतना मोटा है (प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रति दिखाते हैं) और मुझ से यह आशा नहीं की जा सकती कि मैं उस का आदि से अन्त तक एक एक अक्षर पढ़ूं । परन्तु मैं माननीय सदस्या के इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह तो एक सिद्धान्त का प्रश्न है ।

कई माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में पर्याप्त प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं । मैं अभी दसवें प्रश्न पर पहुंचा हूं और अब केवल पांच या छः मिनट शेष रह गये हैं । क्या यह ठीक है ?

डा० काटजू: क्या मैं आप की अनुमति से सदन को यह स्मरण करा सकता हूं कि मैं घड़ी देखता रहा हूं और हम आज अभी तक केवल बारह प्रश्न ही समाप्त कर सके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मुझे आवश्यकता से अधिक श्रेय दे रहे हैं । केवल दस प्रश्न ही निबटाये गये हैं ।

डा० काटजू: हम सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने के लिये उत्सुक हैं । यदि माननीय सदस्य केवल दस या बारह प्रश्नों पर ही जमे रहें तो इस से देश की बड़ी हानि होगी । सभी प्रश्न पूछे जाने चाहिएं ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): महत्वपूर्ण प्रश्नों में अधिक समय लगता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: कठिनाई यह है । जो कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उस में बहुत से माननीय सदस्यों को रुचि होती है और तब वे अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं । परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि जिन अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछने का कष्ट किया है इस से उन का रास्ता रुक जाता है । इस में सन्देह नहीं कि सभी माननीय सदस्य बड़े परिश्रमी हैं किन्तु जो सदस्य कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने के, तुरन्त बाद उस प्रश्न को अपना समझ कर उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने लगते हैं मैं इस की आज्ञा कैसे दे सकता हूं ? क्या यह उन माननीय सदस्यों के साथ न्याय होगा जिन्होंने प्रश्नों की पूर्वसूचना दी है । एक या दो प्रश्न तो, निस्सन्देह, पूछे जा सकते हैं, परन्तु जो प्रश्न पड़े हुए हैं उन्हें नहीं रोकना चाहिये । अभी तक मैं १० प्रश्नों से अधिक नहीं निबटा सका हूं । जो प्रश्न भी पूछा जाता है वह

अन्य सब प्रश्नों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है ।

सरदार हुक्म सिंह : सम्भव है केवल सात या आठ प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया हो । अन्य सदस्य यदि अनुपूरक प्रश्न न पूछें तो और क्या करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हों उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने और उन का उत्तर प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : परन्तु वह तो सदन की सम्पत्ति हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं केवल एक ही प्रश्न पूछने की अनुमति दूं ? अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

रक्षा सामग्री (स्टोर्स)

***१०२५. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रक्षा अधिकारियों ने बहुत अधिक मात्रा में रक्षा सामग्री फालतू घोषित कर दी है;

(ख) क्या उस सामग्री को रखने के लिये आवश्यक भण्डारों की सुविधायें विद्यमान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उस फालतू सामग्री को बेच देने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) सारी सामग्री के लिये ये सुविधायें नहीं हैं ।

(ग) इन की सूचना सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को दे दी गई है जो कि फालतू सामग्री के वास्तविक उत्सर्जन के लिये उत्तरदायी है ।

डा० राम सुभग सिंह : जितना यह सरप्लस गुड्स डिक्लेअर किया गया है उस का अन्दाज़न कितना मूल्य होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इस वक्त डाइरेक्टर जनरल के पास जितना सामान डिस्पोज़ल के लिये बाकी है उस का मूल्य करीब साढ़ ग्यारह करोड़ रुपया है व दैत्य है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि यदि इन सामानों को जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ आफ नहीं किया जायेगा तो इस में से बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जायेगा और गवर्नमेंट को लास होगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : श्रीमान्, रक्षा मंत्रालय का काम कहना है और निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय का काम उसे निबटाना है ।

डा० राम सुभग सिंह : चूंकि कैबिनेट की यहां जवाबदेही संयुक्त है, इस लिए जो मंत्री महोदय ने कहा कि मिनिस्ट्री आफ वर्क्स हाउसिंग एंड सप्लाई डिस्पोज़ेज़ एंड डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोपोज़ेज़ तो क्या किसी को इतनी ताकत नहीं है कि कोआर्डिनेटेड ढंग से सब काम करा सके ?

श्री सतीश चन्द्र : इस बात का बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द डिस्पोज़ल हो सके । डिफेंस मिनिस्ट्री इस के लिये खुद भी बहुत उत्सुक है कि इस का जल्दी ही डिस्पोज़ल हो, क्योंकि सब सामान रखने के लिये हमारे पास जगह नहीं है और इस को रखने के कारण बहुत-सा व्यर्थ खर्चा हो जाता है । इसलिए पूरी कोशिश हो रही है कि इस को जल्द ही डिस्पोज़ आफ कर दिया जाये ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि हमारे पास इतनी सामग्री शेष कैसे रह गई—क्या हम पहिले अपनी आवश्य-

कताओं का अनुमान लगा कर उतनी ही सामग्री नहीं मंगवा सकते थे ?

श्री सतीश चन्द्र: श्रीमान् जी, यह सामग्री युद्ध-काल में इकट्ठी हो गई थी । गत महायुद्ध में यहां सभी प्रकार की सामग्री आई थी और आज यह हमारी आवश्यकताओं से फालतू हो गई है ।

श्री पी० एन० राजभोज: आनरेबल मिनिस्टर साहब यहां तो यह जवाब दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ आफ हो जायेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि पूना में और दूसरी जगहों पर जो सामान सड़ रहा है उस को क्यों जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ आफ नहीं किया जाता ? अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो बताइये कि दो महीने में या तीन महीने में या चार महीने में करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कैसे बताया जा सकता है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जो सामग्री फालतू घोषित की गई है उसका कितना अंश विदेशों से खरीदा गया था और जो सामग्री फालतू घोषित की गई उस के खरीदने की सब से पहिली तिथि कौन-सी है ?

श्री सतीश चन्द्र: अब जो हमारे पास फालतू सामग्री पड़ी है उस में से अधिकांश गत महायुद्ध के समय विदेशों से खरीदी गई थी । वास्तव में उन्हें सम्भालना बड़ा कठिन है । उन के बड़े बड़े अम्बार लगे हुए हैं और उन्हें बेचने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्रीमान् जी, एक प्रश्न और ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह पुराने संग्रहों के सम्बन्ध में है । अगला प्रश्न ।

भाग 'ग' राज्य

*१०२६. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या राज्य मंत्री मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा भाग ग राज्यों की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की एक प्रति सदन पटल पर रखने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भाग ग राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सिफ़ारिशों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई पग उठाये गये हैं; तो वे क्या हैं, और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): ज्ञापन की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३**]

(क) इन में से अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।

(ख) उपराज्यपालों और मुख्य आयुक्तों को वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं जिन का प्रयोग वे मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा से करेंगे ।

(२) उपराज्यपालों और मुख्य आयुक्तों को केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी १ तथा २ के सम्बन्ध में नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में पूर्ण अधिकार दे दिये गये हैं ।

(३) सरकार ने भाग ग राज्यों को अपना पूंजीगत आय-व्ययक बनाने के सम्बन्ध में अधिकार देने के लिये भाग ग राज्य सरकार अधिनियम में संशोधन करने का निश्चय किया है । इस सम्बन्ध में एक विधेयक सदन के समक्ष पुर:स्थापित किया जायेगा ।

(४) कुछ भाग 'ग' राज्यों के कार्यक्रम के नियमों को संशोधित कर दिया गया है जिस से कि वे राज्य विवादरहित और सामान्य प्रकार के विधान को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही बना सकें।

(ग) सदन में विधेयक को पुर:स्थापित करने के सम्बन्ध में जो पग उठाये गये हैं उन के अतिरिक्त और सभी पगों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

श्री एस० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो भाग ग राज्यों को सुधार दिये गये हैं इस के सम्बन्ध में सरकार ने कोई घोषणा निकाली है या नहीं ?

डा० काटजू : घोषणा किस के लिए ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : सम्बन्धित राज्यों के लिए।

डा० काटजू : उनको मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त।

अल्पसूचना प्रश्न तथा उत्तर

औद्योगिक विकास के लिये विशेष शिक्षा योजनायें

श्री एस० एन० दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेकार व्यक्तियों को काम दिलाने के लिये भारत सरकार ने कोई विशेष शिक्षा योजना और औद्योगिक विकास का शक्तिशाली कार्यक्रम जिस पर कि क्रमश: लगभग १२ करोड़ रुपये और ३०० करोड़ रुपये व्यय होंगे, मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र ने कितना धन देने का वचन दिया है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय में कोई वित्तीय उत्तरदायित्व स्वीकार किया है।

(घ) यदि हां, तो उन्हों ने कितना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है; और

(ङ) जो योजनायें और कार्यक्रम मंजूर किये गये हैं उन का ठीक ठीक स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने शिक्षित बेकार व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिये एक विशेष शिक्षा विस्तार कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इस के अतिरिक्त और कोई औद्योगिक विकास कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है, इस कार्यक्रम को जिस की रूपरेखा पहिले ही योजना में बतलाई जा चुकी है शिक्षितों की बेकारी को दूर करने के लिये ठीक ढंग से प्रयोग में लाया जायेगा।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये १४.७ करोड़ रुपये।

(ग) राज्य सरकारों को २० अगस्त, १९५३ को ही पत्र लिखे गये थे और अभी तक उन का इस सम्बन्ध में टिप्पणी उपलब्ध नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिक्षा मंत्रालय के राज्य सरकारों को भेजे गये दिनांक २० अगस्त, १९५३ के पत्र संख्या एफ २–८।५३–डी० आई० की एक प्रतिलिपि, जिस में इस योजना का विस्तृत विवरण दिया हुआ है, सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को यह जो राशि दे रही है इस का वितरण किस आधार पर किया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, यह तो सम्बद्ध राज्यों की रुचि पर निर्भर होगा।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात की गणना कर ली है कि यदि राज्य सरकारों ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया तो वितरण किस अनुपात से किया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: यदि माननीय सदस्य इस पत्र को पढ़ें तो उन्हें यह ज्ञात हो जायेगा कि केन्द्र का उत्तरदायित्व क्या होगा और राज्यों का उत्तरदायित्व क्या होगा । प्रथम वर्ष में ७५ प्रतिशत केन्द्र का और २५ प्रतिशत राज्यों का उत्तरदायित्व होगा, दूसरे वर्ष ५०–५० और तीसरे वर्ष २५ प्रतिशत केन्द्र और ७५ प्रतिशत राज्यों का अंश होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, क्या इन अतिरिक्त कार्यक्रमों के फलस्वरूप सरकार का योजना के आकार को बढ़ाने का कोई विचार है; यदि है, तो कहां तक और कैसे और इस के लिये धन कहां से प्राप्त किया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, यदि सामान्यतया देखा जाये तो इस से योजना के किसी प्रकार से बढ़ने की आशा नहीं है । अब जो शिक्षा सम्बन्धी योजना बनाई गई है वह सम्भवत: उन कुछ शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का स्थान ले लेगी जो कि पहिले ही इस योजना में उसी सामान्य श्रेणी में सम्मिलित की हुई है ।

कुमारी एनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में लगाने के लिये कुछ राशि अलग रख दी गई है, जो स्कूल धनाभाव के कारण बन्द कर दिये गये थे वे इस अलग की हुई राशि से पुन: खोल दिये जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख: यदि माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि क्या बन्द स्कूलों के साथ नये स्कूलों के समान ही व्यवहार किया जायेगा, तो इस का उत्तर हां है । नया स्कूल खोलने और पुराने स्कूलों को पुन: खोलने में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, हम जान सकते हैं कि शिक्षा योजना के लिये ये जो १२ करोड़ रुपये दिये जायेंगे इन से किन किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा ? क्या हम उन के अलग अलग आंकड़े जान सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: पहिले माननीय सदस्य ने भी यही प्रश्न पूछा था । जब तक हमें राज्य सरकारों के रुख का पता नहीं लगता, विशेष रूप से जो योजना बनाई गई है उसे अपनाने के लिये उन की तत्परता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता तब तक हम यह नहीं बतला सकते कि प्रत्येक राज्य का भाग कितना होगा । सम्भव है कुछ राज्य यह कहें कि वे सारा भार नहीं उठा सकते । ऐसी अवस्था में इस समस्या पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं बेकारी को दूर करने के लिये बनाये गये शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: सार कार्यक्रम का ब्यौरा ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: उन्हों ने राज्य सरकारों को भेजा गया एक पत्र सदन पटल पर रखा है । क्या हम उस शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा जान सकते हैं जिसे क्रियान्वित करने के लिये ये १४ करोड़ और कुछ रुपये खर्च करने जा रहे हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: पत्र में यही कार्यक्रम बतलाया हुआ है ।

श्री बी० के० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना मंजूर हो

तो कितनी राशि और कितने अध्यापकों के लिये ?

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे यह विदित नहीं है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने औपचारिक रूप से कोई उत्तर भेज दिया है। कुछ दिन पूर्व वहां के मुख्य मंत्री यहां आये थे और उन्हों ने योजना आयोग के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी।

श्री एल० एन० मिश्र: भारत सरकार ने राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा है उस से यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने केवल ३ वर्ष की सीमित अवधि के लिये ही वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है। मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों से इस अतिरिक्त दायित्व को किस नये स्रोत से पूरा करने की आशा की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह कहना बहुत कठिन है कि तीन वर्ष के बाद अर्थात् प्रस्तुत योजना के पूरी होने पर राज्यों के नए संसाधन क्या होंगे। वह तो नई पंच वर्षीय योजना का अंग होगा जो कि यथासमय लागू करनी पड़ेगी।

श्री ए० एम० टामस: विकास परिषद् में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये प्रस्थापनाएं विकास परिषद् के सामने रखी गई हैं, रखी जाने का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख: जैसा कि मैं ने उस दिन कहा था, यह सम्भव है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक लगभग एक महीने में बुलानी पड़े। यदि उस समय तक इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका और कुछ बातें ऐसी हुईं जिन के परिषद् के सामने रखे जाने की आवश्यकता पड़ी तो वे बातें परिषद् के सामने रख दी जायेंगी।

श्री के० के० बसु: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना के पूरी तरह लाग होने पर कितने शिक्षित बकारों को रोज़गार मिल सकेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: लगभग ८८,००० को।

श्री के० के० बसु: यह कितने प्रतिशत होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह कहना बहुत कठिन है। हमारे पास शिक्षित बेकारों की कुल संख्या के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े नहीं हैं।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना के अतिरिक्त, शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने के लिए कोई और योजना भी सरकार के विचाराधीन है ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस सम्बन्ध में एक संकल्प हमारे सामने आ रहा है।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह निर्णय कर लिया गया है कि जो नए स्कूल खोले जायेंगे उन में किस ढंग की शिक्षा दी जायगी ? मूल शिक्षा या कि पुराने ढंग की शिक्षा ?

श्री सी० डी० देशमुख: मूल शिक्षा।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना के अतिरिक्त कोई और ऐसी योजना है जिस से कि कुटीर उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके और इन परियोजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके ?

श्री सी० डी० देशमुख: जी हां, योजना आयोग की चिट्ठी, जिस में बेकारी दूर करने का ११ बातों वाला कार्यक्रम है, में इस विषय की भी चर्चा की गई है। यह उन मामलों में से एक है जिन पर राज्यसरकारों को इस दृष्टि-कोण से विचार करना होगा कि बेकारी कम करने के उद्देश्य से किस विशेष कुटीर उद्योग की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज़ के बारे में प्लानिंग कमीशन ने कई स्कीमें बनाईं। लेकिन अमल में कोई नहीं आती है। तो अमल में कब आवेंगी, क्या आप यह बता सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : पांच साल बाद।

श्री पी० एन० राजभोज : पांच साल बाद आवेंगी, या अभी आवेंगी, यह बताइये।

श्री सी० डी० देशमुख : यह प्रश्न अप्रासंगिक मालूम होता है।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं ने सुना नहीं क्या जवाब दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य हिन्दी तो जानते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान की प्रतिभूतियां

*१०२७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या वित्त मंत्री २९ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८७ के दिये गये उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने २७ फरवरी, १९५१ के बाद से पाकिस्तान की प्रतिभूतियों उदाहरणार्थ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के ऋण तथा सिंध सरकार के ऋण, की संख्या तथा मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की है, जिन पर व्याज भारतीय खज़ाने द्वारा दिया जाना है और जिन पर भारत के स्थान में पाकिस्तान का नाम लिख दिया गया है ?

(ख) कराची पत्तन न्यास के कितने ऋणपत्र तथा कराची के कितने म्युनिस्पल ऋणपत्र २७ फरवरी १९५१ के बाद से इम्पीरियल बैंक आफ़ इण्डिया के बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास रजिस्ट्रों से कराची रजिस्टर में स्थानान्तरित किये गये हैं ?

(ग) क्या (क) तथा (ख) में उल्लिखित पाकिस्तानी प्रतिभूतियों पर नाम का परिवर्तन रजिस्टर का परिवर्तन तथा उन का निर्यात विदेश विनिमय के विनियमों के अधीन अनुमति लेकर किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो उन का भुगतान भारत में कैसे प्राप्त किया गया ?

(ङ) यदि नहीं तो ये प्रतिभूतियां किस प्रकार पाकिस्तान भेजी गईं ?

(च) पाकिस्तान में जो भारतीय प्रतिभूतियां थीं उन में से २७ फरवरी १९५१ के बाद कितनी प्रतिभूतियों पर पाकिस्तान के स्थान में भारत का नाम लिखा गया और कितनी भारत आईं ?

(छ) पाकिस्तान में जिन व्यक्तियों के पास ये प्रतिभूतियां थीं उन्हें इन का कितना मूल्य तथा किस रूप में दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी, हां। एक विवरण साथ में है जिस में यह जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) इम्पीरियल बैंक आफ़ इण्डिया इन प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर नहीं रखता।

(ग) से (ङ)। साथ में दिए गए विवरण में १,१९,९६,९०० रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य की जिन प्रतिभूतियों की चर्चा की गई है, उन में से ८२,८६,१०० रुपये के मूल्य की प्रतिभूतियां सम्भवतः विदेश विनिमय नियंत्रण के लागू होने से पहले ही पाकिस्तान भेज दी गई थीं क्योंकि २७ फरवरी, १९५१ के बाद उन पर भारत में कोई व्याज नहीं लिया गया। बाकी की लगभग सभी प्रतिभूतियां, जिन का मूल्य ३७,१०,८०० रुपये था, रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया की अनुमति से कुछ बैंकों तथा बीमा कम्पनियों की विशेष आवश्यकताएं

पूरी करने के लिए पाकिस्तान को स्थानान्तरित की गईं।

(च) एक विवरण साथ दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

(छ) रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है।

पाकिस्तानी बन्ध-पत्र

*१०२८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **वित्त** मंत्री २९ अप्रैल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८७ के दिए गए उत्तर को ध्यान में रख कर—जिस में यह कहा गया था कि लगभग ८३,००,००० रुपये प्रत्यक्ष मूल्य के पाकिस्तानी बंधपत्रों पर भारत के खज़ाने के स्थान में पाकिस्तानी खज़ाने का नाम लिखा गया—यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह नाम परिवर्तन तथा ८३,००,००० रुपये के मूल्य के इन पाकिस्तानी बंधपत्रों का पाकिस्तान को निर्यात विदेश विनिमय के विनियमों के आधीन किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इन का भुगतान भारत में किस प्रकार प्राप्त किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी, नहीं। लोक ऋण कार्यालयों से प्राप्त निर्सन सम्बन्धी सूचना में व्याज के भुगतान के बारे में जो ब्यौरा दिया गया था उस से यह मालूम होता है कि इन प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में २७ फरवरी १९५१ के बाद भारत में व्याज प्राप्त नहीं किया गया। इस से यह प्रकट होता है कि बहुत सम्भव है कि प्रतिभूतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लागू होने की तिथि अर्थात् २७ फरवरी १९५१ से पहले ही ये प्रतिभूतियां पाकिस्तान भेज दी गईं।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

बर्मा की मुद्रा

*१०२९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर में सीमा शुल्क विभाग द्वारा बर्मा की मुद्रा की जब्ती के बाद, उस के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी सिलचर में सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ करनी पड़ती है जिस का फल यह होता है कि अनजान ग्रामीणों को अपनी जब्त की गई मुद्रा वापिस प्राप्त करने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इम्फाल में एक उपाधीक्षक लगाया गया है जो ऐसे मामलों को निपटाता है और आवश्यक सहायता देता है परन्तु ऐसे मामलों का न्याय निर्णय, सिलचर में नियुक्त अधीक्षक को करना होता है क्योंकि उसी को कानून के अधीन आवश्यक अधिकार प्राप्त है। आदेश देने से पहले उसे, बिना अनुमति मुद्रा लाने वालों से ऐसा करने का कारण पूछना पड़ता है और इस में कुछ लिखा पढ़ी तो करनी ही पड़ती है।

(ख) सरकार अब इस सम्बन्ध में विचार करेगी कि इम्फाल में स्थित, केन्द्रीय आबकारी के उपाधीक्षक को छोटे छोटे मामलों में न्याय निर्णय करने का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं।

व्यवहार व्यय

*१०३०. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में भारत सरकार की ओर से इंगलैण्ड में व्यवहार व्यय की कुल कितनी राशि दी गई ?

(ख) यह व्यय किस एजेन्सी को और किन सेवाओं के लिए दिया गया ?

(ग) क्या यह सदा होने वाला व्यय है ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) १४०८–१४–५ पौंड ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) जी नहीं ।

सेना में भर्ती

***१०३१. श्री ई० इय्यानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल लड़कों को सेना में भर्ती किया जाता है ;

(ख) यदि हां तो मुख्यतः किस कोर में;

(ग) उन्हें किन स्थानों पर ट्रेनिंग दी जाती है ;

(घ) इस के लिए कितने केन्द्र बनाए गए हैं; और

(ङ) इस में उम्मीदवारों के लिए क्या अर्हताएं निश्चित की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख) : जी हां, लड़कों को निम्न-लिखित कोरों में भर्ती किया जाता है :

(१) सशस्त्र कोर

(२) तोपखाना

(३) एंजनीयर

(४) सिग्नलस

(५) पैदल सेना

(६) आर्मी सर्विस कोर

(७) इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनीकल कोर

(८) आर्मी आर्डनेन्स कोर

(९) आर्मी मैडीकल कोर

(ग) लैन्सडौन, बंगलौर, रुड़की, किरकी, सिकन्दराबाद, जबलपुर और देहरादून ।

(घ) आठ ।

(ङ) लड़कों की आयु १४ वर्ष से अधिक और १७ वर्ष से कम होनी चाहिए। उन की शिक्षा कम से कम चौथी श्रेणी से आठवीं श्रेणी तक होनी चाहिए।

परिवहन बीमे में विभेद

***१०३२. श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कई राष्ट्रों ने, देश में मंगाए जाने वाले तथा वहां से बाहर भेजे जाने वाले माल का उन की अपनी बीमा कम्पनियों द्वारा अनिवार्य बीमा कराए जाने की नीति अपना रखी है जिसे कि परिवहन बीमे में भेदभाव की नीति कहते हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस का भारत के समुद्र द्वारा होने वाले व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) कुछ देश परिवहन बीमे में भेदभाव की नीति पर चल रहे हैं।

(ख) इस भेदभाव की नीति का हमारे समुद्र द्वारा होने वाले व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है उस के सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है।

भारतीय प्रशासन सेवा के ट्रेनिंग स्कूल का प्रिंसिपल

***१०३३. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि भारतीय प्रशासन सेवा के ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल के पद के लिए किसी ऐसे अधिकारी को रखा

जाना चाहिए जो सारा समय इसी काम में लगाए ;

(ख) यदि हां तो क्या ऐसे प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रस्थापना और कई प्रस्थापनाओं से सम्बद्ध है जिन पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निश्चय किये जाने की आशा है।

जमीन पर अधिकार

***१०३४. श्री आर० सी० माझी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में अमरदा हवाई अड्डे के लिए जिस भूमि को अपने अधिकार में ले लिया था उस के मालिकों को प्रतिवर्ष लगभग १ लाख रुपया दिया जा रहा था ?

(ख) क्या यह सच है कि १९४७ से इस क्षतिपूर्ति का देना बन्द कर दिया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी भूमि के मालिक राज्य को इस भूमि का किराया देते रहे हैं यद्यपि रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकार में ली गई इस भूमि के लिए उन्हें उत्पादन या फसलों की कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है ?

(घ) यदि हां तो इस भूमि के मालिकों को जो हानि तथा असुविधा हो रही है उस के लिए कौन ज़िम्मेदार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, २०९० एकड़ के लिए लगभग ८३,१२६ रुपये ।

(ख) जी हां, परन्तु केवल ४०२·५६ एकड़ के लिए जिन का वार्षिक किराया १३,१७२ रुपये होता है। बाकी का क्षेत्र जून, १९४७ में छोड़ दिया गया था ।

(ग) जी हां, केवल ४०२·५६ एकड़ ।

(घ) जो क्षेत्र अधिगृहीत रहा है उस के लिए मार्च, १९४७ से क्षतिपूर्ति का बकाया देने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार विचार कर रही है ।

अभाव पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

***१०३५. श्री एन० एल० जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई और आसाम राज्यों के अभाव-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने वाले अधिकारियों की रिपोर्टों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इन रिपोर्टों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी, प्रधान मंत्री ने १३ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा में श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २७९-क का उत्तर देते हुए बताई थी । जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है एक स्मरण पत्र, जिस में "अधिकारियों के दल" की मुख्य सिफारिशों तथा उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख था, १५ मई, १९५३ को सदन पटल पर रखा गया था ।

विदेश भेजे गये सैनिक अधिकारी

***१०३६. डा० अमीन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ वर्षों में ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे गए सैनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उपरोक्त काल में इस सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष में कितना खर्च किया गया; और

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिन में ये व्यक्ति भेजे गये तथा उपरोक्त काल में प्रत्येक देश को भेजे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) पत्री वर्षों के हिसाब से जानकारी मिल सकती है और वह इस प्रकार है :

	१९५१	१९५२
अधिकारी	५३	५३
कर्मचारी	२	५

(ख)	१९५१	१९५२
	५,३७,००० रुपये	५,७८,००० रुपये

(ग)	१९५१	१९५२
बृटेन	५२	५५
संयुक्त राज्य अमरीका	१	१
कैनेडा	१	१
आस्ट्रेलिया	१	१

नागार्जुन कोंडा

*१०३७. **श्री मुनिस्वामी** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि यदि नंदीकोडा परियोजना को पूरा कर लिया गया, तो नागार्जुनकोंडा, जो कि पुरातत्व की दृष्टि से एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान है, पानी में डूब जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इस पुरातत्व केन्द्र के स्मृतिशेषों को सुरक्षित करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

(ग) इस पुरातत्व केन्द्र में जो स्मृतिशेष मिले हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से उन का महत्व क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि मामला सरकार के ध्यान में आ गया है, इस पर विचार किया जा रहा है और इस स्थान की सुरक्षा के लिए सब प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ग) इस घाटी में बौद्ध अवतार, नागार्जुन, जो कि बौद्ध धर्म की माध्यमिक प्रशाखा के संस्थापक थे, रहते थे । खुदाई से न केवल मठ, स्तूप और चैत्य मिले हैं अपितु एक महल, एक घाट और इसाई सन की तीसरी शताब्दि के इक्षवाकू वंश के कुछ शिलालेख भी मिले हैं ।

त्रिपुरा में पंचायतें

*१०३८. **श्री दशरथ देव** : **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में ग्राम पंचायतें और पर्याप्त अधिकारों वाले स्थानीय निकाय स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस प्रयोजन के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) स्थानीय प्राधिकारियों को अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) सरकार पहले ही इस बात पर विचार कर रही है कि निकटवर्ती भाग क राज्य में प्रचलित उपयुक्त पंचायत और नगर-विधि को त्रिपुरा तक बढ़ा दिया जाये ।

न्यायालय

*१०३९. **श्री अच्युतन** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उच्चन्यायालयों की डिवीज़न बैंचों को राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की डिवीज़न बैंचें

स्थापित करने के लिए जनता की ओर से कोई मांग की गई है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जैसा कि संविधान में मंजूर किया गया है, विभिन्न उच्चन्यायालयों में विभिन्न प्रथा है। कुछ राज्यों में मुख्य न्यायाधिपति और कुछ अन्य राज्यों में राज्य सरकारें इस विषय में प्रारम्भिक पग उठाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

विमान प्रधान कार्यालय में आग

*१०४०. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि २१ अगस्त, १९५३ को नई दिल्ली में विमान प्रधान कार्यालय का फिल्म विभाग आग से जल गया था ?

(ख) आ लगने के कितनी देर बाद दिल्ली फायर सर्विस के आग बुझाने वाले इंजन वहां पहुंचे थे ?

(ग) आग लगने का कारण क्या था ?

(घ) जो फिल्में आग से नष्ट हो गई थीं, उन का असली मूल्य क्या है ?

(ङ) क्या सरकार का सारे तथ्य सदन के सामने रखने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी हां। इस का एक बड़ा हिस्सा जल गया था।

(ख) दस मिनट के अन्दर अन्दर।

(ग) से (ङ) तक. मामले की जांच की जा रही है। एक जांच समिति को आग के कारण का पता लगाने, क्षति का अनुमान लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करने का आदेश दिया गया है। कार्यवाही प्राप्त हो जाने पर, मैं जानकारी सदन पटल पर रख दूंगा।

कच्छ में आक्रमण

*१०४१. **श्री भवनजी :** राज्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०० के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे कि :

उस समय से कच्छ के मुख्यायुक्त द्वारा कच्छ में पुलिस प्रशासन को अधिक कड़ा करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं;

(ख) १८ दिसम्बर, १९५२ से अब तक पश्चिमी पाकिस्तान से डाकुओं ने कितने आक्रमण किये;

(ग) कितनी सम्पत्ति लूटी गई थी और कितने आदमी मारे गये थे;

(घ) कच्छ के उस ग्राम का नाम क्या है, जहां अन्तिम बार आक्रमण किया गया था और यह किस तारीख को किया गया था; कितनी सम्पत्ति लूटी गई थी और कितने व्यक्ति मारे गये थे;

(ङ) क्या भारत सरकार ने कच्छ से कुख्यात डाकू खानजी को और सौराष्ट्र के कुख्यात डाकू भूपत को वापस कराने के लिए पाकिस्तान सरकार को लिखा है;

(च) यदि हां, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है; तथा

(छ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार का पाकिस्तान सरकार को लिखने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सीमान्त क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस के दल नियुक्त कर दिये गये हैं।

(ख) से (घ) तक. जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उत्पन्न नहीं होता ।

(छ) जी नहीं ।

आय-कर प्रतिदान

५३७. **श्री एस० जी० पारिख : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार का ज्ञान है कि ग्राहकों की ओर से बैंकों के नाम जो अंश और स्कंध होंगे, उन पर प्राप्त होने वाले लाभांश पर लिये गये आयकर का प्रतिदान नहीं किया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). सरकार को किसी ऐसे समाचार का ज्ञान नहीं है, किन्तु स्थिति यह है कि आयकर अधिनियम की धारा १८(५) के अधीन, किसी कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांटे गये लाभ के सम्बन्ध में दिये गये कर का श्रेय अंशधारियों को दिया जाता है, अर्थात् उन व्यक्तियों को जिन के नाम उस कम्पनी की सदस्य पंजिका में सदस्यों के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और इस में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि अन्य लोगों का अंशों में कोई लाभदायिक हित निहित है अथवा नहीं । धारा १८ (५) के इस निर्वचन का आधार एस० सी० कम्बट्टा और श्री शक्ति मिल्ज़—क्रमशः १९४६ आई० टी० आर० ७४८ और १९४८ आई० टी० आर० १८९ के मामलों में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय है ।

बिहार में पाइराइट के निक्षेप

५३८. **श्री एन० बी० जौधरी : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गन्धक निकालने के लिये बिहार के शाहाबाद जिले में पाये जाने वाले पाइराइट निक्षेपों का उपयोग करने के लिए क्या पग उठाये हैं; तथा

(ख) इस का परिणाम क्या निकला है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). गन्धक का तेज़ाब बनाने वाली फर्मों को यह कहा जा रहा है कि वे गन्धक का तेज़ाब बनाने के लिये आयरन पाइराइट का प्रयोग करें । ज्ञात हुआ है कि बिहार सरकार की सुपर फास्फेट फैक्टरी में गन्धक के तेजाब का जो संयन्त्र है, वह पाइराइट से चलने के लिए बनाया गया है ।

स्लेट

५३९. **श्री एस० सी० सामन्त : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** भारत में उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां स्लेट के बड़े बड़े निक्षेप पाये जाते हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : आसाम, बिहार, बम्बई, मध्यभारत, मद्रास, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

अमेरिकन गेहूं

५४०. **डा० एम० एम० दास : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अमेरिकन गेहूं ऋण से, आवश्यक व्यय निकाल कर कुल कितना विक्रय-लाभ वसूल हुआ है; तथा

(ख) इस रुपये का क्या प्रयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ७३,३२,०१,८९८ रुपये ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विकास योजनाओं के लिए रुपया दिया जाता है ।

अस्पृश्यता

५४१. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री "अस्पृश्यता के अन्त" के लिए केन्द्रीय विधान विषयक १७ अप्रैल, १९५३ के असरकारी संकल्प के सम्बन्ध में दिए गये अपने आश्वासन का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम, जिन से अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार, तथा

(ग) उन राज्यों के नाम जिन्हों ने अब तक कोई उत्तर नहीं भेजा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग) तक. भारत सकार ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिस के अन्तर्गत अस्पृश्यता बर्तने पर दंड दिया जा सकेगा । ७ अगस्त, १९५३ को इस विधेयक की प्रतियां (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर) सब राज्यों को भेजी गई थीं और उन से कहा गया था कि वे अपनी आलोचना बहुत शीघ्र ३० सितम्बर, १९५३ से पहले पहले भेज दें । अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए ।

———

GIPD—HS—396 PSD—13-2-54—285

शुक्रवार,
४ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिए भाग १**)

९.२३ म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० सत्यनाथन्, संसद सदस्य ६३ दिन की अनुपस्थिति के पश्चात् २८ अगस्त १९५३ को सदन की बैठक में शामिल हुए थे। उन्हों ने एक पत्र भेजते हुए सदन से प्रार्थना की है कि स्वास्थ्य की खराबी के कारण वह इस सत्र की शेष बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसे अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये तथा पूर्व अनुपस्थिति के लिए क्षमा की जाये।

सदन ने उस की यह प्रार्थना स्वीकृत की।

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

खण्ड ७—(मृत्यु पर सम्पत्ति भाग की समाप्ति)—जारी

श्री ए० एम० टामस : श्री शर्मा तथा बीस अन्य माननीय सदस्यों ने जो संशोधन पेश किया है उस में कर-भार के सम्बन्ध में संपूर्णता तथा सम-व्यवहार की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया है। वाद-विवाद के दौरान में कहा गया है कि इस विधान का उन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो कि दायभाग उत्तराधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आ जाते हैं। यह कुछ ठीक भी है। परन्तु उत्तराधिकार की विभिन्न प्रणालियों पर चलने वाले लोगों के सम्बन्ध में एक जैसा व्यवहार करना सम्भव नहीं होगा।

यदि हमारी उत्तराधिकार प्रणाली एक जसी होती तो इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। संशोधन में मिताक्षरा प्रणाली को स्टैंडर्ड प्रणाली मान लिया गया है जिस पर कि सभी सहमत नहीं हैं। दायभाग तथा मिताक्षरा के झगड़े को छोड़ कर देश में और भी कई अन्य उत्तराधिकार प्रणालियां विद्यमान हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना होगा। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन अव्यवहार्य है, तथा इसलिए मैं इस का विरोध करता हूं। मेरा विचार यह है कि समस्या का

[श्री ए एम० टामस]

केवल यह हाल है कि विभिन्न उत्तराधिकार प्रणालियों को ध्यान में लिया जाये तथा कर-भार में समता-प्राप्त करने के लिए यथा-सम्भव उपाय ढूंढे जायें ।

त्रावणकोर-कोचीन तथा पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों ने यदि केन्द्र के इस सुझाव को नहीं मान लिया है कि कृषि-भूमि पर भी सम्पदा-शुल्क लगाया जाना चाहिये तो उस का कारण स्पष्ट है कि वहां अधिकांश लोग मिताक्षरा उत्तराधिकार प्रणाली का अनुसरण नहीं कर रहे हैं । यदि इस असमता का निवारण किया जाये तो वह अवश्य ही उसी कार्यक्रम को अपनायेंगे जिसे कि शेष भारत अपनायेगा ।

वास्तव में यदि कोई भेदभाव की नीति बर्ती गई है तो वह मिताक्षरा वालों के साथ बर्ती गई है, अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं । सम्पदा शुल्क तो मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति की पूर्ण सम्पदा पर ही लगेगा । ऐसी दशा में मिताक्षरा वालों के लिए कर-मुक्ति की सीमा ५०,००० रुपये रखना तथा अन्य व्यक्तियों के लिए यह ७५,००० रुपए रखना, मिताक्षरा वालों के विरुद्ध हो जाता दिखाई देता है । इस के अलावा मिताक्षरा संयुक्त परिवारों में सदस्यों की नियोग्यताएं भी काफी होती हैं ।

गैर-मिताक्षरा परिवारों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें इस विधेयक के लागू होने से कठिनाई होगी । उन की आशंकाएं सही हैं तथा प्रवर समिति ने इन के औचित्य को मान भी लिया है । यही कारण है कि कर-मुक्ति की सीमाएं क्यों अलग अलग निश्चित की गई हैं ।

यह उत्तराधिकार पर कर नहीं है । यदि यह ऐसा होता तो न इस में मिताक्षरा का झगड़ा आ जाता और न ही दायभाग का ।

यह आवश्यक है कि जनता पर कर-भार उचित हो तथा समान हो । हमें कुछ मामलों में आवश्यक रूप से छूट भी देनी पड़ेगी । कर-भार की समता एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात है, यदि हम दायभाग वालों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए कर-मुक्ति की सीमा ७५,००० रुपये रखते हैं तो इस का अर्थ यह होगा कि दायभाग परिवार का कोई पिता एक आध लड़का भी नहीं रख सकता है । यह एक बेढंगी बात होगी । यह अनुदार है तथा एक प्रकार की तंगनज़री भी है । यदि हमें किसी को कोई लाभ पहुंचाना है तो हमें निःसंकोच हो कर ऐसा करना चाहिये । पूर्ण क्षमता प्राप्त करना सम्भव नहीं है, परन्तु फिर भी हम गैर मिताक्षरा परिवारों के लिए कर-मुक्ति की सीमा कुछ ज़रा और बढ़ा कर न्याय कर सकते हैं ।

अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कर इतने ज्यादा नहीं होने चाहियें कि जनता पर अनावश्यक रूप से अत्यधिक बोझ पड़े अथवा उद्यम पनप न सके । ऐसा होने से कुल उत्पादन कम हो जायगा तथा जनता के जीवन-यापन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । पैसे का मूल्य पहले ही घट गया है तथा निर्वाह परिव्यय बढ़ गया है । ऐसी दशा में मैं नहीं समझता हूं कि ७५,००० रुपये की कर-मुक्ति सीमा कुछ बहुत ज्यादा है । इस सीमा को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री हमें इस बात का आश्वासन दे देंगे कि जब हम खण्ड ३४ पर चर्चा करेंगे तो वह इस कठिनाई का निवारण करने के लिए कोई उपाय प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं अपने संशोधन नम्बर ४६ पर, जिसे कि मैं ने पहले ही प्रस्तुत किया है, कुछेक शब्द कहना चाहता हूं ।

खण्ड ७ के उप खण्ड (२) का उद्देश्य इस बात का उपबन्ध रखना है कि यदि किसी हिन्दू अविभाजित परिवार में समांशिता का कोई सदस्य नाबालिग ही मर जाता है तो उस का हिस्सा समांशिता में चला नहीं समझा जायगा तथा इस तरह से उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिर भी इस अपवाद की एक सीमा है। यदि किसी नाबालिग की मृत्यु के समय उस का पिता अथवा उसी परिवार का कोई समांशभागी पुरुष अधिरोही जीवित नहीं होगा तो फिर यह अपवाद लागू नहीं होगा। परन्तु उपखण्ड की भाषा कुछ भ्रामक है। मैं ने जो संशोधन पेश किया है उस का उद्देश्य केवल स्थिति को स्पष्ट करना है।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैं श्री टामस के इस कथन को नहीं समझ सका हूं कि दायभाग जैसी उत्तराधिकार प्रणालियों के प्रति कोई भेदभाव की नीति कैसे नहीं बर्ती गई है। वह स्वयं यह मानते हैं कि जनता के एक विशिष्ट समुदाय पर कर-भार ज्यादा है। ऐसी दशा में भेदभाव की नीति अवश्य बर्ती गई है तथा इस सम्बन्ध में श्री शर्मा का तर्क सही भी है। मैं श्री शर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं।

वैयक्तिक रूप से मैं समझता हूं कि इस तरह के विधेयक से समाज में कोई समता स्थापित नहीं होगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों, भूतपूर्व नरेशों तथा उन विदेशी पूंजीपतियों को जिन का कि यहां धन लगा हुआ है, छोड़ा गया है। मैं कम से कम यह चाहता हूं कि उन लोगों पर और अधिक दबाव न डाला जाये जो कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं ने देखा है कि हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जिन की सम्पत्ति है किन्तु जो फिर भी खुशहाल नहीं हैं। कारण यह है कि वहां जमीन बहुत महंगी है, और यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी भी जमीन हो तथा उस में उस का अपना मकान हो तो उस की सम्पत्ति ७५,००० रुपये अथवा उस से अधिक की हो जायगी। तो हमें ऐसे लोगों को ध्यान में रखना होगा तथा उन की परेशानियां नहीं बढ़ानी हैं। इतना कहना काफी नहीं कि यह मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर है, हमें उत्तराधिकार प्रणाली को भी ध्यान में रखना है। श्री गाडगील के यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम इन दो उत्तराधिकार प्रणालियों में असमानता पैदा नहीं करते हैं। यह स्वभावतः ही इन में विद्यमान है, कुछ भी हो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि किस प्रणाली में क्या कुछ होता है।

केरल तथा पश्चिमी बंगाल के लोग समझेंगे कि यह कानून उन लोगों द्वारा बनाया गया है जिन की उत्तराधिकार प्रणालियां उन से नितान्त भिन्न हैं। मेरा विश्वास है कि यदि दायभाग, मुस्लिम अथवा ईसाई उत्तराधिकार प्रणालियों के अनुयायियों का इस कानून के बनाने में हाथ होता तो वह अवश्य ही ऐसा कोई उपाय निकालते जिस से कि यह असमानता न होने पाती। अपने सीमित ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस से कि हमें सम्पदा-शुल्क के लिए कई एक अधिनियम बनाने पड़ेंगे। मुझे इस प्रणाली अथवा उस प्रणाली की चिन्ता नहीं। मुझे चिन्ता केवल इस बात की है कि किसी समुदाय विशेष की परेशानियां न बढ़ाई जायें। मुझे दरों तथा सीमाओं की भी चिन्ता नहीं। मैं चाहता हूं कि उन लोगों से ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जाये जो कि दे सकते हैं। परन्तु इस के साथ ही मैं महसूस कर रहा हूं कि दायभाग वालों के साथ अन्याय हो रहा है।

हमारे यहां मरुमक्कट्टयम उत्तराधिकार प्रणाली का अनुसरण होता है। इस के अन्तर्गत लड़कों तथा लड़कियों दोनों को हिस्सा मिलता

[श्री पुन्नूस]

है। परिणाम यह होगा कि वहां के बड़े बड़े सामन्त इस कानून की ज़द से बच निकलेंगे।

जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं, त्रावण-कोर-कोचीन में ज़मीन बहुत महंगी है। मामूली सम्पत्ति का मूल्य भी ७५ ००० रुपये से ऊपर आ जाता है। कई बार देखा गया है कि इतने मूल्य की सम्पत्ति के बावजूद भी ऐसे लोगों के बच्चे पीड़ा उठाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कर-मुक्ति की सीमा बढ़ा दी जाये। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम सभी भारतीय हैं तथा हमें प्रान्तीय बातों को नहीं सोचना चाहिये। यदि हम इन बातों पर ध्यान न देंगे तो लोग कहेंगे कि उन की मजबूरियों तथा हितों की उपेक्षा की गई है।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड़–सोरठ): संशोधन नम्बर ४२४ असंगत है क्योंकि यह इस विधेयक के अन्तर्गत हरेक व्यक्ति पर मिताक्षरा प्रणाली लागू करना चाहता है। हम स्वीय विधि को बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मिताक्षरा प्रणाली व्यक्तियों पर लागू होती है सम्पत्तियों पर नहीं।

श्री चटर्जी का संशोधन नम्बर ६१६ इन दोनों आपत्तियों का निवारण करता है। इस बात को महसूस किया जारहा है कि दायभाग वालों के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमें इस बात पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। परन्तु इस के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर-मुक्ति की सीमा न केवल दायभाग वाले हिन्दुओं पर लागू होती है अपितु मुसलमानों, ईसाइयों तथा पारसियों पर भी लागू होती है।

दूसरी बात यह है कि सभी मिताक्षरा हिन्दुओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। केवल संयुक्त परिवार के लोगों को यह फायदा मिल सकता है। आठ लाख करदाताओं में से केवल ६४ ००० करदाता संयुक्त हिन्दू परिवारों के अन्तर्गत आ जाते हैं। शुरू शुरू में मिताक्षरा प्रणाली पर चलने वाले संयुक्त हिन्दू परिवारों को दायभाग वालों की अपेक्षा अवश्य ही कुछ लाभ मिलेगा परन्तु अन्त में कुछ ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है। फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर है। इस भेदभाव अथवा अन्याय को दूर करने का एक तरीका यह है कि ७५,००० रुपये की जो सीमा रखी गई है उसे कुछ बढ़ा दिया जाये अथवा ५०,००० रुपये की जो सीमा रखी गई है उसे कम किया जाये। यही एक तरीका हो सकता है तथा इसे अपनाया जाना चाहिये। सरकार कदम कदम पर सम्पत्तिवान व्यक्तियों की बातों को मानती रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही अब रोकी जानी चाहिये। मैं सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ५०,००० रुपये को कर-मुक्ति सीमा कम करनी चाहिये तथा ७५,००० रुपये की कर-मुक्ति सीमा में कोई भी वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। श्री चटर्जी का संशोधन नम्बर ६१६ देखने में उचित लगता है, क्योंकि इस का उद्देश्य हर व्यक्ति के साथ समव्यवहार करना है। परन्तु एक वकील की हैसीयत से मैं महसूस कर रहा हूं कि इस से हमारी कठिनाइयां बढ़ने को ही हैं घटने की नहीं। मेरा अपना विचार यह है कि इस प्रकार के संशोधन से सारी व्यवस्था को सरल बनाने की अपेक्षा उचित यह है कि एक कर-मुक्ति सीमा कुछ घटा दी जाये अथवा दूसरी कुछ बढ़ा दी जाये। मैं घटाने के पक्ष में हूं।

मेरी दूसरी बात यह है कि इस कानून को साल दो साल चलने दिया जाय और यदि हमें किसी विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो हम इस में फेर दल कर सकते हैं तथा इसे दोष-रहित बना सकते हैं। इंगलैंड

में वह अपने अनुभव के आधार पर इस में परिवर्तन करते रहे हैं। हम भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। आखिर, यह कोई वेद वाक्य तो नहीं है जिस में कि हम कोई बात जोड़ तोड़ नहीं सकते हैं।

मैं समझता हूं कि दो एक उपबन्धों को छोड़ कर यह विधेयक एक नर्म विधेयक है तथा इस में और अधिक नर्मी नहीं की जानी चाहिये। मैं किसी भी ऐसे प्रयत्न का विरोध करता हूं जिस का उद्देश्य इस विधेयक की शक्ति कम करना है।

मैं खण्ड ७ के उप खण्ड (२) के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। इस स्पष्टीकरण को यदि माननीय वित्त मंत्री के संशोधन के साथ पढ़ लिया जाये तो इस का अर्थ क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं। इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रस्थापित खण्ड ३७ (क) से उत्पन्न होती है। मैं इस बात का समाधान चाहता हूं कि समांशभागी की मृत्यु होने पर सम्पत्ति का जो भाग जाएगा वह एक तिहाई होगा अथवा नवां भाग होगा। उप खंड (१) और (२) के अंतर्गत जो सम्पत्ति समांशभागी की मृत्यु पर जाएगी वह संयुक्त परिवार में उस का भाग होगी। तो वह भाग क्या है? मान लीजिए कि तीन भाई हैं और उन में से एक की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त परिवार में उस का भाग एक-तिहाई है। किन्तु उस ने अपने दो पुत्रों के साथ उप-समांशिता निर्मित कर ली है जिस से कि उस का वास्तविक भाग उस एक-तिहाई का भी एक-तिहाई अर्थात् १।९ है: यदि आप संशोधन संख्या ५४४ में उप-खण्ड (१) को पढ़ें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस की सम्पत्ति पर जो कर निर्धारण किया जाएगा वह सम्पत्ति उतनी मानी जाएगी जो कि मृतक की मृत्यु से ठीक पूर्व परिवार में बंटवारा होने पर उस को मिलती। उपर्युक्त उदाहरण में इस का अर्थ हुआ एक-तिहाई भाग। किन्तु वास्तविकता में उस का भाग १।३ नहीं है क्यों कि उस १।३ में भी उस के दो लड़कों की समांशिता है और इसलिए उस का भाग १।९ हुआ। मैं दायभाग प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि मिताक्षरा प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले लोगों को जो लाभ समझा जाता है कि मिलेगा वह उस से बहुत कम होगा जो सामान्यतः उसे मिलता क्योंकि तब उस का भाग १।२ माना जाता और कर-निर्धारण उसी भाग पर होता। किन्तु संशोधन ५४४ को यदि 'व्याख्या' सहित पढ़ा जाए, विशेषकर उस संशोधन के उप-खंड (२) के साथ, तो उस का अर्थ तो १।३ भाग ही निकलता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कर-निर्धारण १।३ भाग पर होगा अथवा १।९ भाग पर।

मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं। एक संशोधन द्वारा उम्र को १८ से बढ़ा कर २१ वर्ष कर देने की अपेक्षा की गई है। मैं उम्र बढ़ाने का कोई कारण नहीं देखता और इस का विरोध करता हूं।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ): मैं अपने माननीय मित्रों श्री सर्मा तथा श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि निरपेक्ष स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति तथा समांशभागी सम्पत्ति के दृष्टिकोणों को सम्मिश्रित करने का यह एक भद्दा प्रयास है। इन दोनों संशोधनों में यह मानकर चला गया है कि दायभाग प्रथा के विरुद्ध भेदभाव बरता जाता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि दायभाग के विरुद्ध भेदभाव है तो भी माननीय सदस्यों ने ७५,००० रु० की सीमा को बढ़ा कर या घटा कर उस भेदभाव को अपने संशोधनों में दूर नहीं किया है। उन्हों ने यह अपेक्षा की है कि अन्य प्रथाओं के अन्तर्गत

[श्री एन० पी० नथवानी]

आने वाले लोगों को समांशिता के अंतर्गत आने वालों के समस्तर रख दिया है। किन्तु इस का परिणाम क्या होगा? यदि संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया तो वे लोग उन्हीं निर्बन्धनों के शिकार हो जायेंगे जो कि संशोधन कर्ता कहते हैं कि वर्तमान उपबन्धों में मौजूद हैं और भेदभाव का कारण हैं। यदि ये संशोधन स्वीकार कर लिए गए तो समांशभागी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव हो जाएगा।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कलकत्ते में बराबर-बराबर दो परिवार रहते हैं। एक पर मिताक्षरा प्रथा लागू होती है और दूसरे पर दायभाग। किन्तु वर्तमान नियमों के अंतर्गत मिताक्षरी में कोई भी समांशभागी अपने जीवन काल में अपनी सम्पत्ति-भाग को दान-स्वरूप नहीं दे सकता। किन्तु दायभाग में आने वालों को एक अतिरिक्त लाभ होगा। पिता कितनी भी सम्पत्ति—सारी सम्पत्ति तक—दान-स्वरूप दे सकता है। अब आप को विचार करना है कि क्या यह स्थिति समांशिता के विरुद्ध नहीं जाती। समांशभागी दान के रूप में अपनी सम्पत्ति नहीं दे सकता किन्तु दायभागवाला अपनी सम्पत्ति इस प्रकार कम कर सकता है।

एक और दूसरे तरीके से इन में मिताक्षरा के विरुद्ध भेदभाव आता है। इन दोनों संशोधनों में मिताक्षरा के अन्तर्गत आने वालों की स्वयं-अर्जित सम्पत्ति पर विचार नहीं किया गया है। आप दायभाग वालों को वही स्थिति दे रहे हैं जो समांशभागीयों को प्राप्त है। किन्तु इस संशोधन के स्वीकार कर लिए जाने पर एक समांशभागी को जिस के पास कि स्वयं-अर्जित सम्पत्ति भी है, अपनी समस्त स्वयं अर्जित सम्पत्ति पर कर देना पड़ेगा और उस छट के लाभ से वह वंचित रहेगा जो कि वे इन संशोधनों में देना चाहते हैं। इसलिए, समांशभागी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव रहेगा। अतएव मेरा कहना है कि इन संशोधनों में वे ही कमियां हैं जिन्हें कि वे दूर करने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए मैं उन का विरोध करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी: दायभाग प्रथा के अन्तर्गत जब तक कि पिता जीवित है तब तक पुत्रों का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। महज़ जन्म लेने भर से कोई पिता की सम्पत्ति का भागीदार नहीं बन जाता। मिताक्षरा में सम्पत्ति को दो वर्गों में बांटा गया है, सप्रतिबन्ध तथा निप्रतिबन्ध। जब कोई व्यक्ति जन्म से ही सम्पत्ति का हकदार हो जाता है तो ऐसे उत्तराधिकार को निर्प्रतिबन्ध उत्तराधिकार कहते हैं। दायभाग के अन्तर्गत अप्रतिबन्ध उत्तराधिकार नहीं हो सकता। यह हमेशा सप्रतिबन्ध होगा क्योंकि महज़ जन्म से ही आप को कोई अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक कि सम्पत्ति के पहले स्वामी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप को प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मेरा प्रयोजन दोनों प्रथाओं की तुलना कर के उन में से किसी एक का विरोध करना नहीं है। हम दोनों की ही इज्जत करते हैं। मिताक्षरा का यह एक बड़ा भारी अंशदान है कि इस ने भारत भर को प्रभावित किया है। बंगाल में जहां-जहां दायभाग चुप है, मिताक्षरा प्रचलित है। जैसा कि आप को विदित है, दायभाग 'धर्मरत्न' नामक बृहत्तर पुस्तक का एक भाग है। जहां जहां दायभाग चुप है, वहां बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में मिताक्षरा प्रचलित है। हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि आपने इस विधेयक में जो कुछ किया है वह उचित है या नहीं।

मैं ने अपने पहले भाषण के दौरान में कहा था कि मैं कोई बंगाली हिन्दुओं का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो रियायत में मांग रहा हूं वह मुसलमान,

ईसाई, पारसी सब को दी जाए। अब एक परिवार का उदाहरण लीजिए जिस के पास कि मान लीजिए कुल तीन लाख की सम्पत्ति है। मान लीजिए कि 'क' पिता है और 'ख', 'ग' 'घ', 'ङ' और 'च' उस के पांच लड़के हैं। 'क' मान लीजिए कि मिताक्षरा प्रथा के अन्तर्गत आता है और उस के पांचों पुत्र उस की सम्पत्ति में समांशभागी हैं। मैं ने हिसाब लगा कर देखा है कि यदि वह दायभाग के अन्तर्गत आता तो उसे २२९१६ रु० १२ आने कर के रूप में देने पड़ते। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत होने से उसे बिलकुल कर नहीं देना पड़ता। क्या यह न्याय है? मैं वित्त मंत्री जी को या सरकार को या इस विधेयक के निर्माता को दोष नहीं देता। आप जो कुछ भी करें कुछ भेदभाव तो रहेगा ही, दोनों में आप बिलकुल समानता नहीं ला सकते। मैं यह नहीं कहता कि यदि एक दायभाग परिवार को २५,००० रु० कर के रूप में देने पड़ते हैं और उतनी ही सम्पत्ति वाले मिताक्षरा परिवार को ५२,००० रु० देने पड़ते हैं तो आप दायभाग के मामले में उतनी ही छूट दे दीजिए। किन्तु मेरा कहना है कि इस असमानता को आप कम कीजिए। दायभाग के मामले में जो सीमा रखी गई है उसे बढ़ा कर यह असमानता कम की जा सकती है। यह मुसलमानों तथा ईसाइयों के लिए भी लाभपूर्ण सिद्ध होगा। आप इस सीमा को एक लाख या डेढ़ लाख रुपए कर सकते हैं।

दूसरी चीज़ मुझे सम्पदा शुल्क पर लगाई गई दर के विषय में कहनी है। आप गैर मिताक्षरा लोगों के विषय में दर कम कर दीजिए जिस का अर्थ है दायभाग हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों के विषय में। मैं समझता हूं कि दरों को कम करने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मिताक्षरा के मामले में दर कम करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ५०,००० रुपए ही रहने दीजिए।

श्री सी० डी० पांडे : मैं श्री सर्मा के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। सम्पदा शुल्क के बिलकुल प्रारम्भ में ही एक दृढ़ मत इस विचार का था कि सम्पदा शुल्क की अपेक्षा उत्तराधिकार शुल्क लगाया जाए। इस का अर्थ होता कि किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर कर न लगाया जा कर उस सम्पत्ति पर कर लगाया जाता जो कि मृत व्यक्ति से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो।

आप देखेंगे कि मिताक्षरा के मामले में अप्रत्यक्ष रूप से यही बात व्यवहार रूप में हो गई है जब कि दायभाग वालों पर यह कर मृत्यु-कर के रूप में है। मिताक्षरा के मामले में किसी व्यक्ति का भाग उस के पुत्रों की संख्या के अनुसार होगा। यदि उस की सम्पत्ति पांच लाख रुपए है और उस के तीन बेटे हैं तो प्रत्येक पुत्र का भाग लगभग १ लाख पए होगा। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार कर होगा जब कि दायभाग के मामले में यह शुद्धतः मृत्यु-कर है। इसलिए भेदभाव इतना स्पष्ट है कि दायभाग वालों को मन मार कर रह जाना पड़ता है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ समय और लगेगा।

श्री सी० डी० पांडे : जी हां। मैं बाद में जारी रक्खूंगा।

सभापति महोदय : आप दोपहर को इसे जारी रखिए।

अब हम श्री गोपालन द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर विचार करेंगे।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में

संकल्प—जारी

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : इस संकल्प पर माननीय वित्त मंत्री ने एक संशोधन

[श्री ए० के० गोपालन]

रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात को माना है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। हम रोज समाचार पत्रों में देखते हैं कि हज़ारों आदमियों को नौकरी से हटा दिया गया है। कलकत्ता में मुझे "टाइम्स आफ इण्डिया" के लगभग एक हजार ऐसे कर्मचारी मिले जो इसमें से निकाल दिये गये थे। त्रिपुरा में भी ८० कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिये जाने के नोटिस दिये गये हैं। देश में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है किन्तु चूंकि हमारे पास उसके सम्बन्ध में आंकड़े नहीं है अतः हम इस प्रश्न के कुछ पहलओं पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकते। मैं बेरोज़गारी के मूल कारणों तथा उसके हल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। हमने कहा था पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी क्योंकि उसमें बेकारी को दूर करने के उपाय नहीं दिये हुए हैं। यदि गांवों में जमीन सभी गरीब किसानों को नहीं दी जायेगी तो वहां यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। देश में उद्योग के विकास के बिना और राष्ट्रीय उद्योग को संरक्षण दिये बिना तथा अंग्रेजी की पूंजी को ज़प्त किये बिना यह समस्या हल नहीं की जा सकती।

बेकारी को दूर करने के लिये कुछ कार्य अवश्य शीघ्र ही किये जाने चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोग भुखमरी की हालत में हैं खाने की चीज़ें मुफ्त देने के लिये केन्द्र खोले जायें और इसके लिये ५० करोड़ रुपये अलग रखे जायें। और शहरों में छंटनी किये आदमियों को नकद रुपया देकर सहायता दी जाय। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो बेरोज़गार हैं उन्ह नौकरी दी जाय। हम यह तो नहीं कहते कि ऐसा बहुत थोड़े समय में किया जा सकता है। बेरोज़गार आदमियों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं और हम नहीं जानते कि सरकार ने इस समस्या को कहां तक हल किया है। हमारे जो नवयुवक भुखमरी से पीड़ित हैं हमें उन्हें बचाना चाहिये। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि देश में लाखों व्यक्ति जीवन के लिये कशमकश कर रहे हैं। वे काम करना चाहते हैं। यहां यह बात कही गई थी कि शिक्षित बरोज़गार आदमी शारीरिक श्रम करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो क्या ऐसी बात है कि जो शारीरिक श्रम करने के लिये तय्यार हैं उन्हें नौकरी मिल गई है। लाखों आदमी जो पहिले नौकरी पर लगे थे अब बेरोज़गार हो गये हैं।

दूसरी बात सरकार के सामने मैं यह रखना चाहता हूं कि वह एक ऐसा अध्यादेश निकाले या विधान बनाये कि जिससे देश में छंटनी किया जाना तथा फैक्टरियों का बन्द किया जाना रोका जा सके। सरकार ने भी इस बात को माना है कि हाथ करघा तथा कुटीर उद्योग में लाखों ऐसे आदमी हैं जो बकार हैं जिसका कि मैं पहिले ही निर्देश कर चुका हूं। अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात को देखे कि मज़दूरों का भाग्य मिल मालिकों के हाथ में न रहे। छंटनी किये गये व्यक्तियों को अन्य सरकारी नौकरियों में रखा जा सकता था किन्तु उनके प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया। प्रश्न तो अब उन लोगों को बचाने का है जो इतने वर्षों से सरकारी सेवाओं या फैक्टरियों में काम पर लगे थे और जिनको अब नौकरी से हटा दिया गया है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि फैक्टरियां बन्द की जाती हैं और मज़दूरों की छंटनी की ही जानी है तो इन मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिये, क्योंकि इन लोगों की हालत तो पहिले से ही बेरोज़गार आदमियों की अपेक्षा भी बहुत खराब हो जाती है।

तीसरी बात मुझे सरकार के सामने यह रखनी है कि खाद्य तथा कपड़ों के दामों में शीघ्र ही ३० प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये। क्योंकि इन चीज़ों के दाम तो बढ़े ही हुए हैं और इसमें ३० प्रतिशत की कमी कर देने से लोगों की काफ़ी तकलीफ़ दूर हो जायगी।

मेरी चौथी बात यह है कि हथकरघे तथा कुटीर उद्योगों में बहुत माल इकट्ठा पड़ा हुआ है और इसी कारण फैक्टरियां बन्द हैं। सरकार को यह सब माल खरीद लेना चाहिये और अपनी एजेंसियों द्वारा इसे बेचने का प्रबन्ध करना चाहिये और इन उद्योगों को चलाने वालों को ऋण भी दिया जाना चाहिये।

सरकार के ग्यारह सूत्रीय योजना में हथकरघे तथा कुटीर उद्योगों का विकास भी सम्मिलित है। किन्तु इन उद्योगों में माल इकटठा है और इनमें काम नहीं हो रहा अतः सरकार इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती। अतः इनको ऋण दिया जाना चाहिये जिससे ये उद्योग चलाये जा सकें और बेकार लोगों को नौकरी मिल सके।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सरकार को गृह निर्माण कार्य, सिंचाई, सड़क तथा रेलवे के विकास कार्यों को आरम्भ कर देना चाहिये देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां सड़कें नहीं हैं। अतः इन कार्यों के आरम्भ करने से बहुत लोग इनमें काम पा सकते हैं और बेकारी का प्रश्न कुछ हद तक हल हो सकता है। शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के विषय में यह बताया गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने का विचार कर रही है। किन्तु मैं नहीं जानता कि इससे समस्या कहां तक हल हो सकती है। यदि देहातों के बाद स्कूलों को शीघ्र ही खोल दिया जाय तो इससे कुछ शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सरकार को विदेशों से ऐसी सभी वस्तुओं के आयात को बन्द कर देना चाहिये जो कि यहां बनती हैं। इससे हमारा उत्पादन बढ़ सकेगा और लोगों को नौकरी भी मिल सकेगी। वस्तु क्रय समिति की रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि सरकार विदेशों से करोड़ों रुपये की ऐसी चीज़ें मंगवाती है जो यहां आसानी से बनाई जा सकती हैं। यदि विदेशों से होने वाले इस आयात को रोक दिया जाय तो हमारे राष्ट्रीय उद्योगों का विकास होगा और लोगों को नौकरी मिल सकेगी।

मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि बेकारी की समस्या बढ़ रही है। हमारी पंचवर्षीय योजना असफल रही और देश की दशा ऐसी है कि लोगों को शीघ्र ही सहायता देना आवश्यक है। समाचार पत्रों में इस विषय की जो रिपोर्टें आती हैं मंत्रिगण उन्हें मानते नहीं। किन्तु वे जानते हैं कि देश में दुर्भिक्ष और अत्यधिक बेरोज़गारी है और लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है, किन्तु वे यह नहीं जानते कि इस सम्बन्ध में क्या करें।

जो सुझाव मैंने दिये हैं वे इस समस्या के स्थायी हल नहीं हैं उन से तो लोगों को शीघ्र सहायता मिल सकती है। गांवों में बेरोज़गारी दूर करने के लिये सरकार यह कर सकती है कि ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उन गरीब किसानों को ज़मीन दे दें जिनके पास ज़मीन नहीं है। राष्ट्रीय उद्योगों में अधिक उत्पादन कर के भी हम इसे दूर कर सकते हैं। बेरोज़गार व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में यह कहा गया कि उनको दान स्वरूप कुछ देना अच्छा नहीं लगता। किन्तु बात ऐसी नहीं है। लोग यह कहते हैं कि हमें काम

[श्री ए० के० गोपालन]

चाहिये इससे देश की सेवा भी कर सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं। यदि लोग सरकार से सहायता मांगते हैं तो इसी कारण मांगते हैं कि उन्हें काम नहीं मिलता और वे जीवित रहना चाहते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जो सरकार लोगों को नौकरी या बेरोज़गारों की सहायता नहीं कर सकती वह सरकार शासन करने योग्य नहीं है। विदेशी पूंजीपति हमारे देश से करोड़ों रुपया ले रहे हैं और देश में दुर्भिक्ष है, लाखों लोग मर रहे हैं और बहुत से आत्म-हत्या कर लेते हैं; ये बातें अपमानजनक हैं। इसलिये वित्तमंत्री तथा सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इस समस्या को हल किया जाय तथा बेरोज़गारों को शीघ्र ही सहायता दी जाय। यदि सरकार लोगों को शीघ्र ही सहायता नहीं देगी तो इससे दो बातें होंगी। या तो लोग पीड़ित होकर अपना जीवन समाप्त कर देंगे या लोग सरकार को ही समाप्त कर देंगे।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत किया गया :

"सदन का यह मत है कि देश में बेरोज़गारी को बढ़ने से रोकने के लिये और बेरोज़गारों को सहायता देने के लिये शीघ्र कार्य किये जाने चाहियें।"

मुझे इस संकल्प पर कई संशोधन प्राप्त हुए हैं। जो सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वह उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि देश में बेकारी के कारणों को जानने तथा उन्हें शीघ्र दूर करने के उपयुक्त उपायों का पता लगाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उचित निर्वाह वेतन तथा रोज़गार दिलवाने की दृष्टि से देश की बढ़ती हुई बे रोज़गारी के कारणों की जांच की जाय। जांच करने तक कुटीर उद्योगों के विकास के लिये तथा रोज़गारी की व्यवस्था के लिये अन्य उपाय किये जाने चाहियें।

प्रो० एस० एन० मिश्र (दरभंगा) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि देश में बेरोज़गारी बढ़ने के कारण की जांच तथा रिपोर्ट करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय जो योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के परिवर्तन करने का सुझाव दे जिससे बेरोज़गारों को पर्याप्त रूप में रोज़गार मिल सके।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं सूची ४ में दिये हुए अपने संशोधन संख्या १६ को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जहां तक माननीय सदस्य के संशोधन का सम्बन्ध है उसमें यह है कि "पंचवर्षीय योजना में रखी गयी नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है।" मुख्य संकल्प बहुत ही विस्तृत है और उसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं। मैं समझता हूं कि श्री एन्थनी ने मुख्य संकल्प के प्रश्नों पर इतना ज़ोर नहीं दिया है किन्तु इस पर ज़ोर दिया है कि पंचवर्षीय योजना में रखी गयी नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है। मैं समझता हूं कि वह इस विषय पर किसी अन्य अवसर पर बोल सकते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरा संशोधन पंचवर्षीय योजना तक ही सीमित नहीं है। यदि मैं इस पर बोलूंगा तो मैं पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त अन्य उपायों का सुझाव दूंगा।

सभापति महोदय : आपने अपनी जिस बात पर ज़ोर दिया वह बेकारी का एक

कारण हो सकता है । आप इसे तर्क के रूप में रख सकते हैं ।

श्री एन्थनी : उसमें एक निश्चित बात है कि चूंकि वह नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है इसलिये अन्य कार्य करने आवश्यक हैं और इसी बात पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : इसमें आपका दिया हुआ दूसरा पहलू नियमानुकूल है । किन्तु जहां तक "पंचवर्षीय योजना में रखी गई नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है" का सम्बन्ध है, यह संकल्प के अप्रसंगानुकूल है और यदि आप इन शब्दों को छोड़ कर अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं । इस समय हम पंचवर्षीय योजना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्पष्ट करें कि उनकी यह बात कि "पंचवर्षीय योजना में रखी गई नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है" कहां तक प्रसंगानुकूल है और यह मूल संकल्प के कार्य क्षेत्र में कहां तक है । देश में बेकारी को बढ़ने से रोकने के लिये शीघ्र कार्य किये जायें, यह पहिला भाग है; बेरोज़गारों को सहायता देना, यह दूसरा भाग है; संकल्प का इन्हीं दो बातों से सम्बन्ध है । हमें इन्हीं दो बातों तक ही सीमित रहना चाहिये । अतः मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को स्पष्ट करें ।

श्री एन्थनी : पंचवर्षीय योजना दीर्घ-कालीन नीति के रूप में है और इससे बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकी है । मैं यह सुझाव दूंगा कि पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त अल्पकालीन कार्य भी किये जाने चाहियें ।

सभापति महोदय : आप अपने पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी निर्देश को तर्क के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस पर जब आप अपना विनिर्देश दें तो क्या आप मेरे संशोधन का ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें भी पंचवर्षीय योचना का निर्देश है ?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि दोनों के बीच अन्तर है । माननीय सदस्य के संशोधन में और बातें ठीक हैं किन्तु उसमें यह है कि "पंचवर्षीय योजना में रखी गई नीति अपर्याप्त सिद्ध हुई है", जिसका अर्थ यह है कि पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन किया जाय और इसका दूसरा अर्थ यह है कि यह योजना अपर्याप्त सिद्ध हुई है और वह इस की चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इस योजना को अपने ही दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया है किन्तु उन्होंने इस बात के सम्बन्ध में किसी प्रतिकार का सुझाव नहीं दिया है ।

श्री एन्थनी : यदि मुझे मौका मिले तो मैं बहुत सी बातों का सुझाव दूंगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप अपने संशोधन के शब्दों के अनुसार सुझाव नहीं दे सकते । यह बताना मेरा काम नहीं कि यह नियमानुकूल है या नहीं । मैंने अपने संशोधन में एक सुझाव दिया है जो कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिये गये संशोधन के समान नहीं हो सकता । यह बात इस पर निर्भर करती है कि देश में बेकारी की स्थिति का कोई किस प्रकार विश्लेषण करता है । इस बात का कोई महत्व नहीं कि पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन योजना है और यह अल्प कालीन योजना नहीं है । क्योंकि यह योजना केवल अगले तीन वर्षों के लिये ही है और इस बात को किसी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इसमें तीन वर्ष के लिये किये जाने वाले कार्य दिये हुये हैं और दो वर्ष वाले कार्य नहीं । इसमें सभी प्रकार की योजनायें हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस संशोधन के विरुद्ध जो कुछ भी कहा जा सकता है वह तर्क सिद्ध नहीं है। इस योजना के पहिले और दूसरे भाग में कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका यह अर्थ तो नहीं कि यह इसके विरुद्ध जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें इसके विरुद्ध कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : श्री एन्थनी अपना पूरा संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री फ्रैंक ए न्थनी : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि सरकारी व्यय को कम करके उस धन से बेकार लोगों को सहायता दी जाय और सेवा योजनालयों का विकास किया जाय।

श्री एस० एस० मोर (शोलापुर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि देश में बेरोज़गारी को रोकने तथा बेरोज़गारों को शीघ्र सहायता तथा रोज़गारी देने के लिये शीघ्र कार्य किये जायें, शहरों में शिक्षित बेरोज़गारों तथा गांवों में बेकार मज़दूरों के आंकड़े इकट्ठे किये जायें, जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के उपाय किये जायें, बड़े सिंचाई तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य आरम्भ किये जायें जिससे बेरोज़गार उनमें काम पा सकें, गांवों में कुटीर उद्योग को मिला कर छोटे छोटे उद्योग चलाये जायें और उनकी बनी हुई वस्तुओं को बेचने के लिये सहकारी समितियां स्थापित की जायें, देश के उद्योगों को बढ़ाने के लिये सभी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को शीघ्र बन्द किया जाय, देश में सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिये अधिकतम वेतन एक हज़ार रुपया निर्धारित किया जाय और इससे जो बचत होगी उसे बेरोज़गारों के लाभ के लिये प्रयुक्त किया जाय, सेवा निवृत्ति की आयु तरेपन वर्ष कर दी जाय, रोज़गारी देने में निर्धन परिवारों के योग्य नवयुवकों को अधिमान दिया जाय और जिन मज़दूरों के पास ज़मीन नहीं ह उन्हें ज़मीन दी जाय।

सरदार ए० एस० सहगल (विलासपुर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि योजना आयोग बेरोज़गारी के प्रश्न की जांच करें तथा संघ और राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों का सुझाव दे।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेरोज़गारी के प्रश्न पर वैज्ञानिक तथा प्रभावोत्पादक रूप से विचार किया जाय और इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का पुनर्विलोकन किया जाय जिससे कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में उपलब्ध जन-शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके।

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम्) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि देश में बेरोज़गारी की गम्भीर समस्या को दूर करने के लिये सरकार के तत्वावधान में देश में सम्मेलनों तथा सभाओं के आयोजन के लिये शीघ्र कार्य किये जायें जहां लोगों को यह बताया जा सके कि इस विषय में सरकार क्या कार्य करना चाहती है और जहां इसके लिये सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाय :

"सदन को देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर बहुत चिन्ता है और इसका यह मत है

कि देश में रोज़गारी के लिये अधिक अवसर देने के विचार से, सरकार को पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त परिवर्तन करने तथा इस कार्य के निमित्त शीघ्र ही आवश्यक उपाय अंगीकार करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।"

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि देश में बेरोज़गारी को बढ़ने से रोकने के लिये तथा बेरोज़गारों को सहायता देने के लिये पचास करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाय, कानून द्वारा मज़दूरों की छंटनी तथा फैक्टरियों का बन्द करना रोका जाय, खाद्यान्नों के दामों में तीस प्रतिशत की कमी की जाय, भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिये कार्य किये जायें और किसानों को बेदखल करना कानून द्वारा रोका जाय ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाय कि जो बेरोज़गार लोगों को लाभदायक रोज़गार देने के मामले की जांच करे ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद दक्षिण): मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि लोगों को बराबर बराबर मज़दूरी दी जाय तथा लोगों को कुटीर उद्योगों को चलाने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रांग) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि छंटनी को रोका जाय, फैक्टरियों को पूर्ण रूप से चला कर अधिक लोगों को काम पर लगाया जाय, सरकार के लिये रक्षा सम्बन्धी सामान तय्यार करने वाली तथा अन्य ऐसी फैक्टरियों को, जिनमें काम नहीं होता, अन्य प्रकार के उत्पादन कार्य करने के लिये परिवर्त्तित किया जाय, प्रत्येक मज़दूर को हर ग्यारह महीनों के बाद एक महीने की छट्टी मज़दूरी सहित दी जाय, स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय, प्रत्येक फैक्टरी आदि को एक या एक से अधिक शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिये बाध्य किया जाय, कुटीर उद्योग तथा बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को वस्तु विक्रय की एजेन्सियां स्थापित की जायें, देश के उत्पादन क्षेत्र में जहां ऋण देने की व्यवस्था न हो वैसी व्यवस्था की जाय, केवल ऐसे विदेशियों को सेवा में रखा जाय जो टैक्निकल काम जानते हों, प्रत्येक राज्य में जितने व्यवसायिक तथा टैक्निकल काम हों उनकी संख्या के अनुसार उनके लिये स्कूल खोले जायें, वेतन तथा बोनस की ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उत्पादन में बाधा न पड़े, राज्य की नीति में ऐसे परिवर्तन किये जायें जिससे कि उत्पादन बढ़े तथा साथ ही लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो और इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय कि बेकारी न बढ़े, विदेशी व्यापार में तेज़ी तथा मंदी को सामयिक कार्यवाही से रोका जाय और बेरोज़गारी बीमे की व्यवस्था की जाय ।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला अलीगढ़): मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेकारी दूर करने के लिये निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये । ऋण देकर बन्द उद्योगों को फिर से चालू किया जाये पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक भाग को कार्यान्वित किया जाये । छोटे बड़े उद्योगों के लिये सस्ती बिजली की व्यवस्था की जाये । अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसान को पानी, खाद आदि की सुविधायें दी जायें । अन्य समुन्नतिकारी कार्य आरम्भ किये जायें ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ-दक्षिण) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का पुनर्विलोकन किया जाये जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम मिल सके ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेकारी दूर करने के लिये सरकारी विभागों को यह आदेश दे दिया जाये कि वे अपने काम के लिये खादी भंडारों से ही खादी खरीदें। सैनिकों और पुलिस वालों को छोड़ कर सब सरकारी कर्मचारी खादी पहन कर दफ्तर आयें तथा कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों की ही वस्तुएं अधिकतर खरीदें। कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं के बेचे जाने का समुचित प्रबन्ध किया जाये।

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि मिल उद्योगों का कार्य क्षेत्र कम किया जाये तथा ग्राम-उद्योगों का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाये।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेकारी दूर करने के लिये छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये। छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच प्रतियोगिता दूर की जाये। देशी वस्तुओं से जो बाहरी वस्तुएं प्रतियोगिता करती हैं उनका आयात बन्द किया जाये। निर्माण कार्य हाथ में लिया जाये जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम मिले। बेकार व्यक्तियों की एक भूमि सेना बनाई जाय जो खेती योग्य भूमि पर खेती करे। लोगों में निरक्षरता दूर करने तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिये शिक्षित युवक और युवतियों को भर्ती किया जाये।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर दक्षिण) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि योजना आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाये कि मिलों के मुकाबले में कुटीर उद्योग को अधिमान दिया जाये।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेकारी दूर करने के लिये बेकार व्यक्तियों के आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग पर संग्रह किया जाये। फालतू जन-शक्ति को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाया जाये। रक्षा विभाग का इस प्रकार से प्रबन्ध किया जाये जिससे अधिक लोगों को काम मिल सके। आर्डनैन्स फैक्टरियों तथा सैनिक इंजीनियरिंग सेवा का इस प्रकार पुनर्संगठन किया जाये जिस से अधिक व्यक्तियों को काम मिले।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि बेकारों की सहायता के लिये तुरन्त ही ५० करोड़ रुपया अलग निकाल कर रख दिया जाये। अनाज के दाम कम कर दिये जायें। सहकारी कृषि बस्तियां बनाई जायें। राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें अपने काम के लिये कुटीर उद्योगों की वस्तुएं खरीदें। भूहीन मजदूरों को उन जमीनों से न हटाया जाये जिन पर वे इस समय खेती कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों में छंटनी रोक दी जाये। उपभोक्ता वस्तुओं के आयात का उचित रूप से नियत्रण किया जाये।

श्री टी० क० चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि एक लाख से अधिक सम्पत्ति पर कर लगा कर जो धन संग्रह हो उसे ऐसे उद्योगों को चलाने में लगाया जाये जिस से बेकार व्यक्तियों को काम मिले। जो मिल अपने प्रतिष्ठापित सामर्थ्य-भर कार्य न करते हों उन्हें राज्य अपने हाथों में ले ले। एक निश्चित भूमि क्षेत्र से अधिक समस्त भूमि को राज्य अपने हाथों में ले ले और उसका वितरण भूहीन मजदूरों में करे जिस से सहकारी आधार पर खेती हो सके। योजना द्वारा सिफारिश किये गये एक इस्पात के कारखाने के अलावा दो इस्पात के कारखाने और खोले जायें। सरकारी तथा गैर-सरकारी विभाग देश में बनी वस्तुओं को ही अपने काम के लिये खरीदें। सरकार अपने पास से या जहां कहीं भी सम्भव हो

बड़े बड़े पूंजीपतियों से धन ले कर उन व्यक्तियों की सहायता करे जो दो महीन तक लगातार काम करने पर किसी कार्यालय से निकाल दिये गये हों ।

श्री विट्ठल राव (खम्मम) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि वह तुरन्त ही एक ऐसा अध्यादेश जारी करें जिस के अनुसार ऐसे औद्योगिक उपक्रमों तथा खानों में छंटनी रोक दी जाये जिस में १०० या उस से अधिक कर्मचारी काम करते हों ।

सरदार ए० एस०सहगल (बिलासपुर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि असैनिक विभागों के अलावा सैनिक विभाग में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जायेकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम मिल सके ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहती हूं कि समस्त बेकार व्यक्तियों का पर्यालोकन किया जाये, विशेषकर बेकार स्त्रियों का ।

सभापति महोदय : यह सब संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हैं ।

प्रो० एस० एन० मिश्र : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बेकारी की समस्या पर उचित रूप से विचार करना आरम्भ कर दिया है । इस के सुलझाने को प्राथमिकता दी जा रही है । कुछ इस प्रकार की धारणा फैलाने का प्रयत्न किया गया है कि कांग्रेस इस संकल्प को पारित नहीं होने देना चाहती । परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है । वास्तव में, कांग्रेस तो इस समस्या पर पहले ही से विचार करती आ रही है । मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस संकल्प से यह समस्या हल नहीं हो जाती । इस सकल्प में बेकारी को रोकने की मांग की गई किन्तु वास्तविक प्रश्न तो उसे जड़ से हटाने का है ।

बकारी के अलावा लोगों को उन की योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता । इस संकल्प में इस बात की कोई चर्चा नहीं है । अधिक ज़ोर इस बात पर दिया जाना चाहिये कि लोगों को काम करने की सुविधाएं प्राप्त हों । मेरे विचार में इस कार्य के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो इस बात का पता लगाये कि कितने लोग बेकार हैं, बकारी के वास्तविक कारण क्या हैं तथा किन किन उद्योगों में कितनी बेकारी है । परन्तु मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि उस समय तक कोई कार्यवाही ही न की जाये । मैं ने तो यह सुझाव इस लिये रखा है जिस से वैज्ञानिक रूप से आंकड़े जमा हो सकें तथा इस समस्या के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति बनाई जा सके ।

१९५१ की जनगणना के अनुसार लगभग साढ़े चार करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उन्हें काम मिला हुआ है अथवा नहीं । अब हमें यह देखना है कि इन व्यक्तियों के बारे में क्या क्या किया जा सकता है । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश को पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि कुछ उद्योगों में उत्पादन बढ़ गया है किन्तु कुछ में कम हो गया है । इस प्रकार चहुंमुखी वृद्धि नहीं हुई है । तीसरी बात यह भी ध्यान में रखनी है कि हमारा देश एक अर्द्ध-विकसित, तथा पिछड़ा हुआ देश है । हमारे देश में पर्याप्त पूंजी तथा शक्ति नहीं है । चौथी बात है हमारी शिक्षा पद्धति । हमारे सामने हमेशा से शिक्षित बेकारों की समस्या आती रही है । इस समय तो यह बहुत ही उग्ररूप में उपस्थित हुई है । परन्तु आप शिक्षित व्यक्तियों को काम दिला कर बेकारी की

[प्रो० एस० एन० मिश्र]

समस्या हल नहीं कर सकते । आखिर कार और लोग भी तो हैं । उन के लिये भी तो कुछ किया जाना चाहिये । बात तो यह है कि पहले जो शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी वह पुलिस राज्य के लिये अपनाई गई थी । हमें तो अपनी समयोजित आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ अलग ही शिक्षा पद्धति अपनानी पड़ेगी । शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने में हमें इन बातों का विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि समस्त सरकारी कारखानों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अधिमान दिया जाये क्योंकि ऐसे कारखानों में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति बहुत कम हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री जे० बी० कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : यह तो मान ही लिया गया है कि बेकारी की समस्या के कारण व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से, देश में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । यह परिस्थिति एक दम से उत्पन्न नहीं हो गई है बल्कि पहले भी थी । हां, यह बात तो जरूर थी कि विदेशी शासकों के समय में इस का यह रूप न था । परन्तु हमारी नीति के कारण तो आज इस ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया है । जैसे ही सत्ता हमारे हाथ में आई हम ने "स्वदेशी" आंदोलन को बिल्कुल ही त्याग दिया । हम ने यही सोचा कि स्वतंत्र भारत में स्वदेशी की कोई आवश्यकता नहीं है । हम आयात तथा निर्यात पर नियंत्रण रख कर अपना काम चला सकते हैं । इस प्रकार हम ने देश में न केवल उन वस्तुओं का आयात किया है जिन्हें हम स्वयं बना सकते हैं बल्कि उन वस्तुओं का भी जिन के बिना हम अपना काम चला सकते हैं तथा ऐसी वस्तुओं का भी जो हमारे लिये हानिकारक हैं । यदि लोगों में स्वदेशी की भावना जाग्रत होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता ।

युद्ध के समय छोटे पैमाने के कुछ उद्योग चल निकले थे किन्तु सरकार ने अपनी नीति द्वारा उन्हें पनपने ही नहीं दिया । सरकार तो बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करना चाहती है । उसे बड़े बड़े उद्योगों को सहायता देना पसन्द है । परन्तु क्या आप एक ऐसे देश में जिस की आर्थिक दशा २०० वर्ष से बिगड़ी पड़ी हो, पूंजीवादी तरीकों से सुधार रखते हैं ? मेरे विचार में पूंजीवादी तरीकों से कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है । पहले हमारा नारा था कि न केवल उत्पादन करो बल्कि उस की खपत की भी व्यवस्था करो । कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो । परन्तु अब तो कुछ बात ही और हो गई है ।

अब तो हम ने न केवल बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है बल्कि विदेशी पूंजी का भी स्वागत किया है । हमारे वाणिज्य तथा उद्योग में विदेशी पूंजी का बोल बाला है । ८० प्रतिशत चाय के बागीचे उन के हाथ में हैं । यही हाल बैंकों और बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में है । देखा जाये तो हम वास्तव में आर्थिक दृष्टि से अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं ।

स्वदेशी की भावना को कुचल देने के पश्चात् हम ने यह नारा अपनाया कि यदि जिन्दा रहना चाहते हो तो उत्पादन करो । मगर बात कुछ उलटी ही हो रही है । हम ने पंचवर्षीय योजना भी बना कर लागू कर दी है परन्तु बेकारी घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है । बेकारों की संख्या में लगभग १५½ लाख की और वृद्धि हो गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि योजना-युक्त आर्थिक व्यवस्था में बेकारी किस प्रकार बढ़ सकती है । लोगों को काम मिलना

चाहिये न कि उन्हें काम से हटाया जाना चाहिये ।

एक मजे की बात और भी है । एक ओर तो अधिक उत्पादन है और दूसरी ओर बेकारी है । क्रय शक्ति के अभाव के कारण चीजें बिकती नहीं ह पर मूल्य बढ़ते ही चले जा रहे हैं । सम्पन्नता में कंगाली यह एक विचित्र सी बात है । इस का कारण यह है कि पंचवर्षीय योजना की धारणा बड़े पैमाने पर किये गये व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर बनाई गई है । प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों का भी यही मत है । प्रो० वाडिया तथा श्री के० टी० मर्चेन्ट का यह मत है :—

"आयोग ने भारत में सम्पूर्ण सेवायोजन के लक्ष्य को योजना का अंग स्वीकार नहीं किया है । परन्तु देश की सुख समृद्धि के लिये अधिकाधिक सेवायोजन अनिवार्य है । समाज के संगठन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला सब से महत्वपूर्ण कारण बेकारी ही है । किसी प्रकार से व्यक्तिगत लाभ कमा न सकें इस आधार पर आधारित पूंजीवादी योजना से ही जिस में अधिकतम सेवायोजन का कोई उपबन्ध नहीं है, यह विषम स्थिति उत्पन्न हुई है ।"

गत सात वर्षों में जो गड़बड़ घोटाला किया गया है उसी का यह दुखद परिणाम निकला है । अब प्रश्न यह है कि इस का निदान क्या है ? पूंजीवादी आधार पर भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना असंभव है । कुछ देश युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं । हमारे पास कोई उपनिवेश नहीं है कोई अधीन देश नहीं है जहां हम अपना माल खपा सकें । और फिर पूंजीवादी आधार पर "कल्याण-कारी राज्य" का ढांचा भी कैसे खड़ा किया जा सकता है । अमरीका ने भी इसी प्रणाली को अपनाया था परन्तु उसे भी इसे छोड़ देना पड़ा है । परन्तु जहां जहां भी समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित की गई है वहां सफलता मिली है और प्रगति हुई है । हम यहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं । किन्हीं उद्योगों में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिये, उन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । उदाहरण के लिये दिल्ली यातायात सेवा लीजिये । इस में व्यक्तिगत तथा निजी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिये । परन्तु कुछ उद्योगों में निजी उत्पादकों को स्वतंत्र रूप से विकास करने की अनुमति होनी चाहिये । मिश्रित अर्थव्यवस्था रखने के लिए हमें सन्तुलित अर्थ व्यवस्था रखनी आवश्यक है ।

इस समस्या का क्या निदान हो सकता है इस के सम्बन्ध में मैं विशेषज्ञों की सम्मतियां देना पसन्द करूंगा । श्री नन्दा ने अहमदाबाद में भाषण देते हुए बेकारी के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे । उन्होंने एक चार-सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा बताई थी । पहला लक्ष्य यह था :

"सरकार कुटीर उद्योगों जैसे उद्योगों को जिन में अधिक व्यक्ति लग सकें प्रोत्साहन देगी ।"

पंचवर्षीय योजना में अधिक जन संख्या को रोजगार देने का कोई उपबन्ध नहीं है । उस में तो उत्पादन, और अधिक उत्पादन ही की बात है और लोगों ने पूंजी के अभाव के कारण और अधिक बच्चों का उत्पादन करना शुरू कर दिया ।

दूसरा लक्ष्य यह कहा उन्होंने :

"भविष्य में सभी सरकारी गतिविधियों का लक्ष्य श्रमहित होगा पूंजीहित नहीं ।"

पंचवर्षीय योजना के प्रणेता का अग्रेतर मत है :

"बाहरी बेकार व्यक्तियों को सामान्य उपभोग की वस्तुएं बनाने के उद्योगों में लगा कर रोजगार दिया जायेगा ।"

[श्री जे० बी० कृपलानी]

आज कल जो वस्तुएं कुटीर उद्योगों में बनाई जा रही हैं उन को विदेशों के धनी वर्गों के मनोरंजनार्थ निर्यात कर दिया जाता है । यदि ग्राम उद्योगों को बढ़ाना है तो उन से ऐसी वस्तुएं बनाई जायें तो हमारी ग्रामीण जनता के काम आ सकें ।

'चौथा लक्ष्य यह है :

"बुनियादी शिक्षा और श्रम पर ज़ोर दिया जायेगा ।"

महात्मा गांधी ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली को चालू किया था परन्तु उसे न अपना कर हमारे अधिकारियों ने पुरानी पद्धति को ही चालू रखा । सत्तारूढ़ होने के पश्चात सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिस में अनेकों शिक्षा शास्त्री थे । उस समिति ने कालिज तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के प्रश्न को पहले लिया । पांच वर्ष बाद शिक्षा विभाग को होश आया कि कालिज स्तर की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर आधारित है । सरकार इमारत को ऊपर से नीचे को बना रही है ।

हमारा देश केवल मात्र कांग्रेसियों का ही देश नहीं है और हम को यहां बेकारी का इलाज ढूंढना है । मेरा वित्त मंत्री से यह कहना है कि उन को बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना होगा । दूसरे भारत स्थित विदेशी सार्थों को चलते रहने देने की कोई आवश्यकता नहीं है । वह २००-३०० प्रतिशत तक लाभांश अपने हिस्सेदारों को बांट रहे हैं । ऐसा तो किसी भी देश में होना संभव नहीं था । विदेशी सार्थ हमारे देश का सार खींचे चले जा रहे हैं और हमारी सरकार उन से आय और व्यय के आंकड़े भी नहीं मांग सकती है । इस के लिए वह एक विधान पारित कराना चाहती है । यदि हमारा देश स्वतंत्र देश है तो आय व्यय का लेखा न देने वाले विदेशी सार्थों को अपना बधना बोरिया समेट कर चले जाने के लिए कह देने में कोई आपत्ति नहीं है । और भी अन्य कार्यवाहियां की जा सकती हैं ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : मैं इस प्रश्न को प्राथमिक महत्व का प्रश्न समझता हूं । मेरे विचार से इस प्रश्न या समस्या का आधार हमारी पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था है । जिस देश के दो तिहाई व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहते हों वहां बेकारी तो होने को है ही । आंकड़ों से ज्ञात होता है कि स्वस्थ व्यक्तियों में से एक तिहाई काम पर लगे हुए हैं । शेष दो तिहाई में से कोई दो करोड़ छोटे व्यापारी हैं तथा इसी प्रकार का काम करते हैं । इतने ही व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक हैं । अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या बेकारी इन्हीं वर्गों में है या अपना स्वयं का काम धन्धा करने वालों में भी यह बेकारी है । वह आंशिक रूप से सेवायुक्त होते हैं और इस का परिणाम यह है कि चाहे इस समय हम को कभी कभी बहुत बेकारी दिखाई न भी दे तो भी बेकारी तो है ही और हमारा योजना आयोग इस समस्या का ठीक तरह से अनुमान लगाने में असमर्थ रहा है ।

सर्व प्रथम मैं इस बेकारी की समस्या पर कई दृष्टिकोणों से चर्चा करूंगा । मेरे पास प्रति व्यक्ति की आय, तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की प्रतिशतता बताऊंगा । प्रति व्यक्ति आय को देखें भारत तथा चीन सब से पीछे हैं । इस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारे देश की समस्या जन संख्या के कुवितरण के कारण है । जब तक हम इस समस्या को उपयुक्त दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक माननीय सदस्यों द्वारा दिए सुझावों से समस्या का निदान नहीं होगा । यदि हमें बेकारी

को दूर करना अभीष्ट है तो हमें सर्व प्रथम बढ़ती जा रही बेकारी को रोकना तथा भूमि पर के दबाव को कम करने के लिये अपने कृषक वर्गों को भूमि से हटाना पड़ेगा। मेरी गणना के अनुसार प्रति वर्ष सात लाख व्यक्तियों को भूमि पर से हटाना पड़ेगा। इस प्रकार हमें अ-कृषिकार्य क्षेत्रों में कोई २५ लाख कर्मचारियों की प्रतिवर्ष व्यवस्था करनी होगी। भेदभाव को दूर रख कर हमें इस समस्या को सुलझाना है।

मेरे अनुमान से इन २५ लाख में से कोई २॥ लाख को बड़े पैमाने के उद्योगों में लगाया जाय। इन व्यक्तियों के उद्योग धन्धों में लगाये जाने के कारण अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को काम मिलेगा। अतः वित्त मंत्री और योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि वह इस समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार करें। थोड़े से परिश्रम से ही यह ज्ञात हो जायगा कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों को किसी उद्योग, या व्यापार या व्यवसाय में लगाने से शेष ९० प्रतिशत की बेकारी को कैसे दूर किया जा सकता है। इतने व्यक्तियों को छोटे तथा कुटीर उद्योगों, व्यवसायों तथा व्यापार में लगाने के लिए योजना आयोग को अपने विकास कार्यक्रम में तथा बेकारी की समस्या के प्रति अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करने होंगे।

जो भाषण हुए हैं उन से यह आभास मिलता है जैसे कि हम बेकारी की समस्या को विकास समस्या से अलग समझ रहे हैं। आज जितना भी काम है उसे ही सभी बेकारों में बांट कर बेकारी की समस्या को खत्म किया जा सकता है परन्तु इस से जीवन स्तर के गिर जाने की संभावना है। विकास तथा बेकारी की समस्या पर विचार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या बेकारी की समस्या को प्रश्न समझा जाय या उसे विकास समस्या का एक भाग समझा जाय? इस सदन में पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होते समय इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि दस वर्ष में हमारा जीवन स्तर १०० प्रतिशत ऊंचा हो जाना चाहिए। ऐसा तो केवल देश के उत्पादक तथा पूंजी संसार में वृद्धि करने मात्र से ही हो सकता है, मौजूदा कार्य की परिमात्रा को सभी बेकारों में बांट देने से ही इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस से तो उल्टे सभी का जीवन स्तर गिर जायगा।

अतः निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में सेवायोजन बढ़ाने के लिये योजना आयोग को विचार करना होगा। मेरा सुझाव यह है कि व्यवसाय के निजी क्षेत्र में उन बातों पर, जिन से सहायक क्षेत्रों में अधिक सेवायोजन हो सके, अधिक धन व्यय किया जाना चाहिये। योजना आयोग को यह देखना चाहिये कि ऐसी बातें कौन सी हैं जिन पर उसे अपनी विकास निधि को व्यय करना आवश्यक है। आज की बेकारी युद्ध के पश्चात समस्त संसार में फैली सामान्य बेकारी ही का एक अंश है। साथ ही हमारी योजना भी कोई २½ वर्ष पिछड़ गई है। बेकारी का दूसरा कारण युद्ध के कारण बढ़े हुए मूल्यों का कम न होना है।

अतः हमें इस समस्या को निजी तथा सरकारी अथवा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सुलझाना होगा और इस का साधन मेरे विचार से केवल यही है कि योजना की कार्यान्विति गति को, विनियोजन की गति को और विशेष कर उन क्षेत्रों में जिन से हमारी अर्थ व्यवस्था को दृढ़ता तथा प्रोत्साहन मिले, बढ़ाना होगा। मेरा यह भी निवेदन है कि अल्पकालीन उपायों से समस्या का निराकरण नहीं हो सकेगा।

श्री मूल चन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद–उत्तर) : मेरा प्रस्ताव है कि संकल्प के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"this House is further of opinion that the problem of unemployment cannot be solved by big industry either in the public or private sector and that the following steps may be taken immediately to tackle the problem---

(a) to have a survey made of all small scale industries in existence in the Indian Union by calling upon if necessary members of both Houses of Parliament to furnish particulars of all small scale industries existing in their constituencies so as to enable the Government to collect statistics of such industries as may be considered proper for development ; and

(b) to make arrangements for the marketing of their products in this country and foreign countries by calling upon the commercial attacks attached to the various Embassies and Legations to study the needs of the people of those countries and five suggestions in the matter of the marketability of the products of our small scale industries in those countries."

["इस सदन की यह अग्रेतर सम्मति है कि बेकारी की समस्या को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने के उद्योगों के द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है तथा इस समस्या का निराकरण करने के लिए निम्न कार्यवाहियां अविलम्ब की जानी चाहियें --

(क) इस समय भारत संघ में प्रचलित सभी छोटे पैमाने के उद्योगों का परिमापन कराया जाना और इस के लिये यदि आवश्यक समझा जाये तो संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से उन के निर्वाचन क्षेत्रों में चालू सभी छोटे पैमाने के उद्योगों का विवरण देने की प्रार्थना की जाये जिस से कि सरकार को उन उद्योगों के, जिन को विकसित करना ठीक समझा जाये, आंकड़े इकट्ठा करने में सहायता मिले; तथा

(ख) इन के द्वारा बनी वस्तुओं के विक्रय के लिये देश में तथा विदेशों में प्रबंध किये जायें तथा हमारे विभिन्न दूतावासों से सम्बद्ध वाणिज्यिक सहचारियों से उन देशों के निवासियों की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उन देशों में हमारे छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन के विक्रय के सम्बन्ध में सुझाव देने का आदेश दिया जाये ।"]

वित्त मंत्री के० सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत : मैं चर्चा में इसलिए अन्तर्बाधा नहीं कर रहा हूं कि कुछ सुझाव देकर बेकारी के दूर करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति की व्याख्या करूं अपितु मैं तो बेकारी की इस समय की स्थिति को बताना चाहता हूं । क्योंकि बेकारी की वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर उसका हल अधिक अच्छी प्रकार से खोज निकाला जा सकता है ।

दुर्भाग्य से हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं । जो कुछ भी

आंकड़े हैं वह सेवा योजनालयों द्वारा दिये गय हैं और मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों के हैं। राष्ट्रीय न्यादर्श परीक्षण कलकत्ता में बेकारी की स्थिति के सम्बन्ध में जांच कर रहा है। ४,००० परिवारों से सूचना एकत्रित की जायेगी। अगले तीन महीनों में रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। इस के अतिरिक्त सेवा नियोजन झुकावों का अध्ययन भी किया जायेगा। देहाती क्षेत्रों के लिये इसी प्रकार की एक योजना त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बनाई जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त है वह सेवा नियोजन कार्यालयों द्वारा दी हुई है। इस सम्बन्ध में तैयार किये गये एक मन्तव्य में यह लिखा गया है :

"सेवा योजनालयों की पंक्तियों से ज्ञात होता है कि पंजीबद्ध कराने वालों की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई है परन्तु रिक्त स्थानों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई है। सरकारी विभागों में हुई रिक्तियां एक प्रकार से वही रही हैं परन्तु निजी क्षेत्रों में उन की संख्या बहुत कम हो गई है। परन्तु दोनों को मिला कर संख्या गत वर्ष की अपेक्षा आधी रह गई है।"

इस समस्या के व्यवसायिक तथा प्रादेशिक क्षेत्रों में स्थिति यह है :

"नगरीय क्षेत्रों में फैली बेकारी में कुछ व्यवसायिक तथा प्रादेशिक विशेषतायें हैं। अत्यन्त कुशल व्यक्तियों को बेकारी से कुछ अधिक क्षति नहीं पहुंची है परन्तु क्लर्कों तथा सामान्य व्यवसायों और अर्ध-कुशल कारीगरों में काफ़ी बेकारी फैली है। और यह बकारी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। क्लर्कों की नौकरी के लिये प्राप्त ४५,००० प्रार्थना-पत्रों में से १४,००० मदरास में थे, १०,००० उत्तर प्रदेश में थे तथा बंगाल तथा बम्बई म मे प्रत्यक में ५,००० प्रार्थना पत्र थे। अकुशल कारीगरों की स्थिति भी प्रायः ऐसी ही है।

कम आय वाले वर्गों में समस्या इतनी ही कटु है। साठ रुपया अथवा इस से कम वेतन वाले पदों के सेवानियोजन अवसरों में कमी हो जाने के कारण अकुशल, अर्ध-कुशल तथा क्लर्कों में अत्यधिक बेकारी बढ़ी है। तीस और साठ रुपये के बीच के वेतन वग में सन् १९५० में २४४,००० प्रार्थना पत्र थे सन् १९५१ में इन की संख्या बढ़ कर ३०५,००० हो गई; सन् १९५२ में यह गिर कर २१०,००० रह गई और सन् १९५३ के प्रथम चतुर्थांश में यह संख्या ३०,००० से भी कम थी। साठ और सौ रुपये के बीच के वेतन वर्ग में स्थिति उल्टी है। सन् १९५० में प्रार्थना-पत्रों की संख्या ३६,००० थी; सन् १९५१ में वह ५१,००० से अधिक थी, सन् १९५२ में १०७,००० थी और सन १९५३ के प्रथम चतुर्थांश में यह ३०,००० है।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो गया होगा नगरीय क्षेत्रों में बेकारी ने मुख्यतः शिक्षित वर्ग को शिकार बनाया है। अकुशल कारीगरों के सम्बन्ध में समस्या बहुत विषम है। समस्त पूंजीबद्ध संख्या में इन की संख्या ५० प्रतिशत से अधिक है। इन के देखे शिक्षित वर्ग में बेकारी कुछ कम है यद्यपि सेवा-योजनालयों में इन के आंकड़े अधिक पूर्ण हैं। कोई ११८,००० मैट्रिक पास तथा स्नातक सेवा योजनालयों की पंजियों में हैं। इस संख्या में ८० प्रतिशत मैट्रिक हैं और दस प्रतिशत इंटरमीडियेट पास हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में शिक्षित वर्ग की नौकरी की समस्या बहुत विषम है और समस्या का निराकरण करन के लिए अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को भी सेवायोजन कार्य-क्रम में बराबर का स्थान दिया जाना आवश्यक है।

[श्री बी० आर० भगत]

बेकार कुशल श्रमिकों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में बढ़ गई है और सेवा योजनालयों की पंजियों में कुशल प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है । संभावना यह भी है कि कुशल कर्मचारियों में वास्तविक बेकारी इतनी न हो, क्योंकि सेवा योजनालयों में इस वर्ग में पंजीबद्ध व्यक्ति अधिकतर बेकार नहीं हैं अपितु अधिक उत्तम तथा अधिक वेतन के पदों की तलाश में हैं । तथापि यह स्वीकार करना होगा कि नगरीय क्षेत्र के बेकारों की संख्या में इन कुशल कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और जिन को विकसित अर्थ व्यवस्था में खपा लेना हमारे लिए कठिन नहीं होगा ।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है फ़ैक्टरी कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है परन्तु मूल्यों में होने वाली कमी के कारण कुछ उद्योगों पर संकट अवश्य आया है । वस्त्र उद्योग में मई १९५२ में गत वर्ष की अपेक्षा १६,००० अधिक कर्मचारी सेवायुक्त थे । १ जुलाई, १९५३ को इन की कुल संख्या ८१९,००० थी और गत वर्ष की अपेक्षा कमकरों की संख्या १२,००० और बढ़ गई थी । परन्तु इस के अतिरिक्त कुछ एककों में कुछ कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न हुई हैं, कोई २४ मिलें पूर्णतया या अंशतः बन्द हो गई हैं ।

जूट उद्योग की समस्या दूसरी ही है । सम्पूर्ण उत्पादन का ९० प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है । परन्तु योरुप की जूट मिलों से प्रतियोगिता होने तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी इस उद्योग को अपने उत्पादन को सीमित करना पड़ा है, और इस कारण इस में लगे कर्मचारियों की संख्या में कोई २०,००० की कमी हो गई है ।

अन्य उद्योगों के विषय में रोजगारी सम्बन्धी स्थिति की ताजी से ताजी विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है, पर अभ्रक तथा चपड़ा उद्योगों में ही श्रमिक अधिक संख्या में बेरोजगार हुए हैं, और ये दोनों ही उद्योग निर्यात संबंधी मांग और कोयले के खनन पर आश्रित हैं । चपड़ा उद्योग में बेरोजगारी के ठीक-ठीक कारण की जांच की जा रही है । अन्य उद्योगों में , जिनमें विगत छः महीनों में अवपात हुआ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये हैं : मोटर गाड़ियां, निर्माण-इंजीनियरिंग, कृषि यंत्र, औद्योगिक यंत्र , फौंड्री और सीमेंट । यही नहीं कि इनमें बेरोजगारी की वृद्धि संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, बल्कि यह भी संभव है कि हाल के महीनों के इस अवपात का एक हेतु कालोद्भव बातें हों । देश में मोटर गाड़ियों के निर्माण को विकसित करने के लिये सरकार द्वारा उद्घोषित उपायों ने इस उद्योग में रोजगार पर प्रभाव डाला है । निर्माण-इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक और कृषि यंत्र उद्योगों के उत्पादनों की मांग धीमी ही चली जा रही है, पर हाल में डीज़िल इंजनों और लकड़ी के पेच, यंत्रों के पेंच, तार की जालियों, धुनने के इंजनों और विद्युत् तथा यांत्रिक उद्योगों संबंधी मांग कुछ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है । सीमेंट उद्योग में पिछले समय की तुलना में रोजगार में कमी उसी स्थिति में हुई है, जहां उद्योगों द्वारा नई खदानें खोली गई हैं ।

उद्योग की शिल्पीय और प्रबन्धकत्व संबंधी नौकरियों के विषय में एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स ने अपनी सदस्य फ़र्मों के कुछ आंकड़े दिए हैं । सभापति महोदय की अनुमति से मैं उनको पढ़ सुनाता हूं । इन फर्मों में शिल्पीय स्थान जनवरी, ५२ के ११,८२५ स्थानों से बढ़कर जनवरी, ५३ में १२,९७३ और जुलाई, ५३ में १३,१०५ हो गए ।

प्रबन्धकत्व संबंधी स्थानों में यह संख्या उक्त काल में १३,३३२ से क्रमशः १४,५१० और १४,७६६ हो गई है। चूंकि अभारतीयों की संख्या में कुछ कमी हुई है, अतः दोनों ही स्थलों पर भारतीय-प्रजाजनों की नियुक्तियों में वृद्धि हुई है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रोजगार के बढ़ते रहने पर भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है——क्योंकि जन-संख्या की वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि जितनी वृद्धि रोज-गार में नहीं हो पाती। वर्तमान बेरोजगारी-समस्या का मुख्य कारण बेरोजगारी में वास्त-विक कमी की अपेक्षा उसका अपर्याप्त विस्तार अधिक है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शहरी बेरोजगारी के विषय में यह प्रकट होता है कि :

(१) यह समस्या क्लर्की या अर्द्धप्रवीण या अप्रवीण मजदूरी ढूढ़ने वाले वर्ग में अधिक विकट है ;

(२) श्रमिकों के इस वर्ग के लिये अवसरों का अभाव अधिकांशतः ६० रुपए प्रति मास या कम वेतन वाली नौकरियों के विषय में ही है ;

(३) शिक्षित बेरोजगारों की संख्या स्वतः इतनी अधिक नहीं है, पर मैट्रिक और अव्यावसायिक स्नातकों की हाल में बढ़ती हुई संख्या की दृष्टि से ही यह समस्या गंभीर हो गई है ;

(४) शिल्पीय तथा प्रबंधकत्व संबंधी स्थानों के उच्चतर स्तर पर रोज़गार के अवसरों की कमी प्रकट हो रही है, पर कुछ श्रेणियों के प्रवीण कामकरों में निम्नतर स्तर पर रोजगार-हीन व्यक्तियों की संख्या भी अधिक है; तथा

(५) यद्यपि उद्योगों के वर्गविशेष में रोजगार कम हुआ है, तथापि सब मिलाकर देश में कारखानों संबंधी नौकरियों में बहुत अधिक कमी नहीं हुई है।

देहाती खण्ड के विषय में यह समस्या मुख्यतः स्थान विशेष से संबंद्ध है। यह बात सुविदित है कि आज जनशक्ति को काम में लगाने योग्य न तो पर्याप्त जमीन ही है और न पूंजी-द्रव्य ही है। पर वहां पर उत्पादन प्रति व्यक्ति कम होकर समन्वय हो जाता है और औद्योगिक खंड की भांति अतिरिक्त मजदूर बेकार नहीं हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती आ रही है और प्रति व्यक्ति आय तो कम होती रही है, पर मजदूर बेकार नहीं हुए हैं। इस समस्या को प्राविधिक दृष्टि से बेरोज-गारी-समस्या नहीं कहा जा सकता। यह बेरोज़गारी की अपेक्षा बहुत कुछ "आर्थिक तंगी" की समस्या है। मैं यह परिभाषा इस-लिये दे रहा हूं कि इसका इलाज दूसरा है। लघुकालीन दृष्टिकोण से देखने पर हमारी समस्या मूलतः शहरी बेरोजगारी की समस्या है, और हमें इस समस्या को पैदा होते ही निबटाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : सरकार द्वारा आज रखे गए इस विवरण से इस समस्या की गंभीरता, उस पर सरकार द्वारा दिया गया ध्यान, और उसके सुलझाने के लिये सरकार द्वारा ढूंढ़े जाने वाले उपायों पर प्रकाश पड़ता है। पर देहाती बेरोज़गारी की ओर कोई ध्यान नही दिया गया है। मैं उसी के विषय में अपने सुझाव दूंगा।

इस समस्या की सर्वमान्य गंभीरता की दृष्टि में कोरी सैद्धान्तिक व्याख्या का कोई उपयोग नहीं है। इस विषय में सरकार द्वारा रखे जाने वाले संशोधन से इतना प्रकट हो जाता है कि वह भी इसे सुलझाने के लिये चिन्तित है।

इस समस्या का अध्ययन पहले देहातों में ही करना चाहिये क्योंकि वहां की बेरोजगारी

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

या अल्प-रोजगारी के कारण ही लोग शहर में आते हैं और शहर में रोजगार न मिलने पर विदेश जाते हैं। देहात के शिक्षित व्यक्ति भी रोजगार खोजने के लिये शहरों में चले आते हैं।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार ९८० लाख एकड़ कृषि-योग्य जमीन पर खेती नहीं होती। सरकार उसे लोगों में बांट कर उसका उपयोग क्यों नहीं करती। इससे न केवल खाद्य-उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उस क्षेत्र की बेरोजगारी समस्या भी हल हो जायेगी। ४–५ एकड़ जमीन मुफ्त मिलने पर लोग वहां पर शांति से बस जायेंगे।

भूमि-उद्धार कार्य भी तेजी से नहीं चल रहा है। उ ोगीकरण भी आवश्यक है, पर अधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाले माल की खपत कैसे होगी। वस्त्र उद्योग को ही लें, उत्पादन में बचत न होने के कारण २४ मिल बन्द हो गये हैं। फिर हथकरघा जैसे सब से बड़े गृह उद्योग की उन्नत्ति वाचिक-सहानुभूति मात्र से नहीं हो सकती। मंदी आगई है। अत: प्रोत्साहन मिलने पर इसका उत्पादन बढ़ भी जाय, पर उसे खपाया किस प्रकार जा सकेगा? अत: इस उद्योग को ऐसे रूप में सहायता दी जाय कि जुलाहों की आजीविका चल सके और उपभोक्ता को भी लाभ रहे। पर चूंकि कपास का भाव बढ़ रहा है, अत: हथकरघे के जुलाहों के साथ-साथ कपास के किसानों को भी अर्थ-सहायता देनी चाहिये। अन्य छोटे-मोटे गृह-उद्योगों को प्रोत्साहित करने से देहाती क्षेत्रों की बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकती।

अत: बेकार जमीन के उपयोग के विषय में राज्य सरकारों से तुरन्त परामर्श किया जाए, और बेरोजगारी कम करने और उसे उपजाऊ बनाने की दृष्टि से उसका वितरण उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। सरकार सिंचाई की व्यवस्था करके और आर्थिक सहायता देकर इस भूमि के विकास की कठिनाइयां कम कर दे। सरकार अकेले शायद इन किसानों की पूरी-पूरी सहायता नहीं कर सकेगी, उस दशा में सहकारी संस्थाएं इनकी सहायता करें।

अतएव यह अत्यावश्यक है कि इस समस्या को शहरी स्तर पर न निपटा कर देहाती स्तर पर ही निपटाया जाय। उनके देहातों को वापस लौटते ही शहरी-असंतोष स्वत: कम हो जाएगा।

आशा है, सरकार इस पहलू पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य सरकारों को निदेश देगी कि वे उपलब्ध कृषियोग्य भूमि भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों में बांट दें और इस प्रकार वहां की बेरोजगारी को अंशत: सुलझाने की चेष्टा करें।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य): सभापति जी, जिस सवाल पर आज संसद् में बहस चल रही है मेरे ख्याल में उस से बढ़ कर के महत्वपूर्ण सवाल आज हिन्दुस्तान में दूसरा कोई नहीं है। हिन्दुस्तान की जो मौजूदा अर्थ नीति है, मेरा ख्याल है कि इस बीमारी की जड़ उसी अर्थ नीति में है। चार वर्षों से जब जब संसद् में हमारे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उन सभी भाषणों के पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि हिन्दुस्तान की बेकारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिस को सरकार निकट भविष्य में गम्भीरतापूर्वक नहीं ले सकती है। पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिये जो कमीशन बैठा उस कमीशन ने जो अपना ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया, उसके पढ़ने से मालूम होता है कि बेकारी की समस्या हिन्दुस्तान में कुछ भी नहीं है। जब संसद् में और संसद् के बाहर बड़े बड़े वक्ताओं ने और बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पर बहुत ज़ोर दिया तब इस बार जब

अन्तिम रूप में पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई है तो बेकारी की समस्या पर थोड़ा ध्यान दिया गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को अगर हम काम दे देंगे तो देश में उपभोग का इतना सामान नहीं है कि जो हम उन को दे सकें। और उसका नतीजा बतलाया जाता है कि देश में बहुत मुद्रा स्फीति हो जायगा और इनफ़्लेशन हो जायगा, बात सही है। लेकिन जिस विधान को हमने अपने सामने रक्खा है, विधान में जो हमने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ़ स्टेट पालिसी बनाये हैं उसमें हमने इस बात का आवश्सान दिया है, इस बात की हमने प्रतिज्ञा की है कि देश के किसी भी सक्षम्य आदमी को जो काम करने लायक़ हो, काम देंगे और ऐसी नीति को अख़्तियार करेंगे कि जिस नीति के अख़्तियार करने से हर एक का स्टैन्डर्ड ऊंचा बढ़े, लेकिन आज हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्र के जानने वाले और इस संसद् के बहुत से सदस्य भी कहते हैं कि बेकारी की समस्या का समाधान विकास की समस्या के साथ होना चाहिये। बात तो सही है कि बिना विकास के बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि समाज के अन्दर एक वर्ग आराम से बड़े महलों में रहे और इस देश के अर्थ शास्त्री लोग करोड़ों भूखे और नंगे आदमियों को कहें कि अगर तुम को हम काम दे देंगे तो देश के अन्दर इनफ़्लेशन हो जायगा, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जायेंगे, यह उपदेश चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस बात के लिए हर्ष ज़ाहिर करता हूं कि आज हमारे वित्त मंत्री ने इस समस्या के महत्व को महसूस किया है और पंचवर्षीय योजना के बनाने वाले जो हमारे प्लानिंग कमीशन के माननीय सदस्य हैं, उनके कानों में यह एक आवाज़ पड़ने लगी है कि अगर हम जल्द से जल्द देश में बेकारी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो देश के अन्दर में एक बहुत भारी तूफ़ान आ जायेगा। ख़ैर देर आयद दुरुस्त आयद "Better late than never" मैं इस बात को कह कर संतोष मानता हूं। वक्त कम है, इसलिए मैं इसकी विवेचना में नहीं जाना चाहता, विवेचना सही है, निदान सही है, मानी हुई बात है कि देश के कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं मिलता है या थोड़ा और अपर्याप्त काम मिलने के कारण अधिक समय बेकार रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल में चार, छै महीने काम करते हैं, और बाक़ी समय बेकार रहते हैं। समस्या क्या है, जैसा कि हमारे पूर्व के नेता आचार्य कृपलानी जी ने कहा है कि इस देश की अर्थ नीति का जो निर्माण करने वाले लोग हैं, उन लोगों के या तो सोचने में सफाई नहीं है, या उनका दिमाग़ साफ़ नहीं है कि किस रास्ते से हिन्दुस्तान की जो गम्भीर समस्या है बेकारी और गरीबी की उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, अथवा जिस तरह से हमको स्वराज्य हुआ है उसमें स्थापित स्वार्थों को कायम रख के हम इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे, तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अभी तक हमारी सरकार ने जब जब हमने बजट के समय में वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ा, हमने पाया कि हर समय आपकी पूंजीपतियों को खुश करने की चेष्टा रही ताकि देश में कैपीटल फ़ारमेशन हो सके कभी टैक्स बढ़ाये गये और कभी घटाये गये, क्योंकि अगर हम टैक्स ज्यादा बढायेंगे तो कैपीटल फ़ारमेशन नहीं होगा, और जब कैपीटल फारमेशन नहीं होगा, तो उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, और उस अवस्था में देश में बेकारी बढ़ेगी, पश्चिम के देश वालों ने भी इस तरह की जो पद्धति है, इस तरह की जो अर्थनीति है, उसको चला करके देख लिया

[श्री एस एन० दास]

है और जब कि तमाम उपनिवेश हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश पूंजीवादी देशों के हाथ में थे, तब भी पूंजीपति वर्ग इस बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सका, आज के दिन तो हमारा भारत देश न तो पूंजी में इतना बड़ा है और न हमारे देश में इतने उपनिवेश हैं और न कारखाने मिलने वाले हैं न हम किसी देश पर चढ़ाई कर के उसे अपने अधिकार में रखने की नीयत रखते हैं केवल विकास पर ज़ोर दे कर के आप बकारी की समस्या का सम धान करना चाहें तो मैं आप से कहूंगा कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली है हमें तो अपने देश की अर्थ नीति में इस प्रकार सुधार और परिवर्तन करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने के साथ साथ हम आर्थिक विकास को भी चलाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि मिक्सड एकोनामी की जो स्कीम हम ने अपने मुल्क में रक्खी है, यह मिक्सड एकोनामी की अर्थ नीति पूरी सफल होने वाली नहीं है, अभी तक पांच वर्षों में जो हम ने इस के कार्य को देखा है उस से इस बेकारी की समस्या का और अन्य दूसरी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। अब वक्त आ गया है जब आप को अपने देश के लाखों गांवों में जो रहने वाले लोग अर्द्ध बेकार हैं, उन की तरफ़ और हिन्दुस्तान के स्कूल और कालिजेज़ से जो निकले हुए लोग हैं जिन्हें आप बेकार कहते हैं, पर जो आप के बनाये हुए हैं, उन का ध्यान रक्खें, दूसरे उन मज़दूर लोगों का रक्खें जो किसी दस्तकारी अथवा उद्योग धन्धे में लगे हुए हैं, उन में फलती हुई बेकारी को रोकिये। अगर आप उन की बातों को ध्यान में रख कर अपनी नीति और योजना में फिर से सुधार नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं आप से यह भी कहना चाहूंगा कि आज देश में मध्यम श्रेणी के लोगों की आवाज़ है, जिस समाज से पढ़े लिखे लोग आते हैं, उस समाज की आवाज़ आज काफ़ी बुलन्द है और अगर हम ने इन पढ़े लिखे लोगों को उत्पादन के काम में नहीं लगाया तो मुझे भय है कि देश के अन्दर एक ऐसी हवा एक ऐसा वातावरण पैदा हो जायेगा जिस में किसी तरह की रचना अथवा किसी तरह की समस्या को हल करने का काम नहीं कर सकते। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक उत्पादन हम करें, ताकि हमारे मुल्क में अधिक से अधिक उन का उपभोग हो और अधिक से अधिक लोगों को हम काम दे सकेंगे। देश में हम देखते हैं कि एक तरफ़ हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो दूसरी तरफ बेकारी बढ़ती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखिए, जैसे जैसे इस उद्योग को नैशनेलाइज़ करते जाते हैं वैसे वैसे उस का उत्पादन बढ़ता जाता है। साथ ही ऐसा कर के उस उद्योग में लगे लोगों की तादाद घटती जाती है। जिस तरह से उत्पादन बढ़ा है, उसी के अनुपात में बेकारी भी बढ़ी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं वह सब से पहला सवाल न हो कर सब से पीछे का सवाल है, क्योंकि स्कूल, कालिज में हज़ारों रुपये ख़र्च करने के बाद बी० ए० और एम० ए० हो जाते हैं, वह हमारी समाज के किसी काम के नहीं हैं, सिवाय क्लर्की अथवा केरानी का छोटा मोटा काम करने के अलावा किसी दूसरे काम के नहीं होते हैं, वैसे तो इन लोगों का सवाल सब से पीछे आना चाहिए, लेकिन राजनीति यह कहती है कि जो लोग आवाज़ वाले हैं, पढ़ लिख कर शहरों में गांवों में जा कर इस तरह की हवा पैदा करते हैं जिस से

समाज में उथलपुथल होती है और उथलपुथल होने की वजह से समाज की रचना का काम नहीं हो सकता है, और इस हेतु में अपने वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने शिक्षा के सम्बन्ध में ८० हज़ार आदमियों को काम देने के लिए एक योजना सभी राज्यों को भेजी है, मैं इस के लिए उन का अभिनन्दन करता हूं और ऐसा इसलिए करता हूं कि अगर हम बेकार लोगों को ठीक से काम में नहीं लगायेंगे, तो जो बेकार रहते हैं उन के दिमाग में एक भूत रहता है और जिस के दिमाग में बेकारी का भूत सवार रहता है वह सिर्फ़ अपने स्वार्थ को छोड़ कुछ देखता नहीं है और फलस्वरूप देश के अन्दर एक ऐसी हवा पैदा करता है जिस से देश में शान्ति नहीं रह सकती और बेकारी के फैलने से देश में अमनचैन के लिए खतरा पैदा हो जाता है।

अगर अमन और चैन को खतरा हो जायेगा तो फिर हम मुल्क का कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह सब से महत्व की चीज़ है। बारह, तेरह वर्ष तक स्कल और कालेज में पढ़ने के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो समाज के किसी काम के नहीं होते हैं सिवा इस के कि वह क्लर्की करें किरानी करें। हालांकि वह मैट्रिक या बी० ए० पास होते हैं लेकिन अगर उन को एक चिट्ठी लिखने को दे दी जाय तो भी वह गल्ती करते हैं। इसलिये इस क्षेत्र के बेकार लोगों को जल्द से जल्द काम देना राष्ट्र का पहला कर्त्तव्य है।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि संसद में या संसद के बाहर जब कभी बेकारी का सवाल उठाया जाता है तो बेकार उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो कि नौकरी खोजते हैं और कहा जाता है कि उन को काम नहीं मिलता। लेकिन बहुत से छोटे छोटे किसान होते हैं जिन के पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है। वर्ष में कठिनाई से दो या तीन महीने वे लोग काम करते हैं, बाकी समय में बेकार रहते हैं, अधभूखे रहते हैं और पहिनने को कपड़ा तक नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के सवाल पर बहुत कम विचार किया जाता है। चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे और कहीं, कहीं पर उन की अवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अखबारों के अन्दर भी उन्हीं लोगों के विषय में छपता है जो कि पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक या बी० ए० पास होते हैं। संसद में भी ज्यादातर उन्हीं लोगों की बात होती है। हम लोग जिस श्रेणी के हैं उस श्रेणी को तकलीफ़ तो है लेकिन उस श्रेणी के मुकाबले में कम है जो गिरी हुई, है, भूखी है, नंगी है। आज हम यहां पर देश का प्रतिनिधित्व करने की बात कहते हैं लेकिन दरअस्ल हम उनके सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। अगर हम उनके सच्चे प्रतिनिधि होते तो उन के दुख: और दर्द को दूर करने की सबसे पहली कोशिश करते। देश में उपयोग के सामान कम हैं, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहिनते हैं लेकिन हालांकि हमने विधान जिस समय बनाया था उस समय यह कहा था कि हम सब लोगों को काम देंगे, अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिस से मालूम हो सके कि उन ग़रीबों के लिये कुछ त्याग किया गया है। हम लोग हाल में एक लेक्चर सुनने गये थे, उस में एक साहब ने कहा था कि जब तक देश के अन्दर त्याग की भावना नहीं होगी, जब तक कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिये हम तैयार नहीं होंगे तब तक हम अपने निर्माण का काम नहीं कर सकते। बात सही है, लेकिन त्याग कौन करे ? त्याग करेगा वह जिस के पास होगा। पर जिस के पास है वह आज त्याग करने के लिये तैयार नहीं है और जिसके पास नहीं है उस को लेक्चर देते हैं कि तयाग करो। वह

[श्री एस० एन० दास]

त्याग क्या करेगा जिस के पास खाने के लिये भी नहीं है । इस लिये जो सामान ग़रीबों के इस्तेमाल का नहीं है और धनी लोग केवल अपने ऐश और आराम के लिये व्यवहार करते हैं, ऐसी सभी चीज़ों का आयात बिल्कुल रोक देना चाहिये । सब से पहला काम यह होना चाहिये । जब हमारे देश में लोग भूखे मरते हैं तो हमको देश में इन चीज़ों को बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है ? हमें ऐसी चीज़ों की ज्यादा ज़रूरत है जो समाज के काम में आ सकें न कि लोगों के ऐश व आराम में । एक तरफ़ तो आप डवलपमेंट करने के लिये लेक्चर दें और दूसरी तरफ़ करोड़ों आदमी बेकार रह कर भूखों रहें यह चलने वाला नहीं है । डवलेपमेंट (विकास) और एम्पलायमेंट (सभी को काम देना) दोनों को साथ साथ ले चलना होगा । इसलिये देश में इस समय बड़े बड़े पूंजीपतियों के आराम और विलासिता की चीज़ों के आयात को बन्द करना होगा और ग़रीबों के उपभोग की चीज़ों को बनाने का देश में इंतजाम करना होगा । ऐसे उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना होगा जिससे बेकार और अर्द्ध बेकार किसानों और व्यवसायियों को काम मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और कहना चाहता हूं कि बिना बेकारी और अर्द्धबेकारी की पूरी इन्क्वायरी किये हुए अगर हम काम करेंगे, तो काम ठीक से नहीं होगा । जब तक हमारे सामने सर्वे, करने के बाद आंकड़े न होंगे, जब तक हमें सारी स्थिति का ज्ञान न होगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । इसलिये मैं ने अपने संशोधन में इस बात को पेश किया है कि जल्द से जल्द सरकार आल इंडिया बेसिस पर बेकारी का सर्वे करे और इसकी जांच पड़ताल करने के बाद जल्द से जल्द अपनी नीति निर्धारित करे जिससे जल्द से जल्द लोगों को काम मिले और देश की गरीब जनता का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़े ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल्य भारतीय) : मेरा संशोधन का अभिप्राय पंचवर्षीय योजना में अपनाये गये उपायों की अपर्याप्तता, सरकारी-व्ययों में कमी करने और सेवा योजनालयों के सुधार की ओर ध्यान दिलाना है । वह बेरोजगारी की समस्या न केवल तत्काल आवश्यक है बल्कि कठिन भी है । इसका समाधान राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आचार्य कृपलानी के शब्दों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से खोजना चाहिए । इस समस्या का साम्यवादियों जैसा सीधा समाधान मुझे नहीं जचता ।

प्रति वर्ष ५ लाख की शहरी-रोजगारी वाले पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य बिन्दु के आधार पर इन दो वर्षों में १० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए था; पर पुनर्वास तथा रोजगार संचालनालय के आंकड़े बताते हैं कि इसके आधे भी व्यक्तियों को रोज़गार नहीं मिला । अप्रैल में बेरोजगारों की संख्या ५ लाख हो गई थी । मैं वित्त मंत्री के सभा सचिव से सहमत हूं कि समस्या मूलत: नगरों की है, पर चूंकि हमारे आंकड़े अविश्वस्त अशुद्ध. . . . . .

श्री सी० डी० देशमुख : अपूर्ण ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : बिल्कुल अपूर्ण होते हैं । फिर बेरोज़गार व्यक्तियों में एक व्यक्ति इन सेवायोजनालयों में पंजीबद्ध होने जाता है । रहे देहाती क्षेत्र, सो वहां सेवा योजनालय न होने से वहां का तो अन्दाज भी नहीं लग सकता । अस्तु, यह समस्या बड़ी भीषण और उग्र है ।

मेरी दृढ़ धारणा है कि रोज़गार की संख्या भी कम हो रही है और मैं सरकार की यह

उक्ति नहीं मानता कि रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों की आबादी बढ़ रही है और रोजगार कम नहीं हो रहे हैं। मैं ने पढ़ा है कि आसाम चाय-बागों में २५,००० व्यक्तियों की और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के अनुसार तो ६०,००० व्यक्तियों की छंटनी हुई है। पटसन उद्योग में १५,००० व्यक्तियों की छंटनी हुई है और कई हजार व्यक्ति कोयला-क्षेत्रों में निकाले गए हैं। कोयला क्षेत्रों में यह बेरोजगारी यातायात की गड़बड़ी के कारण हुई है। फिर सरकार द्वारा होने वाली छंटनियां हैं। कई राज्यों में सप्लाई और राशन-विभागों में निर्दय छंटनी हुई है। आयुध-कारखानों ने भी छंटनी शुरू की है। कलकत्ता-पत्तन-आयुक्त ने भी छंटनी की है। विजगापट्टम् पोतप्रांगण में ८०० व्यक्ति निकाले गए हैं और वाणिज्य कंपनियों की दशा और भी गई-गुजरी है।

सरकार ने माना है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यबिन्दु गत दो-ढाई वर्षों में पूर नहीं हुए हैं। वित्त मंत्री भले ही एक विशेषज्ञ हों—और विशेषज्ञ का अर्थ ही न्यूनातिन्यून का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना होता है—पर हमें तो सन्देह होने लगा है कि सरकारी वित्त-नीति में कहीं न कहीं पर कुछ गड़बड़ी अवश्य है।

हाल में योजना आयोग ने एक ११-सूत्री कार्यक्रम निकाला है। पर मुझे तो उन के तरीके और निर्धारण में सन्देह है। योजना में और इस कार्यक्रम में सर्वत्र दीर्घकालीन उपायों का ही अधिक आग्रह किया गया है। सदैव बहुसूत्री योजनाओं पर ही विशेष जोर दिया जा रहा है। करोड़ों एकड़ सीचने और करोड़ों टन अन्न पैदा करने के स्वप्न सराहनीय हैं। पर कटु सत्य यह है कि भूखी-अधभूखी जनता का पेट इन योजनाओं से नहीं भर सकता। 'अधिक उपजाओ' का परामर्श देने वाला आप का आर्थिक या राजनीतिक दर्शन बहुत आकर्षक है, पर उस से जनता का पेट नहीं भर सकता। बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या तत्काल सुधार की मांग कर रही है। पता नहीं सर्वाधिक रोजगार दिलाने वाले गृह-निर्माण कार्यक्रमों को योजना में किस कारण ठुकराया गया है।

फिर आप के द्वारा लगाए गए उत्पादन-करों तथा अन्य बड़े-बड़े करों के कारण आप का यातायात-उद्योग लड़खड़ा रहा है। आप की रेलों की दशा भी बिलकुल नगण्य और अपर्याप्त राशि उन के विकास के लिये रखी जाने के कारण और आंतरिक अकार्यक्षमता के कारण बिगड़ती जा रही है। वे आप के उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकतीं। दूसरे रेलों की गड़बड़ी से आप के उद्योग भी लंगड़े हो रहे हैं। यदि आप अपने यातायात को संभाल लें, तो लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा और उद्योगों का संकट भी टल जायगा।

योजना में शिल्पीय-प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना उचित ही है, पर आंकड़ों से पता चलता है कि सहयोग न होने के कारण डाक्टरों, इंजनियरों आदि की भी भारी संख्या बेकारों की सेना में भरती हो रही है। शिल्पीय-प्रशिक्षण के साथ ही प्रशिक्षितों को समुचित स्थानों में लगाना भी आवश्यक है। पता चला है कि १३० बी लाइसेंस वाले विमान चालक बेकार हैं। प्रत्येक के प्रशिक्षण पर १५-२० हजार व्यय होता है और देश में उन की संख्या अपर्याप्त भी है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती।

योजना के भीतर या बाहर सार्वजनिक-निर्माण-कार्यक्रमों को बिना फैलाए असंख्य अप्रवीण व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। सर्वत्र बचत कर के इस के लिए १०० करोड़ रुपये का उपबन्ध करिए। इस

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

में ढील आवश्यक नहीं है । साहस और शक्ति से काम लीजिये ।

दारुण रोग की चिकित्सा भी दारुण होती है । और यदि आप सचमुच इस का निवारण करना चाहते हैं, तो भाग 'ग' राज्यों और अनावश्यक और बहुमूल्य प्रशासनीय-ढांचे को समाप्त कर दीजिये । घाटे वाले भाषात्मक राष्ट्र मत बनाइए । मद्यनिषेध जैसी दुष्कल्पनाओं पर जन धन नष्ट करने वाले पवित्रतावादियों को रोकिए !

फिर ये राज्यपालों के पद राजनीतिक पदों की दृष्टि से भले ही सुविधाजनक हों, अन्यथा आज ये ऐतिहासिक भूलमात्र हैं । मंत्रिपरिषद् में असफल होने वाले व्यक्तियों के नियुक्तिस्थल इन पदों को समाप्त कर दीजिये ।

फिर उच्च-सदन भी देश के लिए विलास पदार्थ मात्र हैं, उन्हें भी समाप्त कर दीजिए ।

अपने मंत्रियों और उपमंत्रियों और सभासचिवों की संख्या कम कर दीजिये । उन की संख्या बढ़ कर ४० तक पहुंच गई है, जैसे कि उस कहानी में अलीबाबा और चालीस व्यक्ति थे । वायसराय की कार्यपालिका में सात सदस्यों से ही काम चल जाता था । मंत्रिगण यह तर्क न रख सकेंगे कि सरकार विधानमंडल के बाहर की अपेक्षा भीतर रोज़गार बनाए रखने के लिये अधिक सतर्क है ।

सात वर्ष पहले बने वेतन आयोग में मैं भी था और उच्चतम वेतन कम कर के २,००० रुपये रखने की बात सुझाई गई थी, पर उस प्रस्ताव तक को नहीं अपनाया गया ।

फिर काश्मीर-समस्या भले ही एक सुकोमल और कठिन समस्या हो और लोग मेरे सुझाव पर आपत्ति करें, पर वहां भी धन का बहुत बड़ा व्यय हो रहा है । यदि वे हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हम उन का आलिंगन करेंगे; पर यदि वे हमारे साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते तो हमें उन को समझाने के लिए जन और उस से भी महत्वपूर्ण धन की वर्षा उन के ऊपर न करनी चाहिये ।

फिर मूल्यों की समस्या को बिना लिए आप बेरोजगारी की समस्या नहीं सुलझा सकते । प्रतीत होता है कि सरकार की कोई मूल्य नीति नहीं है । कम से कम परिवाम यही बता रहे हैं और मुद्रास्फीति बढ़ती ही ही जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मूल्य १० प्रतिशत घटे हैं, पर देश में खाद्यान्न-तालिका १५-२० प्रति शत बढ़ ही गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कब से गिरते दिखाई पड़े हैं ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं गत वर्ष जून तक के आंकड़ों को देख रहा था ।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल गत वर्ष ही, पिछले ४-५ वर्षों के समय में नहीं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं ने ४-५ वर्ष के आंकड़े नहीं देखे । सरकार माने या न माने, हमारी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और मूल्य बढ़ाने वाली है । अपनी दीर्घकालीन बहुसूत्री योजनाओं को आप इस दृष्टि से देखें कि क्या उन से अल्पकालीन मुद्रास्फीति का निवारण हो जाता है ।

मैं नहीं समझता कि आदरणीय वित्त मंत्री जानबूझ कर कुछ नृशंस कृत्य करेंगे, पर खाद्य-सहायता हटा लेना ऐसा ही कृत्य था । उस से निम्नतम और मध्य वर्गों की बहुत क्षति हुई है और आप को उसे वापस लाना होगा । आप के बढ़े हुए शुल्कों ने तो उन की कमर ही तोड़ दी है । यदि प्रत्येक वस्तु आंतरिक खपत या निर्यात के लिये महंगी

बनी रही, तो आप अपनी भुगतान-सन्तुलन स्थिति विनष्ट कर देंगे ।

सरकार का देश के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वह छंटनी रोक दे। अक्षमता और बेईमानी के आधार पर सेवायोजनालयों की भारी आलोचना हुई है, पर फिर भी वे अत्यावश्यक हैं और उन को तोड़ा नहीं जा सकता। उन के भ्रष्टाचार की जांच करिए और उन को सुदृढ़ बनाइए ।

इस के पश्चात सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन ४ बजे पुनः समवेत हुआ

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

श्री सी० डी० पांडे: इस तर्क पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि चूंकि मिताक्षरा तथा दाय भाग के वाद विवाद में वैयक्तिक विधि की अड़चन आ जाती है इस लिये सरकार सब के लिये समान विधि बनाने में असमर्थ है। क्या वैयक्तिक विधि की पवित्रता इतनी अधिक है कि इस देश की दस करोड़ जनता के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति का अधिकार कितना पवित्र था। पर हम ने उस की चिन्ता नहीं की। विवाह की पवित्रता क्या कम है फिर भी अनेक राज्यों ने बहु-पत्नीत्व को एक अपराध बनाने के लिये कानून बनाए हैं। वैयक्तिक विधि में हमारे यहां पुत्रियों को सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, फिर भी हम पुत्रियों को सम्पत्ति का अधिकार देने जा रहे हैं। अतः इस तर्क में कोई सार नहीं है कि चूंकि वैयक्तिक विधि का खण्डन होगा इसलिये मिताक्षरा तथा दाय भाग दोनों सम्प्रदायों के लिये समान विधि बनाना असम्भव है ।

यह प्रथम अवसर नहीं है जब कि एक संसद इस प्रकार की विधि बना रही है। इस धर्ती पर ४३ देश हैं जिन्हों ने ऐसे कानून बनाये हैं। पाकिस्तान में भी विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक विधि वालों में विधि बनाते समय कोई विभेद नहीं किया जाता है। इंग्लैण्ड और फ्रांस में भी भारतीय, पारसी, ईसाई रहते हैं उन की सम्पत्तियां हैं परन्तु वहां की सरकार इस की परवाह नहीं करती है कि किस की वैयक्तिक विधि कैसी है ।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि समन्याय के सिद्धान्तों तथा हमारे विधान के उपबन्धों की यह मांग है कि हमारे कर सम्बन्धी कानून इस प्रकार बनाये जायें कि वे जन्म, जाति, धर्म तथा सम्प्रदायों के विधि का विचार किये बिना हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हों ।

दान के सम्बन्ध में, हमारे वित्त मंत्री ने, संशोधन स्वीकार कर के, सारे देश का गुणानुवाद प्राप्त कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि वे इस देश के दस करोड़ व्यक्तियों को निराश नहीं करेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: मैं ने श्री सर्मा, श्री चटर्जी तथा डा० पांडे के व्याख्यान बहुत ध्यान से सुने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिताक्षरा तथा दाय भाग दोनों प्रणालियों में ऐसा आधारभूत अन्तर है कि दोनों को एक नहीं किया जा सकता है। मिताक्षरा में सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार अति-जीविता तथा दायाधिकार दोनों प्रकार से प्राप्त होता है परन्तु दाय भाग में उत्तरजीवित्व इस लिये नहीं है कि उस में समांशिता नहीं है। लड़कों को जन्म से ही कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है, पिता ही सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होता है ।

दाय भाग में, न केवल, सम्पत्ति का न्यसन भिन्न प्रकार से होता है वरन् सारी प्रणाली धार्मिक प्रभाव पर आधारित है इस

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

कारण दायभाग के अन्तर्गत बिलकुल विभिन्न नातेदार जायदाद के उत्तराधिकारी होते हैं। अतः हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दोनों प्रणालियां भिन्न हैं तथा उन की भिन्नता ऐसी है जो दूर नहीं की जा सकती है।

असमन्याय को दूर करने के लिये या तो यह हो सकता है कि इन में से एक प्रयोग में लाया जाय या दोनों ही प्रयोग में लाये जायें; भाग २ के अन्तर्गत शुल्क दर कम किया जा सकता है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए, हिन्दू विधि के अन्तर्गत नियमित होने वाले सम्प्रदाय मिताक्षरा प्रणाली के अधीन समझे जावें।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : दायभाग व्यक्तियों को जो भय हैं उन के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से कहा जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में जैसी कि इस समय है हिन्दू, मुसलमान, इसाई सब को मिताक्षरा के आधीन कर देना बहुत अनुचित होगा। यदि उस अनुसूचि में, जो हमारे समाने रक्खी गई है, कुछ परिवर्तन कर दिये जायें, तो मेरा विचार है, कि जो असमानतायें उत्पन्न हो गई हैं, उन का प्रबन्ध हो जायगा।

मेरा विचार है कि यदि मुक्ति सीमा दाय भाग तथा अन्य प्रणालियों के सम्बन्ध में बढ़ा कर १,००,००० रुपये कर दी जाय तो यह समस्या हल हो जायगी। इस खण्ड में मैं ने एक संशोधन की सूचना दी है। मेरा संशोधन बहुत ही निर्विवाद है। हमारे देश के कई भाग ऐसे हैं जहां या तो ऐसे रिवाज हैं, या स्थानीय अधिनियम इस प्रकार के हैं कि उन के अन्तर्गत विभाजन की आज्ञा ही नहीं दी गई है जैसे 'मरुमक्कट्टयम्' तथा 'अलियसन्तान'। इस लिये यह खण्ड बढ़ा कर आप उन की स्थिति भी स्पष्ट कर देंगे जिन पर इस प्रकार की विधि लागू है या जिन के यहां ऐसे रिवाज माने जाते हैं और उन पर भी यह विधेयक लागू हो सकेगा।

वित्त मंत्री संभवतः यह अन्तर दे सकते हैं कि नया खण्ड ३७(क) इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त है। परन्तु वास्तव में खण्ड ३७ (क) तो मृत्यु हो जाने पर समांशिता सम्पत्ति में पाये जाने वाले अधिकारों के मूल्यांकन से सम्बन्ध रखता है। यह मूल खण्ड नहीं है। मैं ने जो संशोधन रक्खा है वह इस नये खण्ड ३७ (क) के अनुकूल है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री कृपा कर के इस बात को नोट कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन मैं ने रक्खा है वह भी सम्मिलित कर लिया जाय ताकि स्थिति अधिक स्पष्ट हो जावे।

श्री एस० एस० मोरे : मैं ने दो संशोधन रक्खे हैं। पहले संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि उपखंड (२) हटा दिया जावे तथा दूसरे संशोधन के द्वारा मैं ने प्रस्ताव रक्खा है कि इस खण्ड के स्थान पर दूसरा खण्ड रक्खा जावे क्योंकि मैं एक प्रकार की व्याख्या देना चाहता हूं कि इस धारा के लिये हर एक हिन्दू मिताक्षरा के आधीन समझा जायगा तथा दायभाग के अन्तर्गत पिता तथा उस के पुत्र उसी प्रकार एक समांशिता के अंग समझे जायेंगे जैसे मिताक्षरा के अधीन होते हैं। यदि किसी मिताक्षरा संयुक्त परिवार में 'क' जन्म ले, कुछ दिन जीवित रहे तथा उस के पश्चात उस का देहान्त हो जावे तो अन्य व्यक्तियों को उस का अधिकार अतिजीविता के आधार पर मिलता है। इस का अर्थ यह है कि यदि कोई लड़का जिस की आयु १२ वर्ष से कम है मर जाता है और उस का भाग समांशिता के अन्य सदस्यों के पास जाय तो उन व्यक्तियों पर

सम्पदा शुल्क का कोई भी भार नहीं होगा। यह विभेद क्यों? सरकार कह सकती है, 'यह विभेद तो युगों से चला आ रहा है और आप इसे स्वीकार करते आये हैं। अतः जब हम सम्पदा शुल्क लगाना चाहते हैं और इस सम्प्रदाय के विधि को अपने कार्य के लिये आधार के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आप हम पर दोष नहीं लगा सकते।' मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे पुराने शास्त्र सभी विभेद के आधार पर बने हैं। परन्तु वर्त्तमान सरकार, जो लोकतंत्र पर आधारित है, का यह कर्तव्य है कि वह इस विभेद को कम करे।

गत ५ नवम्बर को वित्त मंत्री ने अपने व्याख्यान में कहा था कि इस विधेयक का एक सामाजिक औचित्य भी है। आर्थिक विषमतायें फैली हैं तथा धन का वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। इस विषमता को कम करने के लिये हम इस विधेयक का प्रयोग करना चाहते हैं। हमारे वित्त मंत्री इस विधेयक से यह काम लेना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल इसलिये कि इस विधेयक से सरकार को आय होगी माननीय मंत्री के लिये यह उचित नहीं है कि वे इस को एक प्रकार की टकसाल समझ लें। उन को तो इस का प्रयोग सामाजिक समानता लाने के लिये करना चाहिए। यदि विभिन्न सम्प्रदायों की विधि प्रणालियां ऐसी हों जो विषमता उत्पन्न करती हों तो सरकार को चाहिये कि सामाजिक समानता लाने का प्रयत्न करे और फिर ऐसी सरकार को जो समाजवाद तथा आर्थिक समानता लाने का दम भरती हो! यह हो सकता है कि यदि हर परिवार मिताक्षर के आधीन समझा जाय तो सरकार की आय कम हो जायेगी। यदि पिता सारी सम्पत्ति का स्वामी हो, जैसे दायभाग में होता है, तो उस के मरने पर सारी सम्पत्ति पर कर लगाया जायगा परन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत यदि पिता की भी मृत्यु हो तो केवल उस के ही भाग पर कर लगाया जा सकता है क्योंकि केवल उतनी ही सम्पत्ति का मृत्यु के कारण, हस्तान्तरण होना माना जायगा। परन्तु हमारे लिये यही आवश्यक नहीं है कि हम केवल उस आय पर ध्यान रक्खें जो सरकार को इस विधेयक से होने वाली है, वरन् हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम विधान में दिय गये मूल अधिकारों का भी विचार करें और प्रयत्न यह करें कि विधि सब के लिये समान रूप से लागू हो।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि मिताक्षरा में हर सदस्य को जन्म से ही उतना अधिकार दे दिया जाता है जितना पिता को प्राप्त है तो इस के फलस्वरूप पिता की शक्ति कम हो जाती है और इस दृष्टि से दायभाग से मिताक्षरा अधिक लोकतंत्रात्मक है। दायभाग में पिता की शक्ति अबाध है। अस्तु मेरा सुझाव है कि दायभाग के अधीन परिवार भी इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये, मिताक्षरा के आधीन समझे जायें। मैं जानता हूं कि मेरा सुझाव एक 'वैधानिक परिकल्पना' है। परन्तु विधि में, न केवल प्राचीन वरन् नवीन विधि में भी कितनी ही परिकल्पनायें हैं।

यद्यपि साम्प्रदायिक विधियों को खत्म करना बहुत ही कठिन है फिर भी मेरी इच्छा यही है कि विषमता पर आधारित इन विधियों को समाप्त करके सरकार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब के लिये एक ही प्रकार की विधि बना दे। सरकार को चाहिये कि इस पर खूब ध्यान दे और एक ऐसा विधयक रक्खे जो सब भारतवासियों पर समान रूप से लागू हो। इस प्रकार की समान विधि को स्वीकार्य बनाने के लिये अब वित्तीय

[श्री एस० एस० मोरे]

उपाय करने का समय आ गया है । यदि हम हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों में एक प्रकार की समानता स्थापित करने में सफल हो जायेंगे तो यह समय आने पर अगला क़दम उठाने के लिये, सहायक होगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से सिफ़ारिश करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करे ।

सभापति महोदय : श्री बर्मन ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित-अनुसूचित जातियां)) : विधि मंत्री के नये संशोधन खण्ड ३७(क) तथा खण्ड ७ के सम्बन्ध में मैं श्री सोमना के विचारों से सहमत हूं कि खण्ड ३७ (क) केवल प्रक्रिय खण्ड है तथा मुख्य खण्ड तो खण्ड ७ है जो कि मूल खण्ड है । समांशिता विधि के अनुसार प्रत्येक सदस्य का सम्पत्ति के प्रत्येक कर्ण पर अधिकार होता है परन्तु जब तक वह पृथक् होने तथा विभाजन करने की घोषणा न करे उस सम्पत्ति में उस का कोई निश्चित भाग नहीं होता है । यदि हम खण्ड ७ को ऐसा ही रहने दें जैसा कि वह है तो इस खण्ड के अनुसार कहा जा सकता है कि मृतक की मृत्यु के कारण सम्पत्ति के किसी भाग का भी हस्तान्तरण नहीं हुआ है। इस लिये इस खण्ड को स्पष्ट करने की आवश्यकता है । वित्त मंत्री कृपया इसे नोट कर लें ।

वे सदस्य भी जो मिताक्षरा वाले हैं यह स्वीकार करते हैं कि दायभाग सम्प्रदाय के विरुद्ध विभेद की नीति बरती गई ह। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि जहां तक इस कर का सम्बन्ध है विधि को समान बनाना बड़ा कठिन है। मान लीजिये दायभाग परिवार का पिता मर जाता ह। दायभाग में सम्पत्ति पर केवल मात्र पिता ही को अधिकार होता है और पुत्रों को कोई अधिकार नहीं होता है। अब यदि मिताक्षरा लागू किया जाय तो लड़का सम्पत्ति का स्वामी हो गया तथा सम्पत्ति पर शुल्क देने का भार आ गया परन्तु हिन्दू विधि में उस के कोई भी अधिकार नहीं हैं तथा उस से कर वसूल करना कठिन हो जायगा। यही सब से बड़ी कठिनाई है और एक समान विधि बनाना कठिन है ।

मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्पदा शुल्क का सम्बन्ध है सब के लिये दायभाग विधि का प्रयोग किया जाय । समांशिता परिवार में प्रत्येक सदस्य का सम्पत्ति पर अधिकार है सम्पत्ति पर कर लगाया जाने वाला है और कोई सदस्य नहीं कह सकता कि वह अपनी सम्पत्ति पर कर नहीं लगने देगा क्योंकि सम्पत्ति में उस को कोई निश्चित भाग नहीं प्राप्त है तथा प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति के प्रत्येग भाग पर अधिकार है इस लिये कर वसूल करने में कोई वैधानिक संकट भी नहीं उत्पन्न होगा। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो विभेद अथवा अन्याय इत्यादि का भी कोई विचार नहीं रहेगा। राजनैतिक एकता का एक मानसिक आधार भी होता है। वह यह कि कर निर्धारण के सम्बन्ध में या और किसी रूप में उन के साथ विभेद का व्यवहार नहीं किया गया है । मुक्ति सीमा को घटा बढ़ा कर हम इस विभेद को कम करने का प्रयत्न कर सकते ह परन्तु विभेद तो फिर भी रहेगा ही। विधान के अनुसार क्या हम कर-निर्धारण के सम्बन्ध में एक नागरिक तथा दूसरे नागरिक में विभेद कर सकते हैं--यह प्रश्न तो और भी गंभीर है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री तथा इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि जहां तक इस सम्पदा शुल्क का प्रश्न है, हम समान रूप से मिताक्षरा प्रणाली का प्रयोग करने की बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं फिर भी मेरे विचार से

यदि हम प्रयत्न करें और हम सहमत हों तो हम, जहां तक इस सम्पदा शुल्क का प्रश्न है, दायभाग प्रणाली सब पर लागू कर सकते हैं ।

श्री पी० एस० नस्कर (डायमंड हार्बर ––रक्षित-अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

सभापति महोदय : अभी वे एक और दृष्टिकोण रखना चाहते हैं ।

श्री टेक चन्द : यदि प्रस्ताव को ठीक दृष्टिकोण से देखा जावे तो मिताक्षरा और दायभाग पद्धति में कोई विरोध नहीं मालूम पड़ता । मिताक्षरा पद्धति पर चलने वाले लोगों की समांशिता सम्पत्ति होने के कारण उन को कम भार उठाना पड़ता है, जबकि वाकी सब पर अधिक भार पड़ता है । इसलिये इन में अन्तर करना आवश्यक प्रतीत होता है । वाकी सब व्यक्तियों को बराबरी का हक़ नहीं मिलता है, जिस से उन को बड़ी हानि होती है । अतः इन कमियों को दूर करना भी आवश्यक है । परन्तु संयुक्त परिवार के लोगों को सदा लाभ ही नहीं यदि किसी व्यक्ति के तीन पुत्र हों, तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस का भार सारी सम्पत्ति पर पड़ेगा । और बाकी सब के मामले में चाहे वह दायभाग पद्धित का हो चाहे मुस्लिम पद्धित का, मृत्यु केवल स्वामी की मानी जाती है । बच्चों की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः दोनों पद्धतियों में विशेष अन्तर नहीं पड़ता । केवल असमानता को दूर करना चाहिए ।

एक और अन्याय की बात यह है कि समांशिता हिन्दू परिवार में १८ वर्ष तक बच्चे को अपनी सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार नहीं होता । यदि १८ वर्ष की आयु में वह मर जाये, तो उस की सम्पत्ति पर भी मृत्यु कर लागू होगा जब कि उसने उस सम्पत्ति का उपभोग किया ही नहीं । अतः १८ वर्ष के स्थान पर आयु २१ वर्ष की होनी चाहिए, ताकि वह तीन वर्ष तक तो कम से कम उस सम्पत्ति का उपभोग कर सके जिस पर मृत्यु कर लगने वाला है ।

एक और बड़ा अन्याय यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार में सब व्यक्तियों की आमदनी पर आय-कर लगता है, जबकि विभाजित परिवारों पर आय-कर का बोझ उतना नहीं पड़ सकता । और कई बार तो विभाजित परिवार आय-कर से मुक्त ही रहते हैं । अतः संयुक्त परिवार के साथ जो यह अन्याय हो रहा है उस को भी दूर करना चाहिए ।

श्री एम० खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : मैं समझता हूं सम्पदा शुल्क विधेयक में मुसलमानों की स्थिति के सम्बन्ध में इस सदन में भली प्रकार विचार नहीं किया गया है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने मिताक्षरा तथा दायभाग विधि के बीच अन्तर हटाने के लिये अथवा कर-भार में समानता लाने तथा कर वसूल करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को कुछ उपाय वताये हैं । हम लोग भी एक प्रकार से दायभाग के ही अन्तर्गत आते हैं, जहां पिता की मृत्यु के पश्चात् ही सम्पत्ति के बटवारे तथा विभाजन का प्रश्न उत्पन्न होता है, इस से पूर्व नहीं । हमारे समाज में अन्तर इतना ही है कि सम्पत्ति पर केवल पुत्रों का ही नहीं वरन् पुत्रियों का भी अधिकार होता है ।

कुछ माननीय सदस्यों का यह कथन गलत है कि पहले वैयक्तिक नियमों की उपेक्षा की गई है और उन को विभिन्न विधान मण्डलों द्वारा पारित किये गए प्रगतिशील सामाजिक विधान में नहीं स्वीकार किया गया है । डा० पांडे ने एक उदाहरण दिया कि जब द्विपत्नीत्व कानून द्वारा निषेध था, तो उन्हें कुछ वर्ग के लोगों के वैयक्तिक

[श्री एम० खुदा बख्श]

कानूनों की उपेक्षा करनी ही पड़ी। किन्तु अन्त में कानून में समानता हो जाने पर वह सभी के लिए एक हो गया। इन अन्तरों को हटा देने पर भी वह विभिन्न वर्ग के लोगों के लिये कुछ भिन्न ही रखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ऐसा करने से वैधानिक ही नहीं वरन् उस से भी अधिक कठिनाइयां हो सकती हैं।

हमारे संविधान में दिया हुआ है कि सभी भारतीयों के वैयक्तिक कानूनों में समानता लाने के लिये विधान बनाया जाना चाहिये। क्योंकि जब तक ऐसा न किया जायगा तब तक वित्त मंत्रालय चाहे कितना ही बुद्धिमान एवं योग्य क्यों न हो कर-भार में समानता न ला सकेगा। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को इस प्रकार का विधान बना लेने के पश्चात् रखना चाहिए था। मेरे इस सुझाव पर लोग हंस सकते हैं और इसे मेरी मूर्खता कह सकते हैं। मैं इसे बड़ी गम्भीरतापूर्वक रख रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से यह सुझाव आवश्यक है।

यदि ऐसा होना सम्भव नहीं तो मैं एक सुझाव यह रखना चाहता हूं, जो स्थायी महत्व रखता है और वह है कि वैयक्तिक नियमों के कारण कर-भार में असमानता नहीं होनी चाहिये। अतः एक ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिये जो इस संबंध में सभी के लिये यथासम्भव समान हो किन्तु फिर भी पूर्ण समानता नहीं हो सकती है। इस कारण मैं माननीय मंत्रीसे निवेदन करूंगा कि वह हमारे जैसे समाज में लागू होने वाले दायभाग के लिये, ईसाइयों तथा अन्य लोगों के लिये इस प्रकार का नियम बनायें कि जिससे उन्हें यह विश्वास हो जाये कि इस विधान के लागू हो जाने से उन के साथ अन्याय नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : इस विषय पर केवल किसी अन्य संशोधन के अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं अपने माननीय मित्र श्री मोरे के संशोधन का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यदि सारे भारत के लिये विभिन्न धर्मों का ध्यान किये बिना ही केवल सम्पदा शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में ही नहीं वरन् आयकर विधि को भी मिताक्षरा के अन्तर्गत ही सदैव के लिये मान लिया जाय तो सारे विवाद समाप्त हो सकते हैं।

सभापति महोदय : हमारे समक्ष इस समय आय-कर विधि नहीं है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : काका साहब गाडगील बराबर यही कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का स्थान नहीं ले सकता उसी प्रकार एक अमीर पिता के पुत्र को भी अमीर नहीं बनने देना चाहिये। इस के अतिरिक्त जब एक व्यक्ति ने सम्पत्ति का उपभोग किया है तो उस के पुत्र को भी फिर से वही अधिकार क्यों दिया जाय किन्तु मिताक्षरा के एक युवक के मामले में यह बात लागू नहीं होती। उस में क्यों अन्तर है ? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती ?

प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी अवस्था या स्थिति में हो अपनी सम्पत्ति का उपभोग करने या बेचने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु एक हिन्दू युवक के मामले में आप का कहना है कि जब तक वह १८ वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसे सम्पत्ति बेचने या जिस प्रकार वह चाहे सम्पत्ति का उपभोग करने का अधिकार नहीं है। आखिर ऐसा विभेद क्यों ? खण्ड ९ का सारांश यह है कि यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से दो वर्ष या उस से पूर्व सदेच्छा से कोई

वसीयत की है तो उस का प्रभाव पड़ेगा अन्यथा नहीं। अन्य शब्दों में हम यों कह सकते है कि १८ वर्ष की अवस्था से पूर्व हिन्दू के अतिरिक्त अन्य किसी को भी सम्पत्ति नहीं मिल सकती।

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक उत्तराधिकारी सम्पत्ति का अधिकारी होगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं नहीं समझता कि प्रत्येक को सम्पत्ति मिलेगी अथवा नहीं। एक हिन्दू में १८ वर्ष की आयु में कार्य करने की विधिक क्षमता आ जाती है और आप उसे सम्पत्ति न दे कर अधिकार से वंचित करना चाहते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : औरों के बारे में क्या रहा ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं केवल मिताक्षरा के सम्बन्ध में कह रहा था, यदि आप इस नियम को सभी पर लागू कर दें तो भी किसी को कोई आपत्ति न होगी। इस से अनेक कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी।

मेरा संशोधन यह है कि १८ वर्ष के स्थान पर २१ वर्ष कर दिया जाय। यदि किसी ने सम्पत्ति का उपभोग नहीं किया है, तो उस पर कर लगाना भी उचित नहीं। १८ वर्ष की आयु तक यदि किसी ने सम्पत्ति का उपभोग नहीं किया है तो उस पर कर नहीं लगना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मेरे मित्र ने बताया कि यदि उस व्यक्ति ने जिस की आयु १८ वर्ष से कम है, सम्पत्ति का उपभोग न किया होगा। मेरा कथन है कि उस ने निश्चय ही सम्पत्ति का उपभोग किया होगा क्योंकि वह भी तो साथ रहता रहा होगा और सम्पत्ति से लाभ उठाता रहा होगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका। विधि की दृष्टि से जब तक कोई व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता तब उसे न तो सम्पत्ति को बेचने का ही अधिकार होता है और न उपभोग करने का ही। उदाहरण के लिये मुसलमानों तथा ईसाइयों में १८ वर्ष तक के युवक का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उस का पालन-पोषण तथा संरक्षण पिता ही करता है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति को बेच देने या बेचने का हक़ होना तथा सम्पत्ति का उपभोग करना एक ही बात है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : निश्चय ही मेरे विचार से सम्पत्ति का किसी भी रूप में प्रयोग करना उपभोग करना ही है। अतः यदि हमें इस विभेद को दूर करना है तो मिताक्षरा विधि को लागू करना हमारे लिये अधिक उत्तम होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस विभेद को दूर कर दीजिये और '१८ वर्ष की आयु पर' के स्थान पर '२१ वर्ष की आयु पर' कर दीजिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि अब प्रश्न रखा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख: अनेक प्रकार के विचार जो हम ने इस विषय पर सुने उन से पता चलता है कि यह मामला कितना जटिल और उलझा हुआ है। मैं समझता हूं दोनों पक्षों के माननीय सदस्य जो भी बोले है उच्चतम प्रयोजन से उत्साहित हो कर बोले हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहना उचित समझा कि यह विधेयक मिताक्षरा विधि द्वारा शासित लोगों ने बनाया है, अतः यह मिताक्षरा विधि के पक्ष में जान पड़ता है। (अन्तर्बाधा)।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक मुझे ज्ञात है, आंकड़ों के अनुसार, मंत्रिमंडल में ३३.३३३ प्रतिशत मिताक्षरा लोग हैं। जहां तक केन्द्रीय राजस्व मंडली एवं वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह अनुपात ५०.: ५० है। अतः सम्पूर्ण रूप में इस मामले को हम निष्पक्ष कह सकते हैं। वित्त मंत्री स्वयं इस रूप से मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि वह अविभाजित हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है। (अन्तर्बाधा)।

जैसा कि मैं कह रहा था कि यह समस्या एक बड़ी ही नाजुक तथा कठिन समस्या है। कोई भी विधि-प्रणाली ऐसी नहीं है कि जिस में परिवर्तन न किया जा सकता हो और विदेशों की सादृश्यता जैसे इंगलिस्तान, अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा पनामा आदि में वे लोग हिन्दू अविभाजित परिवार के विषय में परवाह नहीं करते।

श्री सी० डी० पाण्डे : वैयक्तिक नियम होने के कारण।

श्री सी० डी० देशमुख : इससे हमारी कोई उन्नति नहीं होती। यह हो सकता है कि वहां कोई हिन्दू संयुक्त परिवार न हो या उन विदेशों में अभी तक किसी पैतृक सम्पत्ति का विकास इस सीमा तक न हो सका हो। किसी भी देश में जहां दोनों प्रणालियां प्रचलित हों, हम दोनों में से किसी भी प्रणाली में करारोपण के भार की उपेक्षा नहीं कर सकते। उस मामले की हमें जांच करनी पड़ेगी। पिछले दिन मैंने यह दिखलाने के लिये आंकड़े दिये थे कि लगभग ५ लाख पुराने करदाताओं में से हिन्दुओं के संयुक्त परिवार जो आय-कर देते हैं उनकी संख्या ६५,००० थी। यह बहुत कम संख्या है। अतः यदि आज कोई प्रचलित विधान के रूप में सोचता है तो उसे इस रूप में सोचना चाहिये कि बहुमत के लिये क्यों उचित है। ऐसी धारणा से बहुत से संशोधन हटा देने पड़ेंगे, जिसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक परिवार को एक हिन्दू संयुक्त परिवार मानना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रत्येक संयुक्त हिन्दू परिवार को दायभाग परिवार बनाने में किसी की भी मृत्यु होने पर घर के पिता अथवा कर्ता के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं। अब यह सुझाया गया है कि यदि वह नियम लागू किया जाता तो शायद इस असमानता में कुछ कमी हो जाती किन्तु मैं समझता हूं कि इससे संयुक्त हिन्दू परिवार को कुछ हानि ही हो सकती है। अतः चाहे किसी भी नियम का पालन किया जाय फिर भी कर भार में उत्तराधिकार नियमों में अन्तर होने के कारण कुछ न कुछ असमानता सदैव बनी ही रहेगी। उसे दूर नहीं किया जा सकता। यही मैंने पिछली बार भी बताया था कि यह विभेद नहीं है और न तो यह वास्तव में विभिन्न प्रकार के हिन्दुओं के बीच है, अर्थात् मिताक्षरा विधि तथा दायभाग विधि के लोगों में अन्तर का प्रश्न है। यह विभेद हिन्दुओं के बीच न होकर दायभाग वाले हिन्दुओं की सम्पत्ति तथा दायभाग के अतिरिक्त परिवार वाली जातियों की सम्पत्ति का अन्तर है। उनमें मुसलमान ईसाई तथा पारसी सम्मिलित हैं। अतः दो हिन्दू विधि प्रणालियों में अन्तर के झगड़े का प्रश्न नहीं है।

यह कठिनाई १९४६ के आरम्भ में ही अनुभव की गई थी और वास्तव में १९४६ की प्रवर समिति ने कोई भी हल न पाकर निराश होकर यह सुझाव रखा था कि सम्पदा शुल्क विधेयक अभी न रख कर हिन्दू कोड, विधेयक के पश्चात् रखा जाय यह एक प्रकार से पलायनवादी प्रवृत्ति का द्योतक है और यह उसी का परिणाम है कि मुझे इस विधेयक की रक्षा करनी पड़ी है कि मुझे इस विधेयक

तथा अन्तिम प्रतिवेदन में जैसा कि हम करने जा रहे हैं, मृतक के समांशिता हित का मूल्यांकन करने का सुझाव देकर इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया था।

अब, यद्यपि बहुत सी वैधिक समस्यायें निहित हैं; फिर भी प्रत्येक को यह स्मरण रखना है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य का तथा कथित लाभ केवल उतनी ही सम्पत्ति से सम्बन्धित है; जिसमें संयुक्त हिन्दू परिवार का सभांशिता हित भी सम्मिलित है; अर्थात् अधिक सम्भावना यही है कि उसके पास स्व-अर्जित सम्पत्ति भी होगी और जहां तक इस स्व-अर्जित सम्पत्ति का सम्बन्ध है, वह अन्य सम्पत्ति से भिन्न न समझी जायगी।

इस विषय पर मैं अपने पिछले भाषण में बता चुका हूं कि उन व्यक्तियों की वह स्व-अर्जित सम्पत्ति या वह सम्पत्ति जिसके ऊपर उनका पूर्ण अधिकार उसे बेचने आदि का है, यही वह स्तर है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार उसका अपवाद है। यही वह बात है जो मैं प्रारम्भ में ही कह चुका हूं और इसी कारण मैं इस सम्बन्ध में इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सका हूं। मैं अन्य संशोधनों का विरोध भी इसीलिये करता हूं कि अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकूं क्योंकि हो सकता है फिर मैं यह कहना भूल जाऊं।

श्री चटर्जी का संशोधन अपूर्ण संशोधन संख्या ४२४ को स्पष्ट करता है किन्तु वह अन्य वर्गों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों तथा पारसियों आदि के सम्बन्ध में लागू नहीं होता, जबकि वे भी लगभग उसी स्थिति में है।

इसके पश्चात् वास्तव में विभेद का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अतः जैसा कि मैंने कहा कि इसको विभेद न कहना ही अधिक अच्छा होगा वरन् इसको ऐसा प्रयत्न कहना चाहिये कि जिससे इसमें जटिलता के रहते हुए भी इस के द्वारा सभी जाति के लोगों के साथ चाहे उनके उत्तराधिकार नियम भिन्न-भिन्न भी हों, एकता एवं समानता का व्यवहार किया जा सके।

हिन्दू समांशिता की एक विचित्र विशेषता है। सभी सदस्यों को विभाजन के मामले के अतिरिक्त सम्पत्ति उपभोग करने का वैधानिक अधिकार होता है। विभाजन के मामले में किसी भी सदस्य को सम्पत्ति हस्तान्तर करने का अधिकार नहीं प्राप्त है और इसी कारण विभिन्न परिणाम निकलते हैं। यद्यपि मैं इसे मान्यता देने को तैयार नहीं कि यदि किसी व्यक्ति की आयु केवल १८ वर्ष की हो जाती है तो उसे सम्पत्ति बेच देने का अधिकार नहीं है और कुछ खण्ड जैसे ९ से लाभ नहीं उठा सकता और इस कारण आयु बढ़ा कर २१ वर्ष कर दी जाय। अतः खतरा यह है कि यदि आप एक मुख्य विशेषता को ले लेते हैं और केवल उसी पर ध्यान केन्द्रित कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि इसमें पूरी तौर से अन्याय हो रहा है वरन् उसे देखना यह चाहिये कि सभी वर्गों के सारे ही लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। संयुक्त हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि केवल नाबालिग के हित को छोड़ कर, उस मामले में जो मेरे संशोधन में तथा खण्ड में भी दिया हुआ है, हम लोगों ने काफी व्यवस्था कर दी है। दायभाग परिवार के पिता को एक लाभ यह भी है कि उसके ऊपर पैतृक सम्पत्ति में से अपने बच्चों तथा पोते-पोतियों की देखभाल करने का वैधानिक दायित्व नहीं रहता और उसे हस्तांतरण का पूरा अधिकार प्राप्त है। इस विधेयक के लिये यह समझने में कि उस सम्पत्ति में पिता का केवल आंशिक हित रहता है, जबकि उस पर अधिकार उसका पूरा होता है। यह समझना कि पुत्र का भी उस में आंशिक हित है, जबकि उसके कोई भी नहीं है, इससे वास्तव में तथ्यों की एक अत्यन्त हास्यजनक

[श्री सी० डी० देशमुख]

स्थिति हो जायगी तथा बेचने आदि के अधिकार वैसे ही रहेंगे जैसे कि हैं। (अन्तर्बाधा)। ऐसी वस्तुस्थिति दायभाग परिवार के पिता के लिए अनुचित होगी जो आपको सारी सम्पत्ति एक पुत्र को दे देता है, और उस पुत्र के लिये समझा जायगा कि उसके पास किसी प्रकार की सम्पत्ति है। मैं इस प्रकार का उदाहरण तथा कठिनाइयां केवल इस कारण बता रहा हूं कि मैं अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकूं कि जितने भी संशोधन हमारे सम्मुख हैं उनमें से एक भी स्थिति का सामना नहीं करते। अतः मैं पूर्णतया यह मानने को तैयार हूं कि दायभाग को मिताक्षरा के समान कर देने से कोई भी हल नहीं निकल सकता। जैसा मैंने कहा कि यदि इसमें कोई हल हो सकता है तो वह यह है कि प्रत्यक मिताक्षरा को दायभाग समझा जायं, क्योंकि इसके विपरीत होने से राजस्व की बहुत बड़ी हानि होगी

श्री सी० डी० पांडे : किन्तु न्याय तो होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : अब मैं इस मिताक्षरा को दायभाग के समान समझने की वैकल्पिक संम्भावना का निर्देश करता हूं अर्थात् यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता सम्पत्ति का मालिक है और सम्पदा शुल्क केवल कर्ता की मृत्यु पर ही लगेगा——उसके लिये हमारे पास कोई भी संशोधन नहीं है और मैं इसे उदाहरणस्वरूप ही बता रहा हूं तथा माननीय सदस्यों में से किसी ने भी यह सुझाव नहीं रखा। ऐसी अवस्था में यदि सम्पदा शुल्क अगले कर्ता की मृत्यु पर देय हो जाता है क्योंकि यह सम्पूर्ण संयुक्त सम्पत्ति पर लगाया जायगा जबकि दायभाग में पिता की मृत्यु के पश्चात् यह कई पुत्रों में आपस में बंट जायगा। अतः यह शुल्क मिताक्षरा हिन्दू संयुक्त परिवार के लिये अनुचित हो सकता है। यह सत्य है कि यदि दायभाग परिवार में पिता की सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति समझा जायगा तो इस विधेयक के अनुसार प्रारम्भ में उस परिवार को कर अधिक देना पड़ेगा। सभी उदाहरणों का परिणाम एक ही है।

एक विचार यह भी हो सकता है कि यदि कोई सम्पदा बहुत बड़ी है और संयुक्त हिन्दू परिवार बहुत दिनों तक चलता है, तो उसको दायभाग से अधिक कर देना पड़ेगा। अतः मैं सभी जातियों के लिये एक ही नियम बना देना उचित नहीं समझता हूं।

एक सुझाव यह भी रखा गया था कि उन परिवारों की मुक्ति सीमा बढ़ा दी जाय जो संयुक्त परिवार के अन्तर्गत नहीं है अथवा दरों के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशियों की प्रारम्भिक दशाओं में कुछ परिवर्तन कर दिये जायं। खण्ड ३४ पर जो संगत है, विचार करने पर हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मस्तिष्क में ये बातें रखनी पड़ेंगी।

मैं यहां पर यह घोषणा करना नहीं चाहूंगा कि वर्तमान योजना से सभी सम्बन्धित लोगों के साथ न्याय होगा अतः मैं संतुष्ट हूं। विचारों में मत-विभिन्नता हो सकती है, और हम मुक्ति सीमा तथा दरों पर यथा समय ध्यान देने को तैयार हैं, जब हम इस पर विचार करेंगे तब इससे अधिक इस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। यह तो उस मामले के तथ्यों पर ध्यान की बात होगी।

मैं समझता हूं कि मैंने श्री बर्मन के संशोधन का उल्लेख किया है। एक बात यह भी कही गई थी कि उपखण्ड के अन्त की भाषा काफी व्यापक नहीं है। किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष उत्तराधिकार नियम नहीं है। मैं समझता हूं कि एक संशोधन अथवा कथन

यह है कि नाबालिग को क्यों छोड़ दिया जाय। मैं उसके विषय में भी बता चुका हूं किन्तु यह दो वर्गों के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात है।

अतः मैं अपने संशोधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी संशोधन को स्वीकार करने में सर्वथा अपने को असमर्थ पाता हूं। मैं अपने इस संशोधन को सदन में प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न है कि पृष्ठ ४ में ३५ से ४० पंक्तियों के स्थान पर यह रखा जाये :

"(2) If a member of a Hindu coparcenary governed by the mitakshara school of law dies, then the provisions of Sub-Section (1) shall apply with respect to the interest of the deceased in the coparcenary property only--

(a) if the deceased had completed his eighteenth year at the time of his death, or

(b) where he had not completed his eighteenth year at the time of his death, if his father or other male ascendant in the male line was not a coparcener of the same family at the time of his death."

["(२) यदि मिताक्षरा विधि पद्धति को मानने वाले संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई सदस्य मर जाय, तो केवल संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में मृत व्यक्ति के हित के बारे में उपधारा (१) के उपबन्ध लागू होंगे।

(क) यदि मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय पर १८ वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी, अथवा (ख) जहां मृत्यु के समय उसके १८ वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, यदि उसका पिता या उसकी मृत्यु के समय कोई पुरुष उसी परिवार में समांशभागी नहीं था।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमना के संशोधन पर कुछ वाद विवाद हुआ और सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् श्री बर्मन, श्री मोरे, श्री टेकचन्द, श्री होरीलाल अग्रवाल और श्री सर्मा के संशोधन प्रस्तुत किए गए, परन्तु वे सब अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ८--(मृत्यु के समय दान)

इसके पश्चात् श्री मूलचन्द दुबे, श्री टेकचन्द, श्री लोकनाथ मिश्र और श्री एस० एस० मोरे ने मृत्यु के अवसर पर दान सम्बन्धी खंड ८ पर संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री टेकचन्द : मृत्यु के समय व्यक्ति अपने पास के सम्बन्धियों और नौकरों आदि को कुछ देना चाहता है, जो उस समय उसकी सेवा करते हैं। यह मानव की कोमल भावना होती है अतः उस दान पर मृत्यु कर लगना

[श्री टेकचन्द]

नहीं चाहिए । मैं उसके लिये भी २,५०० रुपये की सीमा निर्धारित करने के पक्ष में हूं, कि उस समय ढाई हजार रुपये तक के दिये गये दान पर मृत्यु कर नहीं लगाया जाना चाहिए ।

श्री लोकनाथ मिश्र : साधारणतया कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग दान करता है, और उसका अधिकार भी दान लेने वाले को सौंप देता है, तो उस सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता । जब ऐसी स्थिति है तो मृत्यु के समय दिये गये दान पर ही पाबन्दी क्यों लगाई जाय । जीवन में एक व्यक्ति जैसे तैसे तरीकों से सम्पत्ति अर्जित करता है । वे तरीके भी विधि के अनुसार ही होते हैं, कोई अपराध नहीं होते । मानों किसी व्यक्ति ने बुरे तरीकों से या धोखे आदि से सम्पत्ति अर्जित की है, और मृत्यु के समय वह अपने किये का पश्चाताप करने के लिये अपनी सम्पत्ति को लोक-हित के कामों में लगाना चाहता है, तो राज्य को उसके सामने जाकर मृत्यु कर मांगना उचित नहीं । अतः ऐसे समय दिये गये दान पर मृत्यु कर नहीं लगाया जाना चाहिए । भारत की इतनी सभ्यता और संस्कृति है और यहां मानव के लिये अपने पापों का प्रायश्चित करना एक सत्कृत्य माना जाता है । तो मृत्यु के समय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिये यदि कोई व्यक्ति दान देता है, उस दान पर तो कम से कम मृत्यु कर नहीं लगना चाहिए ।

श्री एन० सोमना : यदि उस समय भी दिल में बेईमानी हो तो ?

श्री लोकनाथ मिश्र : मैं नहीं समझ सकता कि मृत्यु के सामने कोई भारतीय जन बेईमानी की बात सोच सकता है । आपका कहना है कि मृत्यु से दो वर्ष पूर्व या छः महीने पूर्व दिया गया दान श्रेष्ठ होता है, तो आप ऐसा निर्धारित कर दीजिये कि दान मृत्यु से छः महीने के अन्दर अन्दर हो, या ठीक मृत्यु के समय ही हो । मुझे सदन के सामने रखा हुआ प्रस्ताव बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं एक मिनट के लिये इस उपबन्ध की भावना का पक्ष ले सकता हूं ?

सभापति महोदय : आपने भी संशोधन रखा है । आप बाद में श्री मूलचन्द दुबे का समर्थन कर सकते हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मृत्यु के समय दान दो प्रकार का होता है, अर्थात् शर्त सहित और बिना शर्त के । माननीय मंत्री ने कहा कि दान केवल शर्त सहित ही होंगे और मृत्यु पर ही उनका प्रभाव पड़ता है । यदि ऐसे दानों का प्रभाव मृत्यु की शर्त पर पड़ता है, तब तो मुआमला अलग है । क्योंकि तब तो वे वसीयत के रूप में होंगे और दान के रूप में नहीं । परन्तु यदि बिना शर्त के भी यह लागू होगा, तो यह उचित नहीं है ।

कर उगाहने के दो ढंग हैं । एक तो वह सम्पत्ति होती है जो व्यक्ति के मरते समय उसके अधिकार में होती है, और दूसरी वह जिस पर उसका अधिकार तो होता है, परन्तु उसका नियन्त्रण उसके हाथ में नहीं होता । यदि उसी सम्पत्ति पर, जो उसके अधिकार में है, मृत्यु कर लगाया जावे, तो किसी सीमा तक ठीक हो सकता है । परन्तु उस सम्पत्ति पर कर लगाना योग्य नहीं है, जिसका नियन्त्रण मरने वाले के हाथ में नहीं है । यह बात खण्ड ३ (१) के विरुद्ध जाती है । अतः मेरा निवेदन है कि बिना शर्त की सम्पत्ति पर अर्थात् जिसका अधिकार मरने वाले को नहीं मिला है, उसे मृत्यु कर से विमुक्त ही रखा जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि मरने के समय एक व्यक्ति अपनी आत्मा की शान्ति के लिये अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग दान करना चाहता है ।

तो मेरा विश्वास है कि राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं । ऐसा करना व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को छीनना है । उसके मूलभूत अधिकारों को छीन कर दान वाली सम्पत्ति पर कर लगाना योग्य नहीं है । यदि शर्त वाले दान पर मृत्यु कर लगाने का अभिप्राय है, तब तो ठीक है, परन्तु यदि बिना शर्त वाले दान पर भी मृत्यु कर लगाये जाने का अभिप्राय है, तो यह विधि के विरुद्ध है और व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का अपहरण करने के कारण अवैधानिक भी है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा संशोधन केवल यही है कि व्यक्तियों को दिये गये दानों के बारे में यदि पीढ़ी का व्यक्ति अपनी जाति अथवा समाज के बाहर विवाह कर लेता है, तब तो और बात है, अन्यथा उन दोनों को मृत्यु के उपलक्ष्य में दिये गये दान समझना चाहिये । मैंने इतना ही कहना था । मैं और कुछ नहीं कहूंगा ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में और भी दूसरे क्लाजेज़ हैं, उनको भी हम को अपने दिमाग में रखना चाहिये । इस ऐक्ट को बनाने में जो स्कीम है, उसमें जो गिफ्ट का मामला है, दान का मामला है, उस पर काफी बहस हो चुकी है । इसलिये मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता । सिर्फ यह अर्ज़ करना चाहता हूं गिफ्ट के सिलसिले में आम तौर से यह राय है कि जो दान नेकनीयती से दिया जाता है उसमें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता । लेकिन अकसर तजुर्बा यह भी हुआ है कि दान के नाम पर बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिन से कि टैक्स बचाया जा सके । तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर यह पूरी स्कीम बनाई गई है और जो दान देना चाहता है उसके लिये यह रखा गया है कि वह दो वर्ष पहले दे सकता है ।

एक माननीय सदस्य : वह कैसे जान सकता है कि वह कब मर जायेगा ?

पंडित सी० एन० मालवीय : जी, हां, अब यह सुनिये कि जिस वक्त एक इंसान मरने वाला होता है, और यह उस वक्त होता है जब कि इंसान परेशान हो जाता है, वह जब बिस्तर पर पड़ा होता है और बीमार होता है, तो उस वक्त यह देखा गया है कि न सिर्फ उसमें यह नेक भावना पैदा होती है वह दान दे, अगर ऐसी भावना है तो उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन दूसरी चीज़ यह भी होती है कि जब इंसान मरने वाला होता है । या उसको ध्यान होता है कि उसकी मौत आने वाली है तो उसके बहुत से दोस्त और रिश्तेदार ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं कि या तो उससे दस्तखत करवा लेते हैं या इस तरह का दान ले लेते हैं जो कि वह नहीं भी देना चाहता है । इसलिये यह एक आम रूल है कि जिस वक्त कोई मरने वाला है या जिस वक्त उसकी मौत आने वाली होती है तो वह दबाव में भी दान दे सकता है । इसलिये सिर्फ़ यही चीज़ नहीं है कि उसमें सद्भावना ही होती है, बल्कि और दूसरे असरात भी उस पर पड़ते । इसलिये यह नहीं है कि जो दान वह देता है वह केवल धार्मिक भावना पर ही देता है ।

यह जो कहा गया है कि इसका असर फंडामेंटल राइट पर पड़ता है तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट का तो इसमें कोई सवाल नहीं है । साथ ही साथ हम इसको रोकते भी नहीं हैं । फिर यह भी नहीं है कि इस के बारे में कोई आदमी साल या छ: महीने के पहले ही महसूस करे, वह पहले भी महसूस कर सकता है । मैं तो यह भी नहीं मानता हूं कि जितने आदमी अमीर हुए हैं सब का पैसा पाप का ही कमाया हुआ है । अगर यह दलील मान भी

[पंडित सी० एन० मालवीय]

ली जाय तो भी वह छः महीने या दो साल पहले भी इस को सोच सकता है । इसलिये फंडामैंटल राइट का सवाल ही पैदा नहीं होता । यह सवाल बिल्कुल नहीं है कि स्टेट कोई क्राइम कर रही है कि यह मौत के सिलसिले में अगर कोई आदमी दान करना चाहता है तो उस को वह रोकना चाहती है । यह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है । मेरे ख्याल में इस क्लाज के ऊपर ज्यादा बहस की गुंजाइश भी नहीं । इसलिये आपने जो इस तरह से तरमीम दी है उसका मैं विरोध करता हूं और जो असली क्लाज ह उसका समर्थन करता हूं ।

बाबू राम नारायण सिंह : इस धारा का मैं विरोध करता हूं । इस में कहा गया है कि जो दान मरने के समय में होता है वह नाजायज़ दान है ।

श्री के० के० बसु : नाजायज़ नहीं, टैक्सेबुल है ।

बाबू रामनारायण सिंह : टैक्सेबुल है, इस के माने यही हैं कि वह नाजायज़ हैं । जायज होगा तो टैक्स नहीं लगेगा ।

सभापति महोदय, इसका समर्थन करने वालों में सब से ज़बरदस्त हमारे भाई गाडगिल साहब हैं । उनका कहना है कि कोई भी क़ानून जो किसी देश में पास होता है वह क़ानून तो जनता की इच्छा का प्रतिबिम्ब है । यह उनका कहना है और बहुत सुन्दर कहना है । मैं तो समझता हूं कि अगर इस कानून के सम्बन्ध में भारतीय जनता से पूछा जाय तो, शायद हमारे वित्त मन्त्री को यहां तो वोट मिल जावेंगे क्योंकि यहां तो हुक्म से वोट मिलता है, लेकिन अगर स्वतन्त्र जनता से वोट मांगा जाय तो शायद ३६ करोड़ में से ५ हज़ार भी वोट उनको मिल जायं तो बहुत समझिये ।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है ।

बाबू रामनारायण सिंह : अब तो खास कर के यह धारा रख दी गयी है कि मरने के समय में जो दान हुआ है, उस पर भी टैक्स लगेगा, या यह कहो कि वह दान नाजायज़ समझा जायगा । सभापति महोदय, आप तो यहां का दस्तूर नियम जानते होंगे । दान एक ऐसी चीज़ है जो कि परम्परा से चली आ रही है । मरने के समय तो दान ज़रूरी दान समझा जाता है, जैसे शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि एक वैतरणी दान कहलाता है । उसको गौ दान भी कहते हैं । इसी तरह और भी जितनी तरह के दान होते हैं, उन सब को हम लोग यहां बैठ कर अनुचित दान कह दें, यह तो योग्य बात नहीं है । इस वास्ते मैं इस धारा का विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग भी इसका विरोध करेंगे और इस तरह की बातों को नहीं होने देंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक ऐसा उपबन्ध है जो सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित लगभग प्रत्येक अधिनियम में आ जाता है, ब्रिटेन के अधिनियम में यह विद्यमान है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ की धारा १९१ में भी इसका ज़िक्र आया है, यहां भी इसकी अधिकांश रूप से यही परिभाषा है । जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, वह दान तथा मृत्यु के समय दिए गए दान के मामलों में पड़े दिखाई देते हैं । जहां तक मरते समय दिए गए दान का सम्बन्ध है हमने यह बात मान ली है कि कुछ कमी करने की आवश्यकता है तथा हमने खंड ३२ में इसका उपबन्ध भी रखा है । यहां हमारा सम्बन्ध केवल ऐसे दान के साथ है जिसकी कि यहां परिभाषा की गई है ।

दूसरी बात यह है कि हम इसका विशेष रूप से उल्लेख क्यों करते हैं, ज़रा सोचिये

कि यदि हम इस खंड को हटा देते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा, खंड ९ में मृत्यु से पहले दो वर्ष के अन्दर दिए गए इस प्रकार के दान नहीं आ जायेंगे, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो सारी सम्पत्ति दान लेने वाला अपने पास रखता है क्योंकि इस प्रकार का दान खंड ९ के अन्तर्गत तत्कालिक दान नहीं माना जा सकता है, यह दिखाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं कि दान देने वाले की मृत्यु के पश्चात् ऐसा दान हस्तांतरित हुआ कैसे मान लिया जायगा, यही कारण है कि यह उपबन्ध रखना क्यों ज़रूरी है, मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के मरने के समय जो सम्पत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं, उस पर विशेष उपबन्ध के बिना कर नहीं लगाया जा सकता है, जो सम्पत्ति दान के रूप में दी गई हो उस पर विशेष उपबन्ध द्वारा ही कर लगाया जा सकता है। यही कारण है कि मृत्यु के विचार से दिए गए दानों के लिए क्यों अलग उपबन्ध रखने की आवश्यकता पड़ी है।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गए संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए सदन के समक्ष रखूंगा।

[श्री मूल चन्द दुबे, श्री टेक चन्द, श्री लोकनाथ मिश्र तथा श्री एस० एस० मोरे ने, अनुमति से, अपने संशोधन वापस लिए।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ९ (मृत्यु से कुछ समय पूर्व दिये गये दान)

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १५ में

शब्द "in Succession or otherwise" "उत्तराधिकार में अथवा अन्यथा" के स्थान पर "who are not in Succession" "जो उत्तराधिकार में नहीं हैं" के शब्द रखे जायें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १६ में

शब्द "two years or more" "दो वर्ष अथवा अधिक" के स्थान पर "five years" "पांच वर्ष" रखे जायें।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १६ में

शब्द "or more" "अथवा अधिक" का लोप किया जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १२ में

शब्द "property" "सम्पत्ति" से पूर्व "(१)" निविष्ट किया जाये।

मैं दूसरा भाग प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री गाडगिल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ५ में पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित निविष्ट कीजिये :

(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to gifts made in consideration of marriage or which are proved to the satisfaction of the

[श्री गाडगिल]

controller to have been part of the normal expenditure of the deceased and to have been reasonable having regard to the amount of his income or to his circumstances, but not exceeding rupees five thousand in the aggregate."

"(२) उपखण्ड (१) के उपबन्ध उस दान पर लागू नहीं होंगे जो कि विवाह के सिलसिले में दिया गया हो अथवा जिस के सम्बन्ध में नियंत्रक को इस बात का संतोष हुआ हो कि वह मरे हुए व्यक्ति के सामान्य व्यय का एक हिस्सा था तथा उस की आय तथा परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अनुचित नहीं था किन्तु जो कुल मिला कर पांच हजार रुपये से अधिक न हो।"

[इन संशोधनों के अलावा श्री एन० सी० चटर्जी, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री एस० सी० सिंघल, श्री मूलचन्द दुबे, डा० कृष्णस्वामी, श्री टेकचन्द, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री बनर्जी, श्री वी० बी० गांधी, श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्री के० के० बसु, पंडित सी० एन० मालवीय, श्री तेलकीकर, श्री एच० जी० वैष्णव, श्री एन० आर० एम० स्वामी, श्री सी० सी० शाह, श्री जी० डी० सोमानी, श्री सिंहासन सिंह, श्री नथवानी, श्री एच० एल० अग्रवाल, श्री टी० एन० सिंह, श्री टी० एस० ए० चेट्टियार, श्री मुहीउद्दीन, श्रीमती जयश्री रायजी तथा श्री कृष्णचन्द्र ने भी अपने अपने संशोधन पेश किये।]

सभापति महोदय : अब खण्ड ६ तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा होगी।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मेरे संशोधन संख्या १६, २५, २७ और ४० हैं।

मेरे संशोधन १६ का तात्पर्य यह है कि जो दान "सार्वजनिक धर्मादि" के लिये दिया गया हो तो यह मृत्यु से कितना ही पूर्व क्यों न दिया गया हो, यह कर-मुक्त होना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को तो सार्वजनिक धर्मादि को प्रोत्साहित करना चाहिए, किन्तु वर्तमान उपबन्ध उसे प्रतिबन्धित करता है। इस समय उक्त खण्ड के अनुसार केवल वे ही दान कर-मुक्त होंगे जो छः मास पूर्व किए गए हों। मान लीजिए कि मृत्यु-शय्या पर पड़ा कोई व्यक्ति अपनी समस्त सम्पत्ति को अस्पताल या कॉलिज के बनवाने को दान देने के लिये सोचता है तो राज्य इस में अड़ंगा क्यों लगाए? वित्त मंत्री कह सकते हैं कि "हम उसे दान देने से रोकते कब हैं, हम केवल शुल्क लगा रहे हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद दान दे दिया जाए।" किन्तु जब दानकर्ता सोचता है कि शुल्क लगेगा तो वह दान करने में संकोच कर सकता है और इस के अतिरिक्त दान का समस्त लाभ उस संस्था को नहीं पहुंचेगा।

मैं ने यह भी अपेक्षा की है कि अवधि मृत्यु से कम से कम एक वर्ष पूर्व कर दी जाए और ऐसे दानों पर शुल्क का कोई प्रभाव न पड़े। इस का प्रयोजन स्पष्ट ही है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी परन्तुक को परिमार्जित करने वाले मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

मेरे अन्तिम संशोधन में उस दान को शुल्क-मुक्त करने की अपेक्षा की गई है जो कि राष्ट्रीय ऋण को कम करने के लिए दिया जाए। इस सुझाव पर कुछ माननीय सदस्य शायद हंस रहे हैं किन्तु मैं बतला दूं कि हमारे देश में श्री तुलसीदास किलाचन्द और श्री जी० डी० सोमानी जैसे व्यक्ति राष्ट्रीय ऋण को कम करने के लिए अपनी

सम्पत्ति का दान कर सकते हैं। यह संशोधन मैं ने शब्द प्रति शब्द हेल्सबरी के "लॉज ग्रॉफ इंग्लैन्ड" से लिया है। मैं ने यह ग्रंग्रेजी कानून का ही उदाहरण लिया है ग्रौर चूंकि मैं देखता हूं कि इस विधेयक में ग्रंग्रेजी ग्रधिनियम की ग्रनेक धाराएं ज्यों की त्यों सम्मिलित कर ली गई हैं इसलिए मुझे ग्राशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस संशोधन को भी सम्मिलित कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय थोड़ा है। प्रथम वाचन के समय इस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि ग्रवधि दो वर्ष हो या छः मास। इसलिए जहां तक सम्भव हो माननीय सदस्य उन्हीं तर्कों को नहीं दोहराएं ग्रौर यथासंभव संक्षिप्त हों।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला ग्रलीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा सब से ग्रहम धारा है। इसी के ऊपर इस बिल का दारोमदार है ग्रौर इस धारा म सुधार निहायत ज़रूरी है। जैसी यह धारा है ग्रगर वह वैसी ही पास हो गयी तो मैं समझता हूं कि बिल का पास होना बेफायदा है। सब प्रापर्टी ट्रांस्फर हो जायगी।

इस बिल पर चर्चा १९४६ से हो रही है ग्रौर जब से चर्चा हुई है तब से मालदार पूंजीपतियों ने ग्रपनी प्रापर्टी को किसी दूसरे के नाम ग्रौर खास तौर से बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। इगलैंड में जहां पर सब से पहले यह कानून १८९६ में बना था वहां पर भी तीन साल रखा गया था। ग्रोरिजिनल बिल में भी तीन साल रखे गये थे, बाद में तीन साल से पांच साल कर दिये गये। लेकिन मुझे ग्रफसोस है कि हमारी सिलेक्ट कमेटी ने तीन साल से घटाकर दो साल रहने दिये। मैं यह चाहता था कि जो गिफ़्ट सकसेसर को दिया जाता है उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। मैं ने १५ साल इसी लिए रख दिये हैं कि ग्रासानी से हिसाब लग सके। इंगलैंड में जहां पर यह कानून चालू है वहां के लोगों का कहना है कि :

> "That any revenues were forthcoming is presumably attributable to untimely deaths, to utter distress of beneficiaries, or to mere disregard of their interests."

[राजस्व प्राप्त होने का कारण सम्भवतः ग्रसामायिक मृत्युएं, लाभग्रहीताग्रों की ग्रतिशय विपत्ति ग्रथवा उन के हितों की महज़ उपेक्षा है]

साइमन साहब का यह कहना है।

एक दूसरे ग्राथर का यह कहना है कि :

> "Though the necessity of maintaining old family estates and dignity in England acts as a brake on the tendency to evade the death duties, through liberal gifts in lifetime, it has been estimated that about one fourth of property in U. K. is transferred by way of gifts."

[इंग्लैंड के पुराने परिवारों तथा पदवीधारियों की सम्पत्ति के रखरखाव की ग्रावश्यकता यद्यपि मृत्यु-कर के परिहार की प्रवृत्ति को रोकने का काम करते हैं, तथापि यह प्राक्कलित किया गया है कि

[श्री एस० सी० सिंघल]

इंग्लैंड की लगभग एक-चौथाई सम्पत्ति दान के रूप में दे दी जाती है]

इंगलैंड के बाशिन्दे बहुत ही देशभक्त कहे जाते हैं। उन की कौम बहुत डिसिप्लिन्ड है। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से भी सरकार की चोरी की जाय लेकिन वहां भी एक चौथाई प्रॉपर्टी गिफ्ट में ट्रांसफर कर दी जाती है और सिर्फ तीन चौथाई पर टैक्स लगता है। हिन्दुस्तान की जनता में जो बड़े आदमी हैं वे ब्लैक मारकेट से मालदार हुए हैं। तो जो आदमी ब्लैक मारकेट से कमायेगा उस से तो आप यह उम्मीद न करिये कि वह सरकार के लिए ईमानदारी दिखायेगा। या आसानी से टैक्स दे सकेगा। जब इगलैंड में यह हालत है तो मैं समझता हूं कि यहां पर तो बहुत गिरी हुई हालत है। यहां आठ लाख आदमी इनकम टैक्स देते हैं उन से कम आदमियों पर ही यह ड्यूटी लगेगी। तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज्यादा आदमी अपनी प्रापर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं। करीब १५ दिन हुए उन से मेरी बातें हुईं। वह मालदार आदमी हैं। उन्हों ने कहा कि भाई मैं बड़ी चिन्ता में हूं। मैं ने पूछा कि क्या चिन्ता है तो उन्हों ने कहा कि मैं ने अपने लड़के को एक पत्र लिखा था कि डैथ ड्यूटी पास होने वाली है, मैं चाहता हूं कि अपनी प्रापर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। लेकिन लड़का ऐसा कपूत है कि उस ने लिख दिया कि मैं सरकार की चोरी नहीं करना चाहता हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाय। एक तरकीब मुझे सूझी है कि मैं अपनी प्रापर्टी पोत्रों और बहू के नाम कर दूं। तो मैं ने एक मिसाल दे दी। मेरे करीब करीब जितने रिश्तेदार हैं वे सब मालदार हैं। मैं सब की नीयत देखता हूं। सब इस कोशिश में ह कि सरकार की आंख में धूल झोंक दी जाय और यह कानून जो बनने वाला है वह बेकार हो जाय।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): वह रिश्तेदार आप का ऐतबार करते हैं?

श्री एस० सी० सिंघल : तो मेरा कहना यह है कि अगर सरकार को इस के द्वारा आमदनी करनी है तो १५ साल रखना चाहिए और अगर आमदनी नहीं करनी है तो दो और तीन साल रहने दे।

अमेरिका में १९२४ में अलग गिफ्ट एक्ट पास किया गया जिस में हर एक गिफ्ट पर टैक्स लगा दिया गया। आप को मालूम है कि वहां पर गिफ्ट टैक्स कैसे लगाते हैं। डेढ़ परसेंट से लेकर साढ़े बावन परसेंट तक टैक्स लगता है। तो मेरी तो फायनेंस मिनिस्टर साहब से यही प्रार्थना है कि या तो इनकम टैक्स ऐक्ट में ऐसा कोई संशोधन किया जाय कि जिस को गिफ्ट मिले उस पर से टैक्स ले लिया जाय, इनकम टैक्स ऐक्ट, या फिर गिफ्ट टैक्स ऐक्ट लगाया जाय। या इसी धारा को इस तरह संशोधित किया जाय कि १५ साल के अन्दर जो गिफ्ट करेगा उस पर टैक्स ले लिया जायगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत घाटा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि मैं हाउस में देख रहा हूं कि इस बिल पर सन् १९४६ से विचार हो रहा है। सन् १९४८ में जब यह हाउस के सामने पेश हुआ तो सिलेक्ट कमेटी में पहुंचा। लेकिन दबा दिया गया। अब भी क़रीब क़रीब छः महीने से विचार चल रहा है। लेकिन जितनी ज़्यादा सरगरमी मैं इस बिल में देख रहा हूं जिस से कि सिर्फ़ दो तीन हज़ार आदमी जो मरेंगे उन पर असर होगा और उस हिसाब से शायद एक ज़िले में दो, तीन या चार आदमी होंगे, तो उन के मरने पर टैक्स देने का नम्बर आवेगा तो उन की तो

हमारे तमाम मैम्बरों को ऐसी फिक्र है, लेकिन जो लाखों आदमी नंगे मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं और जिन के रहने के लिये मकान नहीं है, उन के बारे में कोई सोच फिक्र नहीं है। इन दो चार आदमियों की जो मरेंगे, प्रापर्टी बची रहे, उस का ज़्यादा ध्यान है। जब कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली बैठी हुई थी, कांस्टीट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो मैं एक चीज़ चाहता था कि इन बड़े आदमियों को वोट देने का और मेम्बर बनने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मगर यह अधिकार उन को मिल गया। इन सब के साथ में हम क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जहां होती है वहां आदमी आकर्षित हो ही जाते हैं, वह लक्ष्मी लोगों को आकर्षित कर लेती है। मैं देखता हूं कि यहां तीन चार पूंजीपति आये हैं लेकिन उन की रक्षा करने के लिये बड़ा भारी जमाव हो जाता है। जो इस बात पर विचार भी नहीं करते होंगे कि यहां पर क्या चीज़ की जा रही है।

तो मेरी तो प्रार्थना यह है कि यह ऐक्ट जल्दी पास किया जाय और अगर फायनैंस मिनिस्टर साहब ठीक और मुनासिब समझें तो मेरा संशोधन मंजूर करलें। अगर उनकी समझ में वह संशोधन को मंजूर न करें तो फिर इनकम टैक्स ऐक्ट में तरमीम या गिफ्ट ला बनावें जैसे कि अमेरिका में है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बेईमान आदमी बच जायेंगे। और ईमानदार आदमी मर जावेंगे।

श्री टेक चन्द : मेरा सब से पहला संशोधन शब्द 'सद्भावपूर्ण' को हटा देने का है। यदि दान और मृत्यु के बीच दो वर्ष का अन्तर है तो शब्द 'सद्भावपूर्ण' एक अतिरिक्त अवरोध होगा। यदि दान मृत्यु से दो वर्ष पूर्व दिया गया हो तो केवल एक ही शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त यह है कि दान 'सदभावपूर्ण' भी हो। मेरा निवेदन है कि पहली शर्त पूरी हो जाने पर दूसरी शर्त अनावश्यक प्रतीत होती है। मान लीजिए कि कोई दान ३५ या ४० वर्ष पूर्व दिया गया है। जब इस के 'सद्भावपूर्ण' होने की बात पर आपत्ति उठाई जाती है, तो लोगों की मृत्यु से सारा साक्ष्य समाप्त हो गया होता है। चालीस वर्ष बाद यह सिद्ध करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि दान 'सद्भाव' से दिया गया था। तब तक सारा साक्ष्य समाप्त हो जाता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शब्द 'सद्भाव' हटा देना चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि 'सार्वजनिक धर्मार्थ' के स्थान पर शब्द 'सार्वजनिक या धर्मार्थ' होने चाहिए। हम इस विधेयक के सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून का अनुसरण कर रहे हैं और तदनुसार 'सार्वजनिक' तथा 'धर्मार्थ' के बीच शब्द 'या' आदिष्ट किया जाना चाहिए। इस से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

मेरा अगला संशोधन जिसे मैं काफी महत्व देता हूं यह है कि पृष्ठ ५ पर लाइन १७ में 'मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को मिली समझी जायगी' के पश्चात यह और जोड़ दिया जाय कि 'जब तक कि मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो'। मान लीजिये कि दानकर्त्ता दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करा कर सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से वापस लौट रहा है और ट्रक के नीचे आ जाने से अथवा किसी अन्य दुर्घटना से उस की मृत्यु हो जाती है। परिणाम यह होगा कि तब दानग्रहीता से मृत्यु-शुल्क देने को कहा जाएगा। जब कि किसी तीसरे व्यक्ति की असावधानी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्युओं को कर-मुक्त कर देना चाहिए।

मेरा अंतिम संशोधन २१७ यह है कि अवधि दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दी जानी चाहिए। इंग्लैण्ड में बिलकुल प्रारम्भ में जब कि इस प्रकार का कानून बना था तब, १८८९ में, अवधि केवल तीन मास थी। २१ वर्ष पश्चात् अर्थात् १९१० में यह तीन

[श्री ढेक चन्द]

वर्ष कर दी गई और १९४० में पांच वर्ष। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारम्भ के २१ वर्ष तक केवल तीन मास थी। इसलिए यदि प्रारम्भिक काल में हमारे यहां यदि यह अवधि दो वर्ष की अपेक्षा एक वर्ष रखी जाए तो अधिक अच्छा होगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री रघुरामय्या (तेनाली) : मैं उन में से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि सार्वजनिक धर्मार्थ को पूर्णतया कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए। गोदावरी तथा अन्य नदियों में आजकल जो बाढ़ आई हुई है उस के लिए दान प्राप्त करने में कठिनाई पड़ रही है। यह बहुत आवश्यक है कि सार्वजनिक दान को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए न कि निरुत्साहित। आखिर जब आप किसी सम्पत्ति पर कर लेते हैं तो उस का आशय यह होता है कि देश की समस्त जनता को उस का लाभ प्राप्त हो। किन्तु कर के रूप में सरकार को सम्पत्ति का केवल एक भाग ही प्राप्त होता है। परन्तु जब कि कोई व्यक्ति अपनी समस्त सम्पत्ति दान कर देता है वह सारी की सारी जनता के लाभ के लिए प्रयुक्त होती है--चाहे यह सीमित क्षेत्र में क्यों न हो।

दूसरे, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि जब यह संरक्षण मौजूद है कि दान 'सद्भावपूर्ण' होना चाहिए तो फिर अवधि निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है। मैं तो नहीं समझता कि वर्तमान परिस्थितियों में इस देश में जब कि यह कानून पहली बार लाया जा रहा है, अपनी समस्त सम्पत्ति दान देने वाला कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि इस एक या दो प्रतिशत कर का परिहार करने के लिए यह दान न दे। जब यह उपबन्ध मौजूद है कि यह 'सद्भाव' से होना चाहिए तो इस बात की जांच करना अनावश्यक है कि यह कब दिया गया था। अतएव मेरा निवेदन है कि कोई अवधि नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती जयश्री : अपने संशोधन को प्रस्तुत करने से मैं सम्पदा शुल्क विधेयक के महत्व को कम नहीं करना चाहती। हम ने अपनी स्वतन्त्रता अहिंसा के आधार पर प्राप्त की थी। उसी प्रकार बिना किसी क्रांति के श्री विनोबा जी ने भूमिदान यज्ञ चलाया है। इस से भूमि सम्बन्धी बेरोज़गारी की समस्या हल हो सकेगी। विनोबा जी भूमि इकटठा कर के उन लोगों को भूमि दे रहे हैं जिन के पास भूमि नहीं है। यदि इस प्रकार के दान भी दो वर्ष की सीमा में सम्मिलित कर लिये जायेंगे तो भूमि दान करने वालों में उत्साह की भावना नहीं रहेगी। भूमि दान करने वालों में अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जिन के पास भूमि अधिक नहीं है। अतः जब तक यह संशोधन पारित नहीं किया जायगा बहुत कम लोग अपनी भूमि देने के लिये उद्यत होंगे। क्योंकि ऐसे मामलों में सम्पदा शुल्क लगेगा जो कि सम्भवतः भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दायक की पूरी सम्पदा पर लगने वाले दर के हिसाब से देना पड़ेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि भूमिदान यज्ञ के अन्तर्गत किये जाने वाले दान पर सम्पदा शुल्क न लगाया जाय। मैं समझती हूं कि भूमिदान सर्वोत्तम दान है। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता तो खण्ड ३२ पर प्रस्तुत किये गये एक दूसरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री वी० बी० गांधी : मैं ने खण्ड ९ पर दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। खंड ९ मृत्यु से पूर्व एक विशेष अवधि में दिये गये दान के सम्बन्ध में है। इस खण्ड में यह दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु से कम से कम दवर्ष पूर्व दान

के रूप में दे सकता है और उस सम्पत्ति को सम्पदा शुल्क लगाये जाने से बचा सकता है। और यदि दान धर्मार्थ कार्य के लिये दिया जाना है तो वह इस सम्पत्ति को अपनी मत्यु से छै महीने पहिले दे सकता है।

हमें इस खण्ड में निर्धारित अवधि के महत्व को समझना चाहिये इस में दो वर्ष की अवधि तथा छः महीने की अवधि है। यदि हम इस अवधि को दो वर्ष से कम कर के एक वर्ष कर दें तो इस का क्या परिणाम होगा। इससे लोग अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व अपनी सम्पत्ति को दान कर देंगे और उस सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क नहीं लग सकेगा। यदि इस अवधि को हम और कम कर दें या इसे बिल्कुल हटा दें, तो क्या होगा? इस से लोग अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु से थोड़े समय पहले दे देंगे और इसका परिणाम होगा कि बहुत ही थोड़ी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सकेगा। अतः यह प्रश्न विचारणीय है। मैं ने अपने संशोधन में यह सुझाव रखा है कि दान स्वरूप दिये जाने वाली सम्पत्ति के लिये अवधि ३ वर्ष की हो और धर्मार्थ कार्यो के लिये दान देने की अवधि एक वर्ष हो। किन्तु वित्त मंत्री यह समझते हैं कि इस खण्ड में निर्धारित दो वर्ष की अवधि उपयुक्त है। यह खण्ड इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया तो यह पूरा विधान व्यर्थ हो जायगा। मैं ने एक और संशोधन रखा था जिस में यह सुझाव था कि इस पूरे खण्ड ९ को हटा दिया जाय। किन्तु उसे नियमानुकूल नहीं ठहराया गया था। मेरा कहना यह है कि ऐसा कोई भी दान न हो जिस पर सम्पदा शुल्क न लग सके। हमें कर-मुक्त दोनों को रोकना चाहिये। इस खण्ड में तो सम्पदा-शुल्क से बचने की गूंजाइश है। मैं सम्पदा शुल्क से बचने की बात कह रहा हूं न कि सम्पदा शुल्क अपवंचन की।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि यह जीवन के आरम्भ से ही लगे और इस के लिये कोई अवधि नहीं होनी चाहिये?

श्री वी० बी० गांधी : जो आपने कहा यही मेरा अभिप्राय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो स्थिति स्पष्ट करना चाहता था।

श्री वी० बी० गांधी : मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि किसी व्यक्ति के पास ५० लाख रुपये की सम्पत्ति है तो उस पर सम्पदा शुल्क की स्तर प्रणाली के सब से अधिक दर के हिसाब से लगना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात अपने संशोधनों तक सीमित रखिये।

श्री वी० बी० गांधी : मैं संक्षेप में बोलूंगा। यह अवधि बढ़ाई क्यों जाय? मान लीजिये किसीके पास ६० लाख रुपये की सम्पत्ति है। यदि उस की सम्पत्ति पर वित्त-मंत्री द्वारा अस्थायी रूप से निर्धारित दरों के अनुसार कर निर्धारण किया जाय तो उसे सम्पदा शुल्क के रूप में १८ लाख रुपये देने पड़ेंगे। और यदि वह अपने चार बेटों में से प्रत्येक को दस लाख रुपये की सम्पत्ति दे दे तो इस हालत में उसे केवल २० लाख रुपये पर सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा और इन ४० लाख रुपयों पर उसे जो १४ लाख का सम्पदा शुल्क देना पड़ता उस से वह बच जायगा। इस प्रकार इस खण्ड ९ का लोग लाभ उठा सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि यह खण्ड महत्वपूर्ण है। इस से केवल धनी ही नहीं अपितु सामान्य स्थिति के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मामले में यदि किसी व्यक्ति को ६० या ६५ हज़ार रुपये की छूट मिल जाय और यदि वह समय के अन्दर

[श्री वी० बी० गांधी]

ही ३५ हज़ार रुपये दान के रूप में दे दे तो वह सम्पदा शुल्क से बच सकता है। इसी कारण यह खण्ड ऐसा है कि इस विधान के द्वारा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उस का सफल या असफल होना इसी पर निर्भर है।

सम्पदा शुल्क के साथ मृत्यु शब्द जोड़ दिया जाता है। अन्य देशों में ये शुल्क मृत्यु शुल्क कहलाते हैं। मैं "सम्पदा शुल्क" को पसन्द करता हूं। मृत्यु का सम्बन्ध इस बात से इसलिये है कि इस से वह समय निश्चित किया जाता है जब यह समझा जाता है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया गया है। इस के द्वारा सम्पत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उस की सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगता है। अतः हमें यह याद रखना चाहिये कि सम्पदा शुल्क मृत्यु शुल्क नहीं है। यदि मृत्यु शुल्क का यही भाव है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में किये जाने वाले सम्पत्ति हस्तान्तरण पर शुल्क क्यों न लगाया जाय। ऐसे बहुत से देश हैं जहां किसी व्यक्ति के जीवन काल में किये गये सम्पत्ति हस्तान्तरण और दान पर कर लगता है। अमेरिका में दान की सम्पत्ति पर कर का दर सम्पत्ति कर का ७५ प्रतिशत है। मैं यहां ६० लाख की सम्पत्ति वाले व्यक्ति के पूर्वोक्त उदाहरण को लेता हूं। यदि वह व्यक्ति अमेरिका में हो और अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करे और उस पर उतना ही सम्पदा शुल्क लगे तो उस की २० लाख रुपये की सम्पत्ति पर चार लाख रुपये शुल्क लगेगा और उस ने ४० लाख की जिस सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया है उस पर वह ८·२५ लाख दान कर के रूप में देगा। दूसरे देशों में ऐसा किया जाता है और वहां इस बात को रोका जाता है कि लोग कर से बच सकें। अमेरिका में यह दान-कर अन्य प्रकार से लगता है। वहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी एक वर्ष एक लाख रुपये का दान देता है तो इस पर एक विशेष दर के हिसाब से कर लिया जाता है। और दूसरे वर्ष वह फिर एक लाख रुपये का दान देता है तो इस बार दान पर दो लाख रुपये के हिसाब से कर लिया जायगा। और यदि वह अपने जीवन काल में एक लाख रुपये का दसवीं बार दान करता है तो उस से दस लाख रुपये पर स्तर प्रणाली के हिसाब से कर लिया जायगा। वे इस सम्बन्ध में इस से भी अधिक कार्य करना चाहते हैं और उन का यह सुझाव है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उस की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क का निर्धारण करना हो तो इस में उस की मृत्यु के समय हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति तथा उस के जीवन काल में दान के रूप में दी गई सभी सम्पत्ति सम्मिलित हो। इन दोनों को मिला दिया जाय और जो दर इस कुल सम्पति पर लगाया जा सकता है उस के हिसाब से इस पर कर लगाया जाय; इस में केवल वह दान-कर छोड़ दिया जाय जो उस ने इस काल में दे दिया हो। इसी से मालूम पड़ सकता है कि अन्य देशों में इस के बारे में कैसी धारणा है।

इस कारण मैं यह समझता हूं कि इस खण्ड ९ के द्वारा हम जो कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस विषय में हमें न केवल सम्पत्ति मालिक या धनी व्यक्ति का ही ध्यान रखना है अपितु 'सामान्य व्यक्ति' का भी ध्यान रखना है।

इस विधेयक में इतनी छूट की व्यवस्था की गई है कि ऐसा लगता है कि इसे सम्पदा-शुल्क विधेयक कहा भी जा सकता है या नहीं। इस में धन इकठ्ठा करने की बात रखी गई है किन्तु इस में छट इतनी अधिक है कि इसे "सम्पत्ति मालिक (सम्पदा शुल्क से संरक्षण)

विधेयक" कहा जा सकता है। हमें यहां "सामान्य व्यक्ति" का भी ध्यान रखना चाहिये। मेरा सुझाव है कि खण्ड ९ में संशोधन किया जा सकता है। मैं ने अपने संशोधन में तीन वर्ष की अवधि रखी है। किन्तु मैं श्री एम० सी० दुबे, श्री राम सहाय तिवारी तथा पंडित सी० एन० मालवीय द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समर्थन करता हूं जिस में इन सभी ने यह सुझाव रखा है कि यह अवधि बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी जाय।

श्री एस० सी० सिंघल : कै बजे तक डिबेट चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम यदि संभव हुआ तो खण्ड ९ को समाप्त करना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त तो करना है ही। समय का निर्धारण कार्य संचालन मंत्रणा समिति की उपसमिति करती है और उस के अनुसार हमें कल तक खण्ड २९ समाप्त कर लेना चाहिये था, पर हम अभी खण्ड ९ पर ही हैं। अतः माननीय सदस्य १५ मिनट से अधिक समय न लें।

श्री गाडगिल : दो मिनट पर्याप्त होंगे। क्या हम आज खण्ड ९ भी समाप्त नहीं कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत से संशोधन हैं। यह एक बहुत ही विवादग्रस्त खण्ड है।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : मेरा संशोधन यह है :

पृष्ठ ५ की पंक्ति १७ के अन्त में यह जोड़ा जाये :

"Unless the court otherwise determines the bonafides of the disposition on a suit filed by aggrieved party within six months of the determination of the mala fide of the gifts".

["जब तक कि न्यायालय दान के दुर्भाव घोषित किये जाने के छः महीने के भीतर सन्तप्त पक्ष द्वारा दायर किये गये वाद के निपटारे की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विपरीत निर्णय न दे।"]

इस संशोधन के दो लक्ष्य हैं। दायक या दाता की मृत्यु से दो वर्ष पूर्व दिये गये दान अथवा व्यवस्था के निपटारे के सम्बन्ध में प्रमाणिकता का प्रश्न उठता है। यदि निपटारा उस की मृत्यु के दो वर्ष के भीतर किया गया है तो प्रमाणिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मृत्यु होने से दो ही नहीं पांच वर्ष पहिले किये गये दानों के सम्बन्ध में प्रमाणिकता का प्रश्न उत्पन्न होता है। नियंत्रक को केवल इतना ही कहना है कि यह दुर्भावपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति आज मरता है और उस ने अपनी सम्पत्ति को तीन वर्ष पहले ही दान कर दिया था तो प्रमाणिकता का प्रश्न उठता है और उसका निर्णय करना होगा। विधेयक के अनुसार यह कार्य नियंत्रक द्वारा किया जायेगा और किसी भी दान या व्यवस्था के सम्बन्ध में वह कह सकता है कि दुर्भावपूर्ण है। ऐसी अवस्था में सन्तप्त पक्ष क्या करे ? एक मात्र साधन न्यायालय की शरण लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह कोई बेनामी कारोबार हो और उसे दान के रूप में देने की इच्छा ही नहीं की हो ?

श्री एन० आर० एम० स्वामी : तब तो प्रमाणिकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह कह सकता है कि यह तो बेनामी है और इसलिये दुर्भावपूर्ण है। वह तो सीधे ही यह कह देगा कि यह बेनामी है और इस की कार्या-

[श्री एन० आर० एम० स्वामी]

न्विति की इच्छा ही नहीं थी और केवल कर से बचने के लिए उस ने सम्पत्ति का दान कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर प्रतिकार क्या है ?

श्री एन० आर० एम० स्वामी : प्रतिकार यही है कि न्यायालय इस बात का निर्णय करे कार्यपालिका अधिकारी नहीं । केवल न्यायालय ही यह निर्णय कर सकता है कि अमुक व्यवस्था प्रमाणिक है अथवा नहीं । न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिये न कि नियंत्रक का निर्धारण ।

श्री एस० एस० मोरे: यह निर्णय किया जा चुका है कि इस मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, तो क्या अब इस प्रकार का संशोधन न्यायोचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का मत चाहे इस के विरुद्ध हो परन्तु प्रविधिक रूप से यह बाधित नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की श्रेणी में न्यायाधिकरण का रखा जाना भी अपेक्षित है । इस विधि के अनुसार कोई न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है इसलिये साधारण अदालतों की शरण लेने को बाधित क्यों किया जाये । हम केवल यह कह सकते हैं कि किसी मामले विशेष में अदालत का क्षेत्राधिकार बाधित है ।

एक माननीय सदस्य : तो दो वर्ष में किये गये दानों की स्थिति क्या होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो वर्ष में किसी भी दान को चाहे वह प्रमाणिक हो अथवा दुर्भावनापूर्ण हो मान्यता नहीं दी जायेगी ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : दो वर्ष में किये गये किसी दान के सम्बन्ध में तो प्रमाणिकता का प्रश्न ही नहीं उठता है, परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने पांच या छै वर्ष पहले कोई दान किया था और कल उस की मत्यु हो जाती है तो उस के उत्तराधिकारी को उस का हिसाब देना होगा । नियंत्रक तो केवल यही कह देगा कि वह दुर्भावनापूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पर ऐसा वह क्यों कहेगा ?

श्री एन० आर० एम० स्वामी : किसी कार्यपालिका अधिकारी को यह निर्णय करने की कि वह प्रमाणिक है अथवा नहीं न्यायिक बुद्धि नहीं हो सकती है । ऐसा कर ने के अधिकार केवल अदालतों को ही हैं । इसलिये अदालतों के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

यह विधेयक दान से सम्बन्ध रखता है, और कर बचाने के लिये बेनामी दान भी किये जा सकते हैं । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति अपनी एक लाख की सम्पत्ति को सौ रुपये में बेच देता है तो उस सम्पत्ति के परकीकरण का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता है । पूर्ण रूपेण विक्रय इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता है । ऐसी दशा में उस के उत्तराधिकारी को केवल सौ रुपये के लिये ही उत्तरदायी होना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या नियंत्रक यह नहीं कह सकता है कि यह विक्रय ही दुर्भावनापूर्ण है ?

श्री एन० आर० एम० स्वामी : विक्रय खण्ड ९ के अन्तर्गत नहीं आता है । यह तो केवल दान के सम्बन्ध में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रलेख को कोई नाम दे देने से ही वह वही नहीं बन जाता है । रेहन को विक्रय नहीं कहा जा सकता और विक्रय को रेहन । इसी लिये

चाहे उसे विक्रय ही क्यों न कहा जाये एक लाख रुपये की सम्पत्ति को सौ रुपये में दे देना वास्तव में दान ही है और अगर वह दो वर्ष के भीतर किया गया है तो दुर्भाविनापूर्ण है।

श्री एन० सोमना : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह खण्ड २५ में आ जाता है।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : मान लीजिये कोई व्यक्ति अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिये अपनी सम्पत्ति को निशुल्क सरकार को दान कर देता है, तो यह कार्यवाही भी दुर्भाविनापूर्ण है क्योंकि यह पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए की गई है। पुत्र अदालत की शरण ले सकता है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि प्रमाणिकता के प्रश्न का निर्णय किसी कार्यपालिका अधिकारी द्वारा नहीं अपितु न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही विषम परिस्थिति में पड़ जायगा क्योंकि चाहे दान दस वर्ष पहले ही क्यों न दिया गया हो उस व्यक्ति की मत्यु के तुरन्त बाद ही यह प्रश्न उठेगा। हो सकता है कि इस बीच दानग्रहीता अथवा हिताधिकारी ने उसे किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य प्रत्यक्षत: यह चाहते हैं कि पांच या छै वर्ष पुराने दान को स्वत: ही दान मान लिया जाना चाहिये जब तक कि इस धारणा को निर्मूल सिद्ध न किया जाय।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : इस पर भी तो नियंत्रक उसे दुर्भाविनापूर्ण बता सकता है। ऐसी दशा में सन्तप्त पक्ष को अदालत की शरण लेने का अधिकार होना चाहिये जिस से कि वह उस दान को अपने हित के अनुसार प्रमाणिक अथवा दुर्भाविनापूर्ण निर्णित करा सके और यह कार्य इस की घोषणा किये जाने के छै महीने के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से लोग अपने आप को कुछ सुरक्षित समझेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक कल सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल दोपहर पश्चात की बैठक चार बजे से होगी।

इसके पश्चात सदन की बैठक शनिवार, ५ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।